(1100/NK/MMN)

1100 Hours

(Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष: क्वेश्चन ऑवर 201, श्री देवजी पटेल – उपस्थित नहीं।

श्री पी. पी. चौधरी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, क्वेश्चन ऑवर के बाद आपको बोलने का मौका देंगे।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्वेश्चन ऑवर के बाद व्यवस्था दी है, पेपर लेड के बाद आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, व्यवस्था दे दी गई है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बालू जी को जीओ ऑवर में बोलने का मौका देंगे।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने व्यवस्था दे दी है, पेपर लेड होने के बाद आपको बोलने का मौका दिया जाएगा।

(प्रश्न 201)

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी, ट्राइबल मिनिस्ट्री और मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। 70 सालों के बाद भी पाली लोक सभा क्षेत्र का ट्राइबल एरिया पांचवें शेड्यूल से वंचित था। पहली बार इस एरिया को पांचवें शेड्यूल में रखने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इससे सभी बेनिफिट जो पांचवें शेड्यूल में हैं, उन ट्राइबल लोगों को मिलेंगे जो 70 सालों से वंचित थे। मेरा क्वेश्चन आपके मार्फत माननीय मंत्री जी है कि जहां तक ई-गवर्नेंस की बात है, आपने ऑनलाइन पोर्टल की बात की, काफी स्कीम के बारे में कहा, लेकिन गवर्नेंस की अनप्रिसिडेंटेड स्पीड और स्केल पिछले पांच सालों में रही है, उसका पिवटल रोल ई-गवर्नेंस का है, डिजिटल इंडिया का है।

मैं आपके मार्फत से पूछना चाहूंगा कि टीएसपी फंड बहुत बड़ा फंड है, टीएसपी फंड सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टैरिटरी का है, कम्प्लीट फंड चैनलाइज होकर एक पाइपलाइन में जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ई-गवर्नेंस की व्यवस्था कर दी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टैरिटरी का भी बहुत बड़ा फंड है, जब सारा चैनलाइज होकर एक जगह जा रहा है तो वह फंड मिसयूज न हो, उसके लिए सरकार की क्या योजना है? क्या स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टैरिटरी को भी आप शामिल कर रहे हैं या नहीं?

श्री अर्जुन मुंडा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि भारत सरकार का ट्राइबल मिनिस्ट्री ने जो कार्य योजना तैयार की है, उसमें सभी राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों को पांचवीं और छठी अनुसूची के क्षेत्र में पूर्ण रूप से सम्मिलित करने की योजना बनाई है। उस कार्य योजना के तहत राज्यों को राज्यों के नेटवर्किंग सिस्टम से जोड़ने का प्रयास किया है। अभी कुछ दिन पहले जो छात्रवृत्ति आबंटन होती थी, उसे राज्यों के डेटा के साथ केन्द्र के पोर्टल से कनैक्ट कर दिया है। किसी भी राज्य से कोई भी छात्र सीधे ऐसी योजनाओं का लाभ ले, वह राज्य और केन्द्र को भी सूचना प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से सभी योजनाओं के संदर्भ में राज्य सरकार के साथ मिल कर केन्द्र सरकार की एक वृहत योजना मान्यवर नरेन्द्र भाई मोदी

जी के नेतृत्व में चल रही है। पांचवीं और छठी अनुसूची के क्षेत्र जीआईएस मैपिंग के माध्यम से प्रत्येक गांव को पिन पाइंट कार्यक्रम को कार्य योजना के साथ सम्मिलित कर रहे हैं। सभी माननीय सदस्य उन सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष: ऐसे सप्लीमेंटरी क्वेश्चन एलाउ नहीं है, लेकिन एलाऊ करता हूं।

(1105/SK/VR)

श्री पी.पी. चौधरी (पाली): माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, अपने आप में बहुत बड़ा नाम है।

माननीय अध्यक्ष: आप संक्षिप्त में पूछिए। पहले नंबर वाले माननीय सदस्य नहीं हैं, इसलिए आपको सप्लीमेंटरी प्रश्न अलाऊ किया है। देवजी ने आपके लिए लिखकर दिया है।

श्री पी.पी. चौधरी (पाली): एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, सैंट्रल स्कूल और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और नवोदय विद्यालय की तर्ज पर हैं। ट्राइबल एरिया में इनके द्वारा क्वालिटी आफ एजुकेशन इम्पार्ट की जा रही है। 31 मार्च, 2017 तक करीब 260 विद्यालय सैंक्शन हुए हैं, इसमें से 161 फंक्शनल हैं। अन्य कब फंक्शनल होंगे? आर्टिकल 275 के तहत स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दी जाती है। इसके साथ महत्वपूर्ण विषय रिव्यु और मॉनिटरिंग का है। इन विद्यालयों का रिव्यु और मॉनिटरिंग बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या इन विद्यालयों की रिव्यु और मॉनिटरिंग के लिए ई-गवर्नेंस को एक्सटैंड कर रहे हैं या नहीं?

ट्राइबल एरिया को 5वें शैड्यूल में रख दिया है। पाली लोक सभा स्कूल में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल नहीं है, इसे खुलवाने की मेहरबानी करें। धन्यवाद।

श्री अर्जुन मुण्डा: माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। एकलव्य विद्यालय इससे पहले जो संचालित होते थे, राज्य सरकार को सीधे तौर पर आबंटित करने के बाद राज्य सरकार के माध्यम से ही एग्जीक्यूशन और चलाने का काम होता था। माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इस समय यह निर्णय हुआ है कि इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी, दोनों को मॉनिटर करने के लिए

एकलव्य और नवोदय विद्यालय की तर्ज पर एक संगठन के माध्यम से संचालित हो, भारत सरकार के माध्यम से हो, इस संदर्भ में पूरी कार्य योजना तैयार हो गई है। कई बार ऐसा देखा गया है, खास करके कुछ प्रदेशों में कि इसका एग्जीक्यूशन बहुत डिलेड है। इसलिए इस तरह के निर्णय लेकर माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए बृहद कार्य योजना के साथ ट्राइबल मिनिस्ट्री को यह दायित्व दिया है। हम इसे समय पर पूरा करेंगे।

माननीय सदस्य की जो चिंता अपने संसदीय क्षेत्र के लिए है, इसे निश्चित रूप से मंत्रालय देखेगा।

SHRI K. SHANMUGA SUNDARAM (POLLACHI): Hon. Speaker, Sir, in my constituency Pollachi, which falls in Tamil Nadu, approximately 10,000 tribal families are living in the Notified Forest Area. They do not have proper houses and are living in huts. I want to know from the hon. Minister whether the Ministry has any scheme to build houses for tribal families living in Notified Forest Area.

Sir, I have one more question to raise before the hon. Minister. It is because of the human-animal conflict that one or two deaths happen every week in Valparai station in my constituency. I want to know what steps the Ministry can take to stop the human-animal conflict. Thank you.

श्री अर्जुन मुण्डा: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अभी एक विषय एफआरए, फोरेस्ट राइट एक्ट के आधार पर वन्य क्षेत्र रहने वाले लोगों के बारे में चल रहा है। इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की है और भारत सरकार को भी बहुत अधिक चिंता है। इस पर लगातार बैठकें हो रही हैं कि इसके स्थायी समाधान क्या होंगे, कैसे होंगे? इस चिंता को लेकर हम बहुत जल्दी ही निर्णय पर पहुंचेंगे ताकि इन क्षेत्रों के विकास, जैसे शैक्षणिक

और स्वास्थ्य केंद्र जैसे मामलों का समाधान करते हुए वहां रहने वाले लोगों के सही तरीके से रहने के लिए समुचित व्यवस्था की जा सके।

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि देश में बहुत सी योजनाएं ट्राइबल डैवलपमेंट के लिए चल रही हैं और राज्य सरकार भी ट्राइबल लोगों के लिए अच्छा कार्य कर रही है। इनके लिए बहुत सी पुरानी योजनाएं भी हैं। क्या उनकी समीक्षा की जा सकती है या उनको ड्राप किया जा सकता है?

आज पूरे देश में कई राज्यों जैसे

महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में ट्राइबल बैल्ट में आदिवासियों के पास सिंचाई की सुविधा नहीं है।

(1110/MK/SAN)

इस पुरानी सिंचाई योजना को ड्राप करके इस फंड का उपयोग कर क्या सरकार सिंचाई हेतु कोई नई योजना बनाना चाहती है?

श्री अर्जुन मुंडा: अध्यक्ष महोदय, एक संस्था आई.टी.डी.ए (इंटिग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी) भारत सरकार के निर्देशन में राज्य सरकारों के माध्यम से बनाई गई थी, इसके द्वारा बहुत सारी जगहों पर इस तरह की योजनाएं ली गई थीं, इन योजनाओं के लिए स्पेशल मॉनिटरिंग सेल बनाया जा रही है ताकि यह पता चल सके कि जो योजनाएं ली गई हैं, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है? इस बारे में जानकारी लेने के बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे।

(इति)

(प्रश्न 202 एवं 215)

श्री सुधीर गुप्ता (मन्दसौर): माननीय मंत्री जी, औद्योगिक श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम द्वारा नियंत्रित होती है, जिसमें बीमारी, मातृत्व लाभ, अस्थायी शारीरिक विकलांगता, आकस्मिक मृत्यु जैसे नुकसानों से श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाती है। माननीय मंत्री जी, मैं देश के प्रधान मंत्री जी और आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये जो सुविधाएं देश में उपलब्ध हैं, इसमें लिए जाने वाले अंशदान को साढ़े छ: प्रतिशत से चार प्रतिशत किया गया है और सुविधाओं में सुधार करने का आपने जो संकल्प लिया है, उसके लिए विशेष धन्यवाद देता हूं।

माननीय मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूं कि सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने के लिए श्रमिकों और कर्मचारियों को पंजीकृत करने हेतु विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कृपया बताएं कि विशेष कार्यक्रम क्या हैं और क्या आप मौसमी कारखानों के श्रमिकों को भी अपनी इस शारीरिक और स्वास्थ्य की सुविधाओं से जोड़ने के लिए कोई कार्यक्रम लेंगे?

श्री संतोष कुमार गंगवार: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदस्य महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक अच्छा प्रश्न किया है। यह बात सही है कि मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ईएसआईसी में अंशदान में कुछ कटौती की है। मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि अंशदान में कटौती करने से सुविधाओं में कोई कमी नहीं आएगी। हमारी सरकार ने आने के बाद इस दिशा में चिंता की है और वर्ष 2014-15 में ईएसआईसी के आई.पीज की संख्या जो 2.4 करोड़ के आस-पास थी, प्रधान मंत्री जी के विजन के बाद हमने इसको आगे बढ़ाया है और इस समय यह संख्या करीब 3.6 करोड़ से ऊपर हो गई है। ज्यादा-से-ज्यादा मजदूरों को इसका लाभ मिले, इसकी हम लोग चिंता करते हैं। ईएसआईसी की निर्णय लेने हेतु बनी कमेटी की 174 वीं बैठक में हमने यह निर्णय लिया कि हम इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। ऑफिस कम डिसपेंसरी के हिसाब से ब्रांच ऑफिस दोनों इस दिशा में काम करेंगे। अब तक ईएसआईसी की योजना लगभग 541 जिलों में नोटिफाइड है और हमने कार्पोरेशन को 306 नए डीसीबीओ खोलने की अनुमति दी

है। हम जानते हैं कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी चाहते हैं कि देश के सभी जिलों में यह योजना लागू हो, उसके हिसाब से हम मिलकर काम कर रहे हैं। इस संदर्भ में आप जो भी सुझाव देंगे, हम उस पर अमल करेंगे। पिछले दो वर्षों में ईएसआईसी में हमने जो काम किया है, उससे मजदूरों की संख्या में एक करोड़ से अधिक की वृद्धि हुई है और ईपीएफओ में भी एक करोड़ से अधिक की संख्या में वृद्धि हुई है। हम इस ड्राइव को निरंतर चलाने का काम कर रहे हैं।

श्री सुधीर गुप्ता (मन्दसौर): धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपने बहुत संतुष्टिपूर्वक उत्तर दिया है। मैं इसलिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ईएसआईसी का एक अस्पताल लगभग 50-60 वर्ष पुराना मेरे अपने संसदीय क्षेत्र के जिला मुख्यालय में भी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिलों में विस्तार करने के आपके जो संकल्प हैं, वे कितने समय में पूर्ण होंगे और मेरे संसदीय क्षेत्र में जो चिकित्सालय आपके विभाग द्वारा संचालित है, उसमें विकास और विस्तार से संबंधित एक प्रस्ताव आपके पास लंबित है, उसमें लंबे समय से सुविधाओं का विस्तार नहीं हुआ है

क्या माननीय मंत्री जी मेरे जिले के इस अस्पताल को विशेष सुविधाओं के रूप में चिह्नित करेंगे?

श्री संतोष कुमार गंगवार: मैं माननीय सदस्य जी के सुझाव से सहमत हूं पर मैं इतना बताना चाहूंगा कि ईएसआईसी मजदूरों के हितों को ध्यान में रखकर काम करती हैं।

(1115/YSH/RBN)

मैं यह भी सदस्यों के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मजदूरों से जो पैसा कटता है, जिसकी हमने अभी कटौती की है, वास्तव में हमारे पास पैसा कम नहीं है। हम पूरे तरीके से पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे अधीन जो राज्य सरकारें काम करती हैं, हम उनको पैसा देते हैं, लेकिन मैं सभी सदस्यों के माध्यम से संज्ञान में लाना चाहूंगा कि 100 बिस्तरों के अस्पताल पर कम से कम 50 हजार IPs चाहिए और 150 पर एक लाख IPs चाहिए। हमने इस पर विचार करके 30 बिस्तर वाले भी अस्पताल खोलने का निर्णय लिया है, जिसमें 20 हजार IPs की संख्या चाहिए।

माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उनके अनुसार वहां पर जो आवश्यकता होगी, हम उसको पूरा करने का काम करेंगे और मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि जिन सांसद साथियों के यहां अगर मजदूरों की संख्या 20 हजार के आस-पास हैं, वे अगर हमें लिखकर देते हैं तो हम वहां पर 30 बिस्तरों का अस्पताल खोलने का काम करेंगे और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम भी करेंगे।

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक (कोल्हापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पहली बार बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ ई.एस.आई.सी का दायरा सरकार बढ़ाना चाहती है, परन्तु मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोल्हापुर स्थित ई.एस.आई. अस्पताल की बदहाली और बदइंतजामी की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। कोल्हापुर क्षेत्र में महाराष्ट्र में 100 बेड का ई.एस.आई. अस्पताल वर्ष 2000 में बनकर तैयार हुआ था। इस अस्पताल की स्थिति अब इतनी खराब है कि अभी तक इसमें कोई इंडोर सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस अस्पताल की मैम्बर संख्या तकरीबन एक लाख से ज्यादा है। लगभग 85 लाख का अनुदान प्रतिमास जमा होता है, जिसका फायदा उनके परिवारजनों सहित तकरीबन चार लाख लाभार्थियों को होना चाहिए। बीस साल बीत जाने के बाद भी एक चिकित्सक की तैनाती वहां हुई है, जबकि स्वीकृत चिकित्सक की संख्या 19 होनी चाहिए। उसमें से 9 स्पेशल चिकित्सक और 10 मेडिकल अफसर यहां भरे नहीं है। 205 स्वीकृत कर्मचारियों से सिर्फ 18 पद ही अभी तक भरे गए हैं। एक्सरे, एम.आर.आई. आदि जांचों की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं है। अगर कोई इंडोर पेशेन्ट आ जाता है तो उसको प्राइवेट अस्पताल भेज दिया जाता है। मरीजों को दवाइयों की दिक्कतों का सामना करना पड़ता हैं। हर वार्ड का बाहर से ताला लगाया हुआ है, जिससे परिंदों और चमगादड़ों का वह घर बन चुका है।

मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि इस अस्पताल की दुर्दशा को सुधारने के लिए तथा जिले के ई.एस.आई. कर्मचारी व उनके परिवार की बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

माननीय अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सभी की सहमति हो तो, हमें सवालों को संक्षिप्त में पूछना चाहिए। चमगादड़ वगैरह कहकर इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। यह संसद का सदन है। जो सुविधाओं का अभाव है, उसके बारे में पूछें।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है हम उस पर कुछ विपरीत नहीं बोलेंगे। हम किसी अधिकारी को अगले 15 दिन में अस्पताल में भेजेंगे, वह उनसे सम्पर्क करेगा और जो भी आवश्यकता होगी उसको हम पूरा करने का काम करेंगे।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Mr. Speaker, Sir, thank you for clubbing the Questions because of which I got an opportunity.

Two things are not clear. The Minister of Labour is the Chairman of the ESI Corporation. They have reduced the employers' contribution from 4.75 to 3.25 per cent. They have reduced the employees' contribution also. All trade unions oppose this reduction of employers' contribution.

The ESI is a good scheme for the workers. It is good that it is being extended. But different companies owe crores of rupees to the ESI as dues. The jute mills in my area owe about Rs. 100 crores to the ESI. Also, the ESI hospitals are not running properly as was mentioned by the Member who spoke earlier.

May I ask the hon. Minister, through you, the reason for reducing employers' contribution.

(1120/SM/RPS)

Is it to give relief to the capitalists and big industry owners? What is the Ministry doing to recover the ESI dues from the default companies? I would like to know whether he will set up a committee to look into the state of affairs

in the ESI hospital in my constituency at Kamarhati. It is in doldrums. Will the Minister appoint a committee to look into the affairs of the ESI hospitals?

श्री संतोष कुमार गंगवार: सर, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि ड्यूज क्यों कम किए गए, लेकिन शायद माननीय सदस्य की जानकरी में है कि ईएसआई के पास इस समय जितना पैसा है, वह ठीक है। हमारे पास बैलेंस धनराशि 75,000 करोड़ रुपये है। …(व्यवधान) इसलिए हम लोगों ने जो कमी की है, पहले एम्प्लायर 4.75 प्रतिशत पैसा देता था, उसे हमने कम करके 3.25 प्रतिशत किया है, यानी इसे हमने 31 प्रतिशत कम किया है। कर्मचारियों का अंशदान भी हमने कम किया है, इसे 1.75 प्रतिशत से कम करके .75 प्रतिशत किया गया है, अर्थात 57 प्रतिशत कमी की गई है। …(व्यवधान) इसके साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि मजदूरों की सुविधाओं में कमी नहीं होगी। हम इनके लिए अस्पतालों की संख्या बढ़ा रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं इस सन्दर्भ में जानकारी लूंगा। आपने बकाया धनराशि की जो बात कही है, हम उसकी जानकारी लेकर आपको बाद में अवगत कराएंगे। …(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मंत्री जी, आज आपको तैयार होकर आना चाहिए था। …(व्यवधान)

SHRI G. SELVAM (KANCHEEPURAM): I am very much grateful to the Hon. Speaker for giving me a chance. Firstly, I must thank our party leader, Thalapathy, Mr. M.K. Stalin.

Sir, I would like to know whether the Government proposes to reduce employee's as well as employer's contribution to Employees State Insurance Scheme by amending the ESI Act, 1948. If, so, the details thereof and the reasons therefor along with the objectives behind the move including the proposal in this regard.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी ने आपका पूरा प्रश्न सुना है और वे जवाब दे रहे हैं।

श्री संतोष कुमार गंगवार: सर, हमने धन में जो कमी की है, वह रीज़नेबल है। इसमें किसी को शिकायत नहीं है, सब इससे संतुष्ट हैं। अगर आपको कोई अन्य सुझाव देना है तो मुझे दे सकते हैं।...(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, in my constituency, Kollam, Asramam ESI Super Speciality Hospital is the nations' number one hospital, having the highest rate of occupancy among the ESI hospitals. Cashew workers were entitled to get the super speciality treatment.

Unfortunately, after the NDA Government has come to power, an amendment has been brought in. According to the amendment, those who are entitled to super speciality treatment, should have 78 days of attendance before the date of the diagnosis of the disease.

Cashew workers, coir workers, plantation workers and most of the downtrodden people in the country are now denied the right to have super speciality treatment.

The first part of my supplementary question to the Hon. Labour Minister is this. Will the Minister take care to reduce the number of days of attendance of the workers so that they will be entitled to get super speciality medical treatment?

The second of my supplementary question is whether the autorickshaw drivers, unorganised workers will also be included within the ambit of the ESI and ESI benefit will be provided or extended to the unorganised workers including autorickshaw drivers.

श्री संतोष कुमार गंगवार: सर, माननीय सदस्य लेबर के मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं। इनसे हमारा वार्तालाप लगातार होता रहता है। अब सुपरस्पेशियल्टी ट्रीटमेंट के मामले में जितनी सर्विस की जरूरत होती है, उसे स्वयं हम लोगों ने कम करने का काम किया है। अब आई.पी.ज के लिए 78 दिनों के कंट्रीब्यूशन और छ: महीने की सर्विस की बात रह गई है।

(1125/RAJ/AK)

फैमिली के लिए एक साल और 156 दिन का कंट्रीब्यूशन रह गया है जो पहले डबल था। इसके बाद भी कोई समस्या होगी तो हम उसका समाधान करने का काम करेंगे। आपने जो ऑटो ड्राइवर्स के लिए कहा है, अगर वे हमारी परिधि में आ जाते हैं, तो उनको पूरी सहायता मिलेगी। मैं इतना ही कह सकता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री के. सुरेश, उपस्थित नही।

माननीय सदस्य सप्लिमेंट्री ले कर चले गए। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि अब इस वीक इनकी सप्लिमेंट्री नहीं जाएगी।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : यह सभी के लिए लागू रहेगा।

(इति)

(प्रश्न 203 एवं 218)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में 53 करोड़ श्रमिक ऑर्गनाइज्ड और अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर्स में काम करते हैं, जिनकी वजह से यह देश आगे बढ़ रहा है। मैं सभी को प्रणाम करता हूं। हमारे पिछले कार्यकाल में, मोदी सरकार में 1500 ऐसे कानून थे, जिनकी आज के दिन हमें जरूरत नहीं थी। …(व्यवधान) सौगत जी, अभी मैं आपके बारे में बोलता हूं, आप रुक जाइए।

ऐसे 1500 कानून थे, जिनकी आज के दिन जरूरत नहीं थी। ऐसे कानूनों को खत्म किया, उनकी वजह से 'ईज ऑफ डूइंग' में हमारा देश, आज 77 रैंक हासिल कर पाया है। ऐसे 44 कानून थे, जिनको वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि उन्होंने उनको चार कोड्स में डाल दिया है - the Code on Wages, the Code on Industrial Relations, the Code on Health, and the Code on Social Security.

मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि ऐसे 17 कानून थे, जो आज भी इस देश में 50 साल पुराने हैं और ऐसे पांच कानून हैं जो आज भी 70 साल पुराने हैं। मेरा मंत्री जी से यह सवाल है कि ये सारे कानूनों में बदलाव लाने के बाद, आज भी जो एमएसएमई सेक्टर है, जो लघु उद्योग है, अगर उसमें कहीं 100 कर्मचारी काम करते हैं तो जो एम्प्लॉयर्स हैं, वे उनको शो नहीं करते हैं। क्योंकि उनको 10 के बाद ईएसआई देना पड़ता है और 20 के बाद पीएफ देना पड़ता है। जब वे उनको शो नहीं करते तो अगर कोई एम्प्लॉई अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो वे उसको निकाल नहीं सकते हैं। हमारे कानून बहुत सख्त हैं और उसको अपना एम्प्लॉई शेयर देना पड़ता है। जब वे शो नहीं करते हैं तो हमें उसका नुकसान देखने को मिलता है कि जब पीएफ डिपार्टमेंट के लोग छापा मारने जाते हैं तो वहां पर भ्रष्टाचार बढ़ता है। क्योंकि वे सारे एम्प्लॉइज ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में नहीं आ पाते हैं, इसलिए उनको सोशल सिक्योरिटी का फायदा नहीं मिल सकता है। विपक्ष के लोग चिल्लाते रहते हैं कि एम्प्लाइमेंट नहीं बढ़ रही है, वह एम्प्लाइमेंट डाटा में भी रिकॉर्ड नहीं होता है। इसलिए हमारी सरकार ऐसे क्या कदम उठा रही है कि वे सारे श्रमिक जिनको एम्प्लॉयर्स शो नहीं कर रहे हैं, क्या

कुछ एम्प्लॉयर्स को इन्सेन्टिव देंगे या क्या ऐसे कदम उठाए जाएंगे कि वे 100 प्रतिशत जो लेबर अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, वे रिकॉर्ड में आ जाएं?

श्री संतोष कुमार गंगवार : सर, माननीय सदस्य जी ने ठीक बात कही है। इस समय 44 श्रम कानूनों को चार कोड्स में परिवर्तित किया जा रहा है। पहला कोड, 'मिनिमम वेजेज ऐक्ट' को 3 तारीख को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वह शीघ्र ही अगले सप्ताह सदन में आएगा।

माननीय सदस्य जो बता रहे हैं, वास्तव में इस दिशा में हमारी सरकार पूरी तरह से सक्रिय है और हम लोग उन मजदूरों की चिंता कर रहे हैं। प्रधान मंत्री जी ने एक योजना चलाई है, उसके तहत अब एम्प्लॉयर्स का 12 प्रतिशत अंश भारत सरकार दे रही है और इस कारण ईएसआई और प्रोविडेंट फंड में एक-एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि भी हुई है, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारी सरकार इस मामले में कितनी ज्यादा सक्रिय है।

(1130/IND/SPR)

हम इसमें और भी काम कर रहे हैं। हमने पिछले पांच वर्षों में महत्वपूर्ण विधायी संशोधन भी किए हैं, जैसे वेतन सीमा बोनस की पात्रता 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये कर दी है और आवश्यक संशोधन करके बैंक एकाउंट में सीधे पैसे जमा होता है और लाभार्थी को दिया जाता है। मैटरनिटी लीव को भी 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया है। 14 साल तक के बच्चों के लिए बाल श्रम पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है। इसके साथ-साथ ग्रेच्यूटी की सीमा भी 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की है। न्यूनतम मजदूरी में पिछले पांच वर्षों में करीब 42 परसेंट की वृद्धि हुई है। इसके हिसाब से हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक बात माननीय सदस्य चाहेंगे, तो हम बताने का काम करेंगे।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): अध्यक्ष जी, हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसके पास अपना घर हो। हमारे प्रधान मंत्री जी की योजना 'Housing for All' है। उसके तहत वर्ष 2022 तक इस देश के हर व्यक्ति को, हर श्रमिक को चाहे वह आर्गेनाइज्ड सैक्टर में काम करता है या अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में काम करता है, ऐसे 53 करोड़ श्रमिकों को उनका घर मिले, ऐसी

हमारी सरकार की योजना है। अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर के लिए बहुत सारी स्कीम्स आई हैं जैसे आयुष्मान भारत योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना, प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना आदि। आर्गेनाइज्ड सैक्टर में साढ़े सात करोड़ लोग काम कर रहे हैं, उन सब को भी अपना मकान मिले। जब हमारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब वर्ष 2003 में एक स्कीम आई थी। उसका पायलट प्रोजेक्ट उस समय के श्रम मंत्री डॉ. साहिब सिंह वर्मा जी ने शुरू किया था कि सारे आर्गेनाइज्ड सैक्टर में काम करने वाले लोगों को उनका मकान मिले।

माननीय अध्यक्ष : साहिब सिंह वर्मा जी ने इस सैक्टर में बहुत अच्छा काम किया था, निश्चित रूप से उन्हें याद करना चाहिए।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): अध्यक्ष जी, उस योजना में बहुत सारे लोगों को मकान दिए भी गए थे। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो लोग आर्गेनाइज्ड सैक्टर में काम कर रहे हैं और वे अपना प्रोविडेंट फंड जमा कराते हैं, क्या उनके लिए हम कोई हाउसिंग स्कीम लेकर आएंगे, ताकि उनके प्रोविडेंट फंड का जो इंटरेस्ट है, वह सीधे उनके मकान की किस्त में चला जाए और उनकी सैलरी का जो बहुत बड़ा हिस्सा उसके मकान के किराये में जाता है, वह उस किराये से बचें। जो मकान आज 30 लाख रुपये का या 40 लाख रुपये का है, जब वह व्यक्ति आज से 40 साल बाद रिटायर होगा, उस समय उस मकान की कीमत दो करोड़ रुपये के करीब हो जाएगी। आज यदि सरकार उसे मकान दे, इसमें सरकार का एक भी रुपया खर्च नहीं होगा, सारा पैसा एम्प्लाई का है, सारा पैसा एम्प्लायर्स का है, जो पीएफ में जमा हो रहा है। व्यक्ति को मकान मिलेगा, उनके पीएफ का जो ब्याज है, उससे उनके मकान की किस्त चली जाएगी।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2003 की स्कीम का क्या हुआ और क्या आर्गेनाइज्ड सैक्टर के लिए, जैसे सिंगापुर में जो भी श्रमिक है, हर श्रमिक को सरकार ने अपना मकान दिया है और वहां 86 परसेंट लोग सरकारी मकान में रहते हैं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप चिंता मत कीजिए, सिंगापुर से अच्छी सरकार अपनी चल रही है।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): अध्यक्ष जी, वह दिन कब आएगा, जब आर्गेनाइज्ड सैक्टर में रहने वाले साढ़े सात करोड़ लोगों को अपना मकान मिलेगा? क्या ऐसी कोई योजना पर सरकार काम कर रही है?

सौगत राय जी के लिए मैं कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सौगत राय जी के लिए टिप्पणी मत कीजिए। आप आसन के माध्यम से सवाल पूछें।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): अध्यक्ष जी, यह बात इसी से संबंधित है। जब उन्होंने एम्प्लायर के कंट्रीब्यूशन कम होने की बात कही, तो उन्हें यह भी कहना चाहिए कि एम्प्लायी का कंट्रीब्यूशन भी कम हुआ है। यदि वे सरकार के बारे में दो शब्द अच्छे बोलेंगे, तो उनका खाना भी पच जाएगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं आपको बधाई दे दूं। आप जितना गरिमापूर्ण इस सदन को चला रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना है कि प्रधान मंत्री मोदी जी अगले बीस साल तक आपको स्पीकर बनाए रखें।

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है। हम इसे जरूर एग्जामिन करेंगे और यह भी बताएंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि वर्ष 2022 तक देश में सभी को छत मिलेगी। मुझे लगता है कि यह शिकायत का मौका नहीं रहेगा और वास्तव में वर्ष 2022 के बाद कोई भी ऐसा परिवार नहीं रहेगा, जिसके पास छत न हो। हम माननीय सदस्य के सुझाव को एग्जामिन करेंगे और जो भी बात होगी, उसे निस्तारित करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 203 और 218 को क्लब कर रहे हैं।

श्री राजा अमरेश्वर नाईक – उपस्थित नहीं।

(1135/UB/VB)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, in the reply, the hon. Minister said that there is a pension scheme for the unorganised sector workers, shopkeepers, retails traders and farmers.

I would like the hon. Minister to explain how he proposes to identify these unorganised workers. Is there any scheme to enrol them? So far, there is no scheme. What is the basis on which the retail traders and farmers will be enrolled? I want to know whether the farmers will be land-owning farmers or people who are working in the farms. I would also like to know whether street vendors will also be included in this scheme.

श्री संतोष कुमार गंगवार: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य महोदया को बताना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने एक महत्त्वपूर्ण योजना लागू की है और इस योजना के तहत वे सभी व्यापारी, जिनका व्यापार डेढ़ करोड़ रुपये वार्षिक से कम है, वे सभी इस योजना के अतंर्गत आएंगे, जो आयकर नहीं देते होंगे, उनकी आयु 60 वर्ष होने के बाद उनको तीन हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। इसके लिए उनको केवल 50 रुपये प्रतिमाह जमा करना होगा। आयु के हिसाब से यह राशि बढ़ेगी। मुझे लगता है कि इस योजना को लोग पसंद कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन अब तक 30 लाख लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं।

मैं माननीय सदस्य महोदया को बताना चाहूँगा कि अगर आप इसमें कोई भी सुझाव देंगी, तो हम उसे निश्चित रूप से शामिल करेंगे और उसे पूरा करने का काम करेंगे।

(इति)

(प्रश्न 204 एवं 207)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य पहली बार सदन में चुनकर आए हैं।

श्री रेबती त्रीपुरा (त्रिपुरा पूर्व): माननीय अध्यक्ष जी, हम सभी जानते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरा मंत्री जी से यह प्रश्न है कि त्रिपुरा में भी ऐसे बहुत-से पर्यटन क्षेत्र हैं, जैसे उनाकोटी और त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर हैं। इसके अलावा, बहुत-से मन्दिर-मस्जिद हैं।

ऐसे धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए क्या सरकार की कोई योजना है?

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूँ और उनका अभिनन्दन करता हूँ, वे पहली बार प्रश्न पूछ रहे हैं। उन्होंने प्रश्न भी बहुत अच्छा पूछा है, जो नॉर्थ-ईस्ट के बारे में है। उन्होंने स्पेसिफिक त्रिपुरा के बारे में प्रश्न पूछा है।

वर्ष 2015-16 में अगरतला, सिपाही जिला, जिसकी बात वे कर रहे हैं, मेलाघर, उदयपुर, अमरपुर और तीर्थ स्थलों में मन्दिर घाट, जम्बूर, नरकेलगंज, घनचेरा, अम्बासा और पूर्वोत्तर पर्वत का विकास के लिए 99.50 करोड़ रुपये आबंटित हुए थे, जिनमें से 74.15 करोड़ रुपये रिलीज हो गये हैं।

वर्ष 2018-19 में, त्रिपुरा में सूरमाचेरी, उनाकोटी, जमई हिल्स, कनावती, भुवनेश्वरी, मातावारी, नीर महल, छोटा कोला और पिलख अवग्नचरा के विकास के लिए 65 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं। इसके लिए राज्य सरकार की डीपीआर का इंतजार हो रहा है। जैसे ही यह आ जाएगा, हम पैसे रिलीज कर देंगे।

श्री रेबती त्रीपुरा (त्रिपुरा पूर्व): सर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि अभी स्टेट गवर्नमेंट टूरिज्म को इम्पॉर्टेंस देकर काम कर रही है। जैसा कि अभी मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने फण्ड रिलीज करना शुरू कर दिया है। मेरा प्रश्न यह है कि नॉर्थ-ईस्ट में जितने भी पर्यटन क्षेत्र हैं, उनके विकास के लिए क्या कोई नई योजना है?

(1140/PC/KMR)

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने आपके माध्यम से बताया कि अभी बकायदा त्रिपुरा की दूसरी योजना प्रस्तावित है। जैसे ही राज्य सरकार हमको प्रस्ताव देगी, हम उसके लिए पैसा रिलीज़ कर देंगे। हमने अपनी तरफ से 65 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन और माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि जो मेले लगते हैं, उन मेलों को भी वर्ष 2016-17 में लगाया गया था। राज्य सरकार से हमारे पास कोई प्रस्ताव आएगा, तो हम उन मेलों को लगा सकते हैं। त्रिपुर सुंदरी मंदिर को भी इस सर्किट में रखा गया है, वह प्रसाद योजना में है। हमारे पास उसका भी प्रस्ताव आया है। जब उसका डीपीआर बनेगा, तब हम उस पर भी काम करेंगे।

श्री विजय कुमार दूबे (कुशीनगर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि नए सदस्यों पर आपका आर्शीवाद बराबर है। मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस देश के 25 राज्यों के 41 धार्मिक स्थलों पर पर्यटन के क्षेत्र में अपनी तमाम योजनाएं देकर इस देश का विकास कर के इस देश का पूरी दुनिया में मान बढ़ाने में विशेष योगदान दिया है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाहूंगा। कुशीनगर लोक सभा वह क्षेत्र है, जो इस देश के आखिरी छोर, नेपाल सीमा से लगा हुआ है। वहां केवल बौद्ध सर्किट एरिया नहीं, बल्कि तमाम पौराणिक और धार्मिक स्थल हैं, मसलन पथलेश्वर नाथ मंदिर, जिसके बारे में बताते हैं कि हज़ारों वर्ष पहले धरती माता की गोद से उत्पन्न हुए। इस देश में शायद सूर्य मंदिर बहुत कम हैं, शायद दो-चार ही हों। तुर्कपट्टी में सूर्य मंदिर है, बघई शक्ति धाम है। ये हज़ारों वर्षों का अपना पौराणिक इतिहास लिए हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, कुल मिलाकर इतिहास के पन्नों पर कुशीनगर का नाम तो अंकित है, लेकिन तमाम बौद्ध सर्किट एरिया और धार्मिक स्थल होते हुए भी इसका देश, प्रदेश और दुनिया में कहीं भी नाम नहीं है, तो उसका एक ही कारण है। 60 वर्षों से जिन लोगों ने इस देश का नेतृत्व किया, वे कुशीनगर लोक सभा क्षेत्र के इस पयर्टक स्थल या बौद्ध सर्किट एरिया का महत्व नहीं

समझ सके। ...(व्यवधान) भला हो इस देश की जनता का जिसने माननीय नरेन्द्र मोदी जी को दोबारा प्रधान मंत्री बनाया। ...(व्यवधान) उन्होंने इस क्षेत्र की महत्ता को समझकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देने का कार्य किया। ...(व्यवधान) मैं अपने यशस्वी लोकप्रिय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथजी महाराज को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लोक सभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश को मात्र तीन मेडिकल कॉलेज दिए, जिसमें से एक मेडिकल कॉलेज कुशीनगर जनपद को देने का कार्य उन्होंने किया है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि जिस क्षेत्र की महत्ता को समझकर माननीय प्रधान मंत्री जी और हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथजी महाराज ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और मेडिकल कॉलेज देकर इस क्षेत्र के धार्मिक स्थल और बौद्ध सर्किट एरिया के विकास को आगे ले जाने का लक्ष्य बनाया है, क्या माननीय मंत्री जी इस लक्ष्य को सार्थक रूप देने में अपने पयर्टन क्षेत्र का विशेष योगदान इस कुशीनगर लोक सभा क्षेत्र के लिए करेंगे? यदि करेंगे, तो कब तक करेंगे? मेरा दूसरा प्रश्न है ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज़ अब आप बैठ जाइए।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हमारे माननीय सदस्य नये हैं। वे पहली बार संसद में आए हैं। इनको धीरे-धीरे अनुभव हो जाएगा।

माननीय मंत्री जी, आप उत्तर दीजिए।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : आप वरिष्ठ सदस्य बैठे-बैठे बोल रहे हैं, क्या यह उचित है?

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : अध्यक्ष जी, धन्यवाद। मैं हमारे माननीय सदस्य का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्होंने पहली बार प्रश्न पूछा है। मैं वास्तव में पहले उनकी बात का जवाब दे दूं कि वर्ष 2016-17 में बौद्ध परिपथ के लिए 99.97 करोड़ रुपये, यानी लगभग 100 करोड़ रुपये आबंटित

हुए थे, जिसमें से हमने 45 करोड़ रुपये दिए हैं। इसलिए माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि वहां तेज गति से काम चल रहा है और वह समय सीमा के भीतर पूरा होगा।

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि क्या कोई धार्मिक परिपथ बनाया जाएगा। मैं आपके माध्यम से इस सदन और सदस्य महोदय से कहना चाहता हूं कि अभी आध्यात्मिक परिपथ है, रामायण परिपथ है, कृष्णा परिपथ है, बौद्ध परिपथ है, तीर्थंकर परिपथ है और एक नया सूफी परिपथ भी मंत्रालय ने लिया है।

(1145/SPS/SNT)

जितने सारे सांस्कृतिक क्षेत्र और जितने भी तरीके हो सकते हैं, इसमें उन सब को शामिल किया गया है। जहां तक उन्होंने सवाल के साथ ही अपनी बात में यह कह भी दिया है। प्रसाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश में पांच योजनाएं चल रही हैं, जो कि धार्मिक तीर्थ स्थल हैं। प्रसाद योजना के तहत हमारा मंत्रालय उसमें मदद करता है। जो भी प्रस्ताव राज्य सरकार से हमारे पास आएंगे, हम उनको पूरा करेंगे और समय के साथ पूरा करेंगे।

श्री विजय कुमार दूबे (कुशीनगर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और उनसे कुछ जानना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज आप बैठ जाइए। आपको एक बार मौका दे दिया गया है।

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Hon. Speaker, Sir, if you peruse the answer which has been given by the hon. Minister, he has essentially divided tourism into two categories – circuits and destinations. Each of these destinations has the potential of becoming a circuit on its own. The question which I would like to ask the hon. Minister is this. What is the reasonable basis of classification of tourism destinations into circuits and destinations, and does it not constitute a non-optimisation of the use of resource for the promotion of tourism?

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं और शायद उनको जानकारी भी होगी कि यूनेस्को ने कल ही जयपुर को वर्ल्ड हैरीटेज सिटी के तौर पर घोषित किया है। मुझे लगता है कि जब हम यह प्रश्न पूछते हैं तो हम को यह तय करना होता है कि पिछले पांच वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में जब सर्किट की कल्पना की गई तो मैं मानता हूं कि उससे अच्छा माध्यम नहीं हो सकता है। क्योंकि उसमें जो बात कही गई है कि राज्य केन्द्र के साथ मिलकर अपनी रिक्तता को पूरा करने का काम करेंगे। जिन स्थानों की बात कही है, जो मैंने स्थान बताए हैं और इस सर्किट के अलावा जो स्थान चिह्नित किए हैं, आप भी जानते हैं कि उनके लिए राज्यों के प्रतिनिधित्व की जरूरत है। राज्य जब कभी कोई मांग करता है, वह सर्किट से दूर है, उसकी दूरी ज्यादा है तो उसके दूर होने के कारण उस एरिया को हम आइडेण्टिफाई करते हैं कि यह हमारा स्थल है। मुझे लगता है कि सर्किट के बीच में भी वह आ सकता है। अगर राज्य सरकार चाहे तो उस को कनैक्ट करके अपनी सुविधाओं को बढ़ा सकती है। यही प्रसाद योजना का कारण है। हमारी दो योजनाएं हैं, एक प्रसाद योजना है और दूसरी स्वदेश दर्शन योजना है। हमने स्वदेश दर्शन योजना में सर्किट को लिया है। वे जैसी बात स्थलों की कर रहे हैं और प्रसाद योजना में यदि राज्य सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव देती है तो हम उसको करते हैं।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, in the reply, some circuits have been announced which cover Spiritual Circuit, Ramayana Circuit, Krishna Circuit, Buddhist Circuit, Tirthankar Circuit and Sufi Circuit. When I was the Chairman of the Railway Standing Committee, I placed and submitted a Report to the House. It consists of tourism promotion and pilgrim circuit, where we very broadly discussed this issue in particular. My question is whether the Government intends to induct Jyotirling Circuit, Jain Circuit, Christian circuit, Famous Temple Circuit and Sikh Circuit in the list to establish more religious tourism circuits.

Tourism is connected broadly with the Railway Ministry. If Railways do not extend their support, the tourism proposals cannot be fulfilled. So, my question is, whether the Minister of Tourism can make a coordinate with them and set up a committee to formulate and see that these proposals are implemented quickly. If necessary, I can give the Report to the hon. Minister. He can go through my Report.

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सुदीप जी सदन के काफी वरिष्ठ सदस्य हैं और मैं उनका सम्मान भी करता हूं।

(1150/KDS/GM)

उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं फिर भी अभाव रह जाता है। हमारे यहां 15 सर्किट हैं। बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट, जो समुद्र के किनारे हैं, डेजर्ट, इको परिपथ, विरासत, हिमालय, कृष्णा परिपथ, व उत्तर पूर्व नार्थ-ईस्ट एक अलग से परिपथ है। एक ग्रामीण परिपथ है, जो बिहार में गांधी जी की डांडी यात्रा को मिलाकर बना है। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक परिपथ, सूफी परिपथ, तीर्थंकर परिपथ, जनजातीय परिपथ और वन्य जीव परिपथ हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, ये जो 15 सर्किट हैं, जितने भी हमारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केन्द्र हैं, उनसे अलग हैं। मैंने अपने जवाब में यह बात भी कही थी। ज्योतिर्लिंगों की जो बात वह कर रहे हैं, जो भी हमारे पुरातन या प्राचीन धार्मिक प्रतिष्ठान हैं, जिनकी आयु के बारे में माना जाता है कि वे दुनिया में शीर्ष स्थानों पर हैं, उनके लिए हमने 'प्रसाद योजना' के तहत प्रावधान किया है। लेकिन जब राज्य सरकार हमसे कहती है, तब हम उसमें मदद करते हैं। जहां तक हमारी विरासतों का सवाल है, जो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, उन सबको इसमें शामिल किया गया है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): रेल के साथ को-ऑर्डिनेशन के बारे में क्या कहेंगे?

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, हम रेल और सड़क, दोनों के साथ को-ऑर्डिनेशन करते हैं। जब हम कहते हैं कि बीच के गैप को फुलफिल करना है, तो न केवल रेल मंत्रालय, बल्कि सभी मंत्रालयों जैसे रेल, सड़क परिवहन, विदेश मंत्रालय, और भी जो हमारे विभाग होते हैं, उन सबसे हम को-ऑर्डिनेशन करते हैं और मैं यह बात मानता हूं कि समन्वय जरूरी है।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न 207 माननीय श्री राजीव प्रताप रूडी जी का है। उसको इनकी सहमति से क्लब करें।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): महोदय, मैं इसमें सप्लीमेंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि आपने मुझे एक प्रश्न के बाद इसकी अनुमति दी है। यह इको टूरिज्म से संबंधित है। इसकी जो परिभाषा वर्ष 2002 की पॉलिसी में दी हुई है, वह संदर्भित है कि – 'Interface between Tourism and Nature.' फिर से उसे हिंदी में दोहराता हूं- 'पर्यटन और पर्यावरण के बीच में'। महोदय, इस प्रश्न में आपने जो उत्तर दिया है, मुझे लगता है कि बिहार के लोगों के लिए इको टूरिज्म नहीं है, क्योंकि मैंने जो प्रश्न किया था कि पूरे बिहार में पर्यटन के दृष्टिकोण से इको टूरिज्म में आपके पास प्रस्ताव है कि नहीं?, तो पूरे पत्र का आपने उत्तर तो दिया है, लेकिन बिहार में पर्यटन के नाम पर एक भी इको टूरिज्म नहीं है। इसे आपने संचिका में स्वयं देखा होगा।

महोदय, दुनिया भर में प्रसिद्ध डॉल्फिन, जिसे हम बिहार में 'सोस' कहते हैं। यह गंडक, घाघरा और गंगा में पाई जाती है। भारत में एक ही जिला सारण है, जो गंडक, घाघरा और गंगा के बीच में स्थित है। यह चिल्का झील में भी पाई जाती है। डॉल्फिन्स की संख्या 1500 है, जिसे देखने हम आर्मेनिया जाते हैं, बहरीन जाते हैं, जॉर्जिया जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं, इज़रायल जाते हैं। Dolphins are endangered species और वहां पर इसी कोने में गज-ग्राह है, गंडक है, घाघरा है। मुझे यह समझ नहीं आता है कि जब मैंने पहली बार मंत्री जी से प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था कि सर्किट बनाना जरूरी है। तब तो मुझे पता ही नहीं था कि इको टूरिज्म के लिए भी भारत में पैसा जाता है। आज मैंने प्रश्न के उत्तर में देखा कि भारत में अभी तक लगभग 500 करोड़ रुपये आठ राज्यों में गए हैं और मैं निरंतर सरकार से संवाद कायम करता रहा हूं कि इको टूरिज्म या जो

भी परिभाषा आप देना चाहें, बिहार में इको टूरिज्म के नाम पर आज तक एक भी रुपया नहीं गया है। यह कोई आरोप नहीं है।

महोदय, मैंने इसका केवल उदाहरण दिया है। डॉल्फिन जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, उसी कोने में पाई जाती है, वह भी टूरिज्म केन्द्र है। सोनपुर मेला भारत का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता था। माननीय मंत्री जी ने 1 तारीख को इसी सदन में उत्तर दिया था, जिसे मैं दिखवा लूंगा। मैं इस प्रकार की संचिकाओं को लेकर पूरे भारत में पिछले तीन सालों से घूम रहा हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि भारत सरकार के किस कार्यालय में जाकर ये संचिकाएं विलीन हो जाती हैं? 9 मार्च, 2018 को इसी प्रस्ताव को मैंने भारत सरकार को दिया था। जब भी मैं सरकार के मंत्रियों के अधिकारियों के पास जाता हूं तो हमेशा एक नया पन्ना खोलकर नया कानून बता देते हैं कि बिहार सरकार का यह प्रस्ताव भारत सरकार में लंबित है। इसका जो नाम बदलना हो, आप बदल दें। मैं इसे पटल पर रखना चाहूंगा। इसको आप इको टूरिज्म कर दें, रिलीजियस टूरिज्म कर दें या चाहे जो टूरिज्म कर दें, लेकिन बिहार के खाते में जो भी पैसा टूरिज्म के नाम पर जाना हो, वह जाना चाहिए। यदि एक मद इको टूरिज्म है, तो महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि सारण में होने वाला सोनपुर मेला, जहां इको टूरिज्म के दृष्टिकोण से दुनिया के सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली पर्यटक जाते हैं, को आपके माध्यम से मद प्रदान किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन हेतु विचार करना चाहें।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, श्री राजीव प्रताप रूडी बहुत वरिष्ठ सांसद हैं और मेरे मित्र भी हैं। उनके बहुत सारे पत्र मेरे पास हैं। मैं उन पत्रों की संख्या भी इनको बता सकता हूं। जो पत्र आपने लिखे थे, वे हमारे मंत्रालय से संबंधित नहीं थे। उन पत्रों को हमने संबंधित मंत्रालयों को भेज दिया है। इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए।

(1155/MM/RK)

दूसरी बात आपने कही कि इको टूरिज्म को लेकर बिहार का कोई प्रस्ताव है। एक सामान्य पत्र आया था, न डीपीआर आयी है और न वहां से कोई प्रस्ताव आया है। मुझे लगता है कि पिछली बार भी मैंने आपसे यह बात कही थी कि जो इको टूरिज्म के काम चल रहे हैं, जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं, उसमें उत्तराखण्ड, तेलंगाना और केरल है। ऐसा नहीं है कि यह तत्काल ही शुरू हुआ है, यह वर्ष 2015-16 से शुरू है। वर्ष 2015-16 में पहली बार उत्तराखण्ड को दिया गया था, तेलंगाना को दिया गया है, केरल को दिया गया है। मैं आपको अमाउंट भी बता सकता हूं, स्थान बता सकता हूं। …(व्यवधान) बिहार से सामान्य पत्र आया था, उसके जवाब में मैंने आपसे कहा है …(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): प्रश्न का उत्तर न देकर के बाकी विषय के बारे में दिया गया है …(व्यवधान)

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : महोदय, मुझे लगता है कि सदस्य के कोई कारण हैं तो वह कह सकते हैं, लेकिन मुझे आपके माध्यम से कहना है कि मैंने जवाब दिया है। मैंने पहले जवाब देखा था और जो वह कह रहे हैं, वह सही है। लेकिन उसके बाद जवाब में जो परिवर्तन आया, उसमें मैंने कहा है कि प्रस्ताव के रूप में एक पत्र आया है, अब उसको वह प्रस्ताव कह रहे हैं। अगर राज्य सरकार की तरफ से डीपीआर नहीं आएगी, तो आगे कार्रवाई नहीं होगी।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): महोदय, मैं सदन के पटल पर डीपीआर रख देता हूं। …(व्यवधान) सदन में प्राप्त होने के बाद …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज माननीय सदस्य।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): अगर अधिकारी उस डीपीआर को उपस्थापित नहीं करते हैं तो यह प्रिवलेज का मामला है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज माननीय सदस्य।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): अगर यह संचिका गलत है और अधिकारी इस संचिका के बारे में स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो यह प्रिवलेज का मामला है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज माननीय सदस्य। आप सप्लीमेंटरी में अपने प्रश्न का जवाब पूछ लीजिएगा।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : अध्यक्ष जी, अगर माननीय सदस्य को ऐसा लगता है कि उनको गुमराह किया गया है, अगर उनको लगता है तो वह पटल पर भी रख सकते हैं और मुझे भी दे सकते हैं। लेकिन मुझे जो जानकारी है, वही मैंने दी है।

श्रीमती हेमामालिनी (मथुरा): अध्यक्ष जी, हमारे देश में रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स बहुत हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में। रामायण और बुद्धिस्ट सर्किट के साथ-साथ कृष्णा सर्किट भी पांच साल पहले एस्टेब्लिश किया गया था। जिसमें मथुरा, वृन्दावन, गोवर्धन, बरसाना और नंदगांव शामिल हैं। यह भारतीय धर्म और संस्कृति के संरक्षण के लिए बहुत ही बढ़िया काम है, जिसकी वजह से बृज क्षेत्र के हमारे बहुत सारे युवाओं को नौकरी भी मिलती है। लेकिन यह कहने में बहुत ही संकोच हो रहा है कि पिछले पांच साल में काम कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, तेजी से भी नहीं हो रहा है और कुछ कहने लायक भी काम नहीं हुआ है। मैं यही जानना चाहती हूं कि कृष्णा सर्किट में तेजी से और समय पर काम खत्म करने के बारे में क्या सरकार ने कुछ सोचा है?

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि उत्तर प्रदेश में चाहे हमारा 'स्वदेश दर्शन' हो, चाहे 'प्रसाद' हो, बड़ी संख्या में वहां काम चल रहा है। हमारी कोई भी योजना राज्य सरकार के बगैर नहीं होती है। कृष्णा सर्किट में मथुरा का जुड़ना या वृंदावन का जुड़ना, हमने प्रसाद योजना में जरूर मथुरा और वृंदावन को लिया है, लेकिन कृष्णा सर्किट के काम की अभी समीक्षा चल रही है, क्योंकि चुनाव के उपरांत ऑडिट होना था कि जो पहले किश्त दी गई है, उसमें कितनी प्रगति हुई है, उस कारण से काम में जरूर रुकावट आई है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी, हम आगे की राशि रिलीज़ कर देंगे। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

…(<u>व्यवधान</u>)

(इति)

(प्रश्न 205)

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): स्पीकर महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और मंत्री जी को भी आपके माध्यम से बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत विस्तार से जवाब दिया है।

बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो और उस मंत्र को चरितार्थ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी जी की सरकार सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर्स एजुकेशन के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है। इस सरकार में बहुत सारा कार्य हो रहा है। हमारे प्रधान मंत्री और गुजरात के तत्कालीन मुख्य मंत्री जी गुजरात में थे तब उन्होंने शिक्षा में सुधार के लिए शाला प्रवेशोत्सव, कन्या किलोवड़ी महोत्सव और गुणोत्सव, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किया था। उसके बहुत अच्छे परिणाम आए थे।

(1200/SJN/PS)

उसमें नामांकन की वृद्धि हुई थी। ड्रॉप आउट रेसियो कम हुआ था और शिक्षण में सुधार आया था। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि हमारे इन तीनों कार्यक्रमों के तहत क्या शिक्षा में गुणवत्ता, उसमें नामांकन और ड्रॉप आउट में कमी हुई है या नहीं हुई है? अगर नहीं हुई है, तो गुजरात में जो कार्यक्रम है, उस तरह के कार्यक्रम को करने के बारे में क्या आगे हम कुछ सोचेंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक) : श्रीमान्, इन तीनों अभियान राष्ट्रीय सर्वशिक्षा अभियान, अध्यापकों के प्रशिक्षण और सर्वशिक्षा अभियान को जोड़कर एक समग्र शिक्षा के लिए किया गया है। यह वर्ष 2009-10 से था, लेकिन वर्ष 2018-19 में यह संपन्न हो गया है। इस क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता मिली है और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने गुजरात में जो अभिनव प्रयोग किए थे, वह हमने इस संबंध में शिक्षा के तहत समाहित किए हैं। उसी का परिणाम है कि जो सकल नामांकन अनुपात 2009-10 में 62.90 था, वह अब बढ़कर 79.28 पर चला गया है। यह 62 से लेकर लगभग 80 तक पहुंच गया है। सकल

नामांकन अनुपात विशेषकर बालिकाओं के बारे में जो चर्चा की गई है, वह वर्ष 2009-10 में 58.70 था, इस समय यह 80.51 से भी ऊपर चला गया है। सकल नामांकन अनुपात का जो शेष है, वह 67.70 से 78.20 तक पहुंच गया है।

श्रीमान्, यदि इन सबको देखें, तो यह काफी ऊंचाई पर गया है। वर्ष 2009-10 में जहां माध्यमिक में तीन करोड़ छात्रों की संख्या थी, इस समय उन छात्रों की संख्या तीन करोड़ चौरासी लाख है। हमने सर्वशिक्षा अभियान के तहत बहुत सारे अभिनव प्रयोग किए हैं। सर्वशिक्षा अभियान के अंदर शिक्षा के अधिकार अधिनियम को भी इससे जोड़ा है, जिसमें जो प्राइवेट स्कूल हैं, वे भी अनिवार्य रूप से 25 प्रतिशत बच्चों को प्रवेश देंगे और भारत सरकार उसकी प्रतिपूर्ति करेगी। इस समय वहां पर 41 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। यह दुनिया का एक अभिनव प्रयोग एवं अभिनव व्यवस्था है, जो सफलता की ओर बढ़ रही है।

(इति)

प्रश्न काल समाप्त

…(व्यवधान)

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष : मुझे कई माननीय सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने प्रश्न काल के समय यह व्यवस्था दी थी कि सभा पटल पर पत्र रखने के बाद मैं उन्हें बोलने का मौका दूंगा।

…(व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1202 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। श्री धर्मेन्द्र प्रधान ।

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF STEEL (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 10 of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948:-

(1) S.O.367(E) published in Gazette of India dated 22nd January, 2019 regarding royalty rates applicable for DSF Bid Round-I, DSF Bid Round-II and Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy together with a corrigendum thereto published in Notification No. S.O.1887(E) dated 31st May, 2019.

(2) S.O.1597(E) published in Gazette of India dated 16th April, 2019 regarding amendment of the Schedule of the Oilfields (Regulation and

Development) Act specifying the concessional rates payable in case of early commencement of the commercial production of crude oil, condensate and natural gas from the contract areas to be awarded under Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy.

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) केआईओसीएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) एमओआईएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) एमएसटीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2019 का संख्यांक 5) (निष्पादन लेखापरीक्षा) - एनएमडीसी लिमिटेड, इस्पात मंत्रालय का प्रचालनात्मक निष्पादन के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI SANJAY DHOTRE): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Assam Sarba Siksha Abhiyan, Guwahati, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarba Siksha Abhiyan, Guwahati, for the year 2017-2018.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan State Mission Authority Manipur, Imphal, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan State Mission Authority Manipur, Imphal, for the year 2016-2017.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the State Bank of India Employees' Provident Fund (Amendment) Regulations, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. HR/PPG/PA/19-20/112 in Gazette of India dated 1st June, 2019 under sub-section (4) of Section 50 of the State Bank of India Act, 1955.

(2) A copy of the Notification No. G.S.R.98(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 7th February, 2019, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 8/2016-Cus., dated 5th February, 2016 under Section 159 of the Customs Act, 1962.

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 296 of the Income Tax Act, 1961:-

(i) The Income-tax (15th Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.76(E) in Gazette of India dated 30th January, 2019, together with an explanatory memorandum and corrigendum

thereto published in Notification No. G.S.R.93(E) dated 5th February, 2019.

(ii) The Income-tax (3rd Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.304(E) in Gazette of India dated 12th April, 2019, together with an explanatory memorandum and corrigendum thereto published in Notification No. G.S.R.347(E) dated 3rd May, 2019.

(iii) The Income-tax (4th Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.375(E) in Gazette of India dated 22nd May, 2019, together with an explanatory memorandum.

(4) A copy of the Prohibition of Benami Property Transactions (Conditions of Services of Members of Adjudicating Authority) Rules, 2019(Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.379(E) in Gazette of India dated 27th May, 2019 under Section 69 of the Benami Transactions (Prohibition) Amendment Act, 2006, together with an explanatory memorandum.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Public Finance and Policy, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Public Finance and Policy, New Delhi, for the year 2017-2018.

(6) A copy of the Statement (Hindi and English versions) of the Market Borrowings by Central Government during 2018-2019.

(7) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

(i) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Report No. 1 of 2019) (Department of Revenue-Direct Taxes)-Assessment of Assessees in Entertainment Sector for the year ended March, 2018.

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil)(Report No. 8 of 2019)(Niti Aayog)-Audit of Preparedness for the Implementation of Sustainable Development Goals.

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका सिंह सरुता) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

> "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 4th July, 2019 agreed without any amendment to Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2019 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 2nd July, 2019."

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 48वें प्रतिवेदन में अतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते) : महोदय, मैं इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'इस्पात पीएसयू में सीएसआर गतिविधियां' के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 48वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति सभा पटल पर रखता हूं।

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 307वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य - सभा पटल पर रखा गया

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 302वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर समिति के 307वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति सभा पटल पर रखता हूं।

(1205/RC/GG)

BUSINESS OF THE HOUSE

1205 hours

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): With your permission, I rise to announce that the Government Business during the week commencing Monday, the 8th July, 2019 will consist of:-

1. General discussion on the Union Budget for 2019-20.
2. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the New Delhi International Arbitration Centre Ordinance, 2019 (Ordinance No.10 of 2019) and consideration and passing of the New Delhi International Arbitration Centre Bill, 2019.
3. Discussion and Voting on Demands for Grants of the following Ministries for 2019-20:-

1. Road Transport and Highways
2. Railways
3. Rural Development and Agriculture and Farmers Welfare
4. Youth Affairs and Sports

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the following two items may also be included in the List of Business of this week commencing from today, the 8th July, 2019:

1. Alleged negligent attitude of the nationalised banks in complying with the decision of the high-level meeting convened by the Chief Minister of Kerala, in resolving the crisis of cashew industry in State.
2. Revival of NTC Mills in the country and Parvathy Mills Kollam in particular.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I too would like to propose the following two additional items:-

1. An update on the privatization of the Trivandrum International Airport, with a clarification on the part of the Government on the exact process which will be followed for this purpose keeping in mind the best interest of the State.
2. An urgent action package required to arrest the devastating effects of widespread coastal erosion in Thiruvananthapuram.

श्री अजय कुमार (खीरी): अध्यक्ष महोदय, इस सप्ताह की कार्य-सूची में निम्निलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए: -

1. आयुष्मान भारत योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी राजयों के सभी चिकित्सालयों को पैनल में शामिल करने पर विचार किया जाए।
2. लखीमपुर जनपद में खाली पड़ी शत्रु सम्पत्ति (पुराना एस.पी. आवास क्षेत्र) जो अब भारत सरकार की सम्पत्ति है, को नियमानुसार एक प्रेक्षागृह, जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का स्मारक व पुस्तकालय बनाने पर विचार किया जाए।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): अध्यक्ष महोदय, इस सप्ताह की कार्य-सूची में निम्निलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए: -

1. बुन्देलखंड कृषि आधारित क्षेत्र है। अत: टीकमगढ़ में कृषि आधारित उद्योगों तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि रोजगार के अवसरों का सृजन हो सके
2. बुन्देलखंड में सागर जिले के हीरापुर से ले कर छतरपुर के किशनगढ़ तक फैले हुए पहाड़ों में लोहे की मात्रा काफी अधिक है, अत: सर्वे कराकर स्टील कारखाना लगाए जाने की आवश्यकता है।

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): अध्यक्ष महोदय, इस सप्ताह की कार्य-सूची में निम्निलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए: -

1. नागौर जिला मुख्यालय पर स्थित हवाई पट्टी का विस्तार करते हुए हवाई सेवा शुरू करने पर विचार किया जाए।
2. नागौर संसदीय क्षेत्र में मेथी व अन्य मसालों की उत्पादकता को देखते हुए राष्ट्रीय मसाला मंडी स्वीकृत करने पर विचार किया जाए।

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): अध्यक्ष महोदय, इस सप्ताह की कार्य-सूची में निम्निलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए: -

1. मेरा संसदीय क्षेत्र लातूर विगत 10 साल से सूखे एवं पेयजल की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। भयंकर सूखे के कारण यहां की कृषि व्यवस्था पूरी तरह ठप्प हो गई है। इस क्षेत्र की पेयजल समस्या का स्थायी हल करने के लिए एक नई पेयजल नीति के निर्माण एवं उसके कार्यान्वयन की आवश्यकता है।
2. मुंबई से लातूर के लिए एक रेल शुरू हई थी और बाद में इसे आगे बीदर तक के लिए बढा दिया गया था। यह गाड़ी पीछे से पूरी तरह पैक हो कर आती है तथा लातूर के लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को बैठना तो दूर खड़े होने तक की जगह उपलब्ध नहीं होती। भारी भीड़ के कारण लातूर गाड़ी में चढने में भी परेशानी होती है। इसलिए लातूर से मुंबई एक डेली स्पेशल ट्रेन शुरू करने की अति आवश्यकता है।

(1210/SNB/KN)

STATUTORY RESOLUTION RE: INSERTION OF NEW TARIFF ITEM BY AMENDING FIRST SCHEDULE TO CUSTOMS TARIFF ACT

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर, 11 श्री अनुराग ठाकुर।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): Sir, on behalf of Shrimati Nirmala Sitharaman, I beg to move:

> "In pursuance of section 8A(1) of the Customs Tariff Act, 1975, read with sub-section (3) of section 7 of the said Act, this House hereby approves of notification No. 5/2019-Customs dated 16.02.2019 (G.S.R 124 (E) dated 16th February, 2019) which seeks to amend the First Schedule of the Customs Tariff Act so as to insert new tariff item 9806 00 00 under Chapter 98 of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 to prescribe 200% customs duty on all goods originating in or exported from the Islamic Republic of Pakistan."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उप-धारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क (1) के अनुसरण में, यह सभा एतद्द्वारा 16.02.2019 की अधिसूचना सं. 5/2019-सीशु [सा.का.नि. 124 (अ) दिनांक 16 फरवरी, 2019] जिसका आशय पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सभी वस्तुओं पर 200 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाने हेतु सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय-98 के अंतर्गत नए टैरिफ मद 9806 00 00 का समावेश करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में संशोधन करना है, का अनुमोदन करती है।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

STATUTORY RESOLUTION RE: INCREASE IN BASIC CUSTOMS DUTY

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर, 12 श्री अनुराग ठाकुर।

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: Sir, on behalf of Shrimati Nirmala Sitharaman,

I beg to move:

> "In pursuance of section 8A(1) of the Customs Tariff Act, 1975, read with sub-section (3) of section 7 of the said Act, this House hereby approves of notification no. 16/2019-Customs dated 15.06.2019 (G.S.R. 425 (E) dated 15th June, 2019) which seeks to increase the basic customs duty on the following goods:-
>
> 1. Lentils (Mosur) (0713 40 00) from 40% to 50%
> 2. Boric acid (2810 00 20) from 17.5 per cent to 27.5% and
> 3. Other diagnostic and laboratory reagents (3822 00 90) from 20% to 30%."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उप-धारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क (1) के अनुसरण में, यह सभा एतद्द्वारा 15.06.2019 की अधिसूचना सं. 16/2019-सीशु [सा.का.नि. 425(अ) दिनांक 15 जून, 2019] जिसका आशय निम्नलिखित वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क में वृद्धि करना है, का अनुमोदन करती है:-
>
> क) दालें (मसूर) (0713 40 00) 40% से 50%,
>
> ख) बोरिक एसिड (2810 00 20) 17.5% से 27.5%, और
>
> ग) अन्य डायग्नोस्टिक तथा लेबोरेटरी रिजेन्ट्स (3822 00 90) 20% से 30%।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पुर:स्थापित किए जाने वाले विधेयक। आइटम नंबर, 13 डॉ. हर्ष वर्धन।

…(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, it was promised by you that it would be taken up after …(*interruptions)* सर, बाद में कीजिए। हमें बोलने दीजिए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इसके तुरंत बाद दीजिए।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, हम विरोध करेंगे।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप विरोध कर देना।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, बाद में कीजिए। आपने वायदा किया था।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने जो वायदा किया है, मैं निभाऊँगा। मैंने व्यवस्था दी है कि सदन के पटल पर रखने वाले पत्र के बाद मैं आपको बोलने दूँगा।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, आठ विधेयक पारित करना है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको व्यवस्था दे रखी है। माननीय सदस्य प्लीज। मैंने नाम बोल दिया है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे चुका हूँ। इसके बाद। आप बोलिए।

डॉ. हर्ष वर्धन।

…(व्यवधान)

DNA TECHNOLOGY (USE AND APPLICATION) REGULATION BILL

1212 hours

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (SHRI HARSH VARDHAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the regulation of use and application of Deoxyribonucleic Acid (DNA) technology for the purposes of establishing the identity of certain categories of persons including the victims, offenders, suspects, undertrails, missing persons and unknown deceased persons and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि कतिपय प्रवर्ग के व्यक्तियों की, जिसके अंतर्गत पीड़ित, अपराधी, संदिग्ध विचारणाधीन, लापता व्यक्ति और अज्ञात मृत व्यक्ति भी है, पहचान स्थापित करने के प्रयोजनों के लिए डिआक्सीराइबो न्यूक्लीक एसिड (डीएनए) प्रौद्योगिकी के प्रयोग और लागू होने के विनियमन का उपबंध करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I have submitted a notice for opposing the introduction of this Bill …(*interruptions)*

(1215/RU/CS)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I have submitted a notice in a proper manner for opposing the introduction of the DNA Technology Regulation Bill. …(*Interruptions*)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, I have given a notice of Adjournment Motion. The House should be adjourned to discuss the matter which I have mentioned. …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please sit down.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए। मैंने आपको व्यवस्था दी थी। मैंने कहा था कि सदन के पटल पर और विधेयक को सभा में रखने के बाद मैं आपको और इनको बोलने की परमीशन दूँगा। मैं यह व्यवस्था दे चुका हूँ।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, वह अलग बात है।…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Dr. Shashi Tharoor.

… (*Interruptions*)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, if you are going to go ahead with the introduction of the Bill, then I have the right to oppose it. I have given the notice in time but that is under Item No. 13 but I also support the request of our leader that before we get into the eight Bills, you should allow him to speak on a matter of urgent public importance and then we may come to this. But then if you are going to go ahead, I would like to object as is my right. Is that okay, Sir?

Sir, I rise to oppose the introduction of the Bill listed against Dr. Harsh Vardhan.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप उस पर नहीं बोलें। मैं उस पर आपको व्यवस्था दे रहा हूँ। पहले इस पर बोल लें।

श्री अधीर रंजन चौधरी जी।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, किस पर बोलें?

माननीय अध्यक्ष : आप आइटम नम्बर 13 पर बोलें।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, हम अपनी पार्टी का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। Sir, I would like to flag the attention of you and the entire august House.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप पहले आइटम नम्बर 13 पर बोल रहे हैं?

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मैं एडजर्नमेंट मोशन पर बोल रहा हूँ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उस पर इसके बाद बोलिए। उसकी मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। आप आइटम नम्बर 13 पर बोलना चाहते हैं, तो बोलें।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I am opposing the introduction of DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill, 2019.

Our country has been progressing and we need to resort to various applications of modern technology. There is no doubt about it. I also admit the fact that the hon. Minister has tried to present a comprehensive Bill.

However, I would like to inform him that there is a gap between the cup and the lip. First of all, you are going to violate the fundamental rights of the people of our country because you have proposed DNA testing of undertrials in

a compulsory manner. Rather, it is a mandatory provision which you have inserted in the Bill which is contrary to the fundamental rights of an individual.

Therefore, we find no alternative but to oppose the introduction of the flawed legislative document. The reasons are as follows. It inadequately regulates use of DNA in civil matters as it is silent on consent, storage and removal of profiles. It does not assert individual rights such as right to notification of storage, right to appeal and challenge storage of DNA samples.

It does little to address the capacity constraints of the law enforcement agencies, and neither does it provide a roadmap towards building capacity. The proposed regulatory board is too powerful and its functioning is too opaque. The proposed cost of the project is highly underestimated forcing one to wonder if an adequate cost benefit analysis was carried out.

मंत्री जी, अंडरट्रायल्स वाले भी तो हमारी आम जनता है। अंडरट्रायल जब तक कन्विक्टेड नहीं होगा, आप उनका डीएनए ले लेंगे, उसके बाद क्या होगा।

(1220/RV/NKL)

आप कहते हैं कि बाद में कोर्ट में जाओ, लेकिन जब आप डी.एन.ए. को कलेक्ट करते हैं तो उसे कलेक्ट करने के पहले ही आप कोर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं मुहैया कराते? मैं प्रपोज करता हूं कि डी.एन.ए. टेस्ट के बारे में जो कंसर्न है, वह कोर्ट के ऑर्डर की हैसियत से हो। आप कहते हैं कि बाद में कोर्ट का ऑर्डर लेकर इसका रिमूवल किया जाए, पर हम चाहते हैं कि यह पहले हो।

सर, ये जो आम लोगों के ऊपर स्टिग्मा लगाना चाहते हैं, यह सरासर हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I too have similar but additional concerns. This Bill, first of all, risks indeed, as Shri Adhir Ranjan Chowdhury has said, the concern of data profiling and the institution of a surveillance state against the ordinary person in this country. But far more troubling, procedurally, is this. There is a Supreme Court's judgment in the Puttuswamy case on privacy after which the Government promised to bring a Data Protection Law which would guarantee the protection of all the data of the citizens. DNA is also data. How can you pass the DNA Bill first when you do not have a Data Protection Law yet? Clearly, the Data Protection Law must be the basis and the DNA Bill must be in consonance with such a Data Protection Law. He is putting the cart before the horse. He must take the cart back, bring a good horse, and then, we can see….(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

DR. HARSH VARDHAN: Sir, I wish to inform the hon. Members, through you, that all these concerns which have been talked about and raised here, I do not think there is any serious substance in them. When we discuss this Bill, each and every concern will be addressed. That is number one.

Secondly, I would like to inform them that this Bill was passed in the last Lok Sabha also. This Bill was conceived at the time when the NDA Government was in power earlier during Atal*ji*'s regime. For 10 years, their Government also discussed this Bill. They got it scrutinised through every possible forum. It was only that in those 10 years, it was never passed. Then we took it up in 2014. We got it scrutinised through all forums including the Parliamentary Standing

Committee, Law Commission, Law Department and every possible place. Then, it was brought here. We had a good quality discussion here and then it was passed in Lok Sabha. It has been brought again because it could not become a law. It could not be sent to the Rajya Sabha because of paucity of time. So, I promise that when we discuss this Bill in this House, we will address each and every issue that has been raised by them....(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि कतिपय प्रवर्ग के व्यक्तियों की, जिसके अंतर्गत पीड़ित, अपराधी, संदिग्ध विचारणाधीन, लापता व्यक्ति और अज्ञात मृत व्यक्ति भी है, पहचान स्थापित करने के प्रयोजनों के लिए डिआक्सीराइबो न्यूक्लीक एसिड (डीएनए) प्रौद्योगिकी के प्रयोग और लागू होने के विनियमन का उपबंध करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

DR. HARSH VARDHAN: Sir, I introduce the Bill.

UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT BILL

1223 hours

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): Hon. Speaker Sir, on behalf of my colleague, Shri Amit Shah, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी के बोलने के बाद व्यवस्था दे रहा हूँ।

…(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I rise to oppose the introduction of the Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अगर कोई भी माननीय सदस्य इस विषय पर बोलना चाहता है तो इसके लिए नोटिस दिया जाता है, हाथ खड़ा नहीं किया जाता है। यह ज़ीरो आवर नहीं है, प्रश्न काल नहीं है। अगर आपका नोटिस होगा तो आपको बोलने का मौका दिया जाएगा।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Sir.

Sir, under Rule 72 (2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I rise to oppose the introduction of the Bill – The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019 – on the following four grounds.

Number one is regarding the original Act of 1967. The sole purpose or the intent of the Bill is to address the issues and prevent unlawful actions done by the associations or organisations. Now, the Government, by the new amendment, is proposing to bring in the individuals, for which new clause 4 of the Schedule is to be incorporated which is against the basis of the legislative principle. The original Act is just to address the issue in respect of the organisations and associations which are involved in terrorist activities.

Number two, the proposed amendment to Section 35 is in violation of the fundamental right – Right to life and personal liberty guaranteed in Article 21 of the Constitution, and it will not come within the purview of Article 22 of the Constitution in which exemptions are being stated.

Three, it is against the directions of the Supreme Court in cases related to TADA and POTA. There are various other judgments also which I am not quoting.

Four, the Statement of Objects and Reasons is very vague. It is indefinite. It is unclear. I fully support the view that terrorism and anti-national activities have to be dealt with very stringently and very seriously. We can never compromise our national security. The integrity of our country can never be compromised.

(1225/SRG/MY)

But in the name of terrorism, the basic Fundamental Rights of the citizens can never be curtailed. We have the experience of POTA; we have the experience of TADA. From 1985 to 1995, the TADA law lapsed on its own. For

POTA, I also participated in the discussion in the Joint Session. POTA was passed in 2002. It is a very, very valid point. POTA was passed in 2002 and it was repealed in 2004 at the time of the UPA Government. My point is: why had it been so? There was misuse and abuse of the excessive power by the Executive. …(*Interruptions*). The individuals are being targeted and charged under the previous laws of TADA and POTA. Here, what is the case? Schedule 4 is being incorporated. As per Section 35, Clause 2, which is the proposed amendment, a Schedule will be incorporated under which any individual can be declared as a terrorist. What is the procedure? What are the criteria? It means unfettered discretionary authority is being provided to the Government so as to take away the right of life and personal liberty guaranteed under Article 21 of the Constitution. In the Statement of Objects and Reasons, it is mentioned that the National Investigating Agencies are finding it very difficult to investigate the cases and also prosecute the cases of terrorism. What are the difficulties?

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और सदन के विद्वान सदस्य भी हैं। बिल इंट्रोड्यूस के समय अगर आपको किसी विषय पर विरोध करना है तो आप बोल सकते हैं, लेकिन जब विधेयक पर चर्चा होगी तो आप डिटेल में बात करें और यही सदन में होना चाहिए।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I am only raising the technical objections. The difficulties being faced by the National Investigating Agencies are not known to the Parliament. It is not mentioned in the Objects and Reasons. In order to overcome the difficulties faced by the National Investigating Agency, this amendment is being brought in. What are the difficulties? The House is in darkness. Under the Schedule, any person can be declared as a terrorist. So,

it is violation of Article 22 and it will not come within the purview of Article 22. Hence, I strongly oppose the introduction of Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill.

HON. SPEAKER: Dr. Shashi Tharoor

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I am sorry to have to oppose yet another Bill because these are very ill-considered and hasty bills that have been brought to the House. Let me stress that Unlawful Activities (Prevention) Act enables the Government only to ban organizations and associations. It is meant to be used against a collective and not against individuals. Actually, if there is a lone wolf terrorist, you have ample powers to arrest him. You have plenty of ways to deal with these people. You can seize their properties also. If it is a Global terrorist recognized by the UN Security Council, then you can incorporate them under the 2007 UN Order, which is read with Section 51A. Why do you want to use UAPA to declare an individual a terrorist? Let the Minister give us examples of terrorists who are not members of banned organizations, due to which we need such a law. As my colleague has pointed out, the Bill really opens up a great deal of scope for misuse.

Secondly, once a person is unilaterally declared a terrorist by the Government, the burden is shifted on to the individual to prove his innocence before a Review Committee. The organization can do it. How can an individual do it? …(*Interruptions*).

Thirdly, there is a Pre-Legislative Public Consultation Policy, 2014 under which the Minister is supposed to undertake a public consultation. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप किस नियम के तहत बोलना चाहते हैं?

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदय, नियम 72(1) है। इन्होंने 72(2) क्वोट किया, वहीं 72(1) है। वह यह कहता है कि:

> "Where a Motion for leave to introduce the Bill is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon."

, यहां तो फुल डिस्कशन हो रहा है। लेजिस्लेटिव काम्पिटेन्स के अलावा आप किसी पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। यह सभा लेजिस्लेटिव काम्पिटेन्स के ऊपर है। हम बिल बनाने के अधिकार पर हैं और उसमें केवल अमेन्डमेन्ट हो रहा है। यह बिल तो ऑलरेडी बना हुआ है, केवल इसमें अमेन्डमेन्ट हो रहा है, इसलिए इस तरह का डिस्कशन नहीं हो सकता है। वे इंट्रोडक्शन का सपोर्ट कर सकते हैं या विरोध कर सकते हैं।

(1230/KKD/CP)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I have not given my notice under Rule 72(1). I have a copy of my letter, which says about Rule 72(2).

माननीय अध्यक्ष : ठीक है माननीय सदस्य, आप बोलिए।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, let me quickly give my third objection. I have three objections. The third objection is as following:

1. That the Minister did not undertake a public consultation as required under the Pre-legislative Consultation Policy, 2014.

2. There is no attempt to improve the due process requirements under the law to prevent the abuse of these powers.

Sir, in 1967, when the UIPA was first adopted, a very distinguished Member, whom you admire, Sir, said the following:

> "We cannot agree to this Bill because any activity, which is not tolerable to the Government could be called to account by giving inelastic definition of anti-national activity. "

Sir, that was Shri Atal Bihari Vajpayee, who said so. Sir, please ask this Government to listen to Shri Atal Bihari Vajpayee's views, and take this Bill back.

माननीय अध्यक्ष : श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर, क्या आप बोलना चाहते हैं?

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Yes, Sir.

I very strongly oppose the introduction of this Bill. This Bill is really against the Constitution of India. This Bill tantamounts to curbing of the Fundamental Rights, which have been guaranteed by the Constitution of India.

Similarly, this Bill gives extra-Constitutional powers to the Government and the officers to resort to victimisation and do things according to their will and pleasure.

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, प्लीज आप बैठ जाइए। मैं फिर माननीय सदस्यों को व्यवस्था दे रहा हूं कि बिल इंट्रोड्यूस करते समय आप संक्षिप्त में विरोध कर सकते हैं। जब विधेयक पर पूरी चर्चा हो, तब अपनी बात कहनी चाहिए। विधेयक की पूरी चर्चा पर आप जितनी चाहें उतनी बात कहें। अगर संक्षिप्त में कोई विषय है, तो उसे ध्यान में डालिए।

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): I fully agree with you, Sir.

As correctly mentioned by my learned friends, we have had the experience of this UAPA Act. Hundreds of thousands of youths are languishing in Indian jails. Even after five years, after ten years, the charge-sheets have not even been filed against them.

Similarly, we all know that officers are getting extra-ordinary powers, which they are misusing. So, I am of the opinion and it is my humble suggestion that the Government must withdraw this Bill. They must withdraw the original parent Act also with immediate effect.

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): Sir, a number of objections have been raised on the introduction of this Bill. There are concerns. The hon. Home Minister knows as to what is happening in the country and how much misuse is taking place using this law. Actually, by missing this UAPA law, a large number of individuals have been detained without any trial. This law is not to give punishment. This law is to detain people. Anybody can be detained and put behind bars by using this law. So, it is being misused. Many people are behind bars by misuse of this law. Everybody knows the story. So many cases are going on. Such is the situation. That is why, there are objections from this side.

So, there should be some explanation to be given by the Government that it will not be misused.

Not only that, while giving more powers to the investigating agency, there is no assurance that it will not be misused, in future.

Actually, Sir, this amendment is against the Fundamental Rights that are guaranteed in the Constitution. That is why there is so much of objections on the introduction of this Bill.

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं। आप सब तालियां बजाइए, क्योंकि मंत्री जी पहली बार सदस्य बने हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं संसद को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार टेररिज्म के विषय पर जीरो टॉलरेंस के साथ काम करने वाली है। इसके लिए जो भी कदम उठाना है, हमारी सरकार उसे उठाएगी। जो अभी प्रश्न उठाए, यह बिल नहीं है, बिल में अमेंडमेंट्स हैं। As on date, there is no provision in the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 or in any other legislation to designate individual terrorist under Indian legal system; and to meet international obligations, it is proposed to add Fourth Schedule and insert the necessary enabling provisions in the relevant Section of the Unlawful Activities (Prevention) Act.

(1235/NK/RP)

अध्यक्ष जी, मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, अलग-अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनस हैं, उसके ऊपर निषेध या बैन करने के बाद कुछ लोग बाहर आकर अलग-अलग संस्था खोल लेते हैं, इंडिव्जुअली काम कर रहे हैं। आपको मालूम है, ऐसा पहली बार नहीं है। यूनाइटेड नेशन्स ने भी लश्कर-ए-तैयबा के चीफ और जमाते चीफ हाफिज मोहम्मद को इंडिव्जुअल टेररिस्ट घोषित किया। पुलवामा की घटना में जो इन्वोल्व थे, उन्होंने घोषणा की कि हम ही पुलावमा घटना के लिए जिम्मेदार हैं, हमने ही किया है। जैश-ए- मोहम्मद के चीफ पुलवामा अटैक की घटना के पीछे थे। मौलाना मसूद अजहर को भी यूनाइटेड नेशन ने इंडिव्जुअल टेररिस्ट घोषित किया है। हमें क्या आपत्ति है? हमारे देश को क्या आपत्ति है? मैं पहले बताना चाहता हूं कि यह बिल केवल इंन्ट्रोडक्शन है। आप चर्चा के समय जरूर बात कीजिए, हम जवाब देंगे, हम तैयार हैं। हम टेररिज्म के विषय पर

कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम यह विश्वास दिलाना चाहते हैं। किसी भी गैर-जिम्मेदार व्यक्ति को इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार केवल टेररिस्ट के खिलाफ है, इनोंसेंट पर्सनस को कोई भी प्रॉबल्म नहीं होगी। हम इस काम को पूरा करेंगे। मैं आपके माध्यम से सांसद महोदय ने जो सवाल उठाया है, आदरणीय सांसद जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन में जो भी समस्याएं उठाएंगे, हम उसका जवाब देने को तैयार हैं।

दूसरा, एक और विषय है, आपने पहले किसी को नहीं बताया । A pre-legislative consultation was done. This draft amendment Bill was uploaded on the Ministry's website on 19th December, 2016. The suggestions received have been duly considered and examined. यह सजेशन लीगल डिपार्टमेंट गया, होम डिपार्टमेंट गया, उसके बाद वेबसाइट पर जनता के सामने रखने के बाद जितने भी सुझाव आएं, हम उन सुझावों पर लेकर बिल लाये हैं। यह जल्दबाजी में कार्य करने वाली सरकार नहीं है। हमारी सरकार जिम्मेदारी के साथ कार्य करने वाली सरकार है।

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): यदि इसे वापस लेना है तो मौका दीजिए, इसमें इनका विरोध रिकार्ड पर अच्छा नहीं रहेगा।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य क्या आप अपना विरोध वापस लेना चाहते हैं?

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): नहीं।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): Sir, I introduce the Bill.

NATIONAL INVESTIGATION AGENCY (AMENDMENT) BILL

1238 hours

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): On behalf of Shri Amit Shah, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the National Investigation Agency Act, 2008.

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। "

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): Sir, I oppose the introduction of this Bill on the same principle as I said earlier. When you widen the powers of these investigation agencies, there should be a limit to that. There should be some kind of checkes and balances on them. Nobody is against the national security. There is no doubt about that. We all should be united on that issue. But there should be some checke and balances or guarantee. When you widen their powers or give them powers to investigate even outside India, there should be a guarantee that these powers would not be misused. They can be given. There is no objection on that. That is the fundamental principle which is applying here also.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, again there are three procedural concerns which are very serious. First, they are introducing a Bill which removes the mandate to constitute Special Courts and are designating existing Sessions Courts to double up as Special Courts.

(1240/RCP/SK)

You can imagine that our system is so clogged already; there is such a backlog. The Law Minister is constantly explaining to this House as to how many cases are backlogged in this country. Now you are only adding more cases to our clogged system. What is the point of this amendment? The Bill is actually not based on any logical approach. We need Special Fast Track Courts to hear terror cases; that is fine. But the Bill does not propose that.

Secondly, the Special Court Judges to hear terror cases are normally, specially selected by the Chief Justice of a High Court after a request is made by the NIA. But the Bill basically removes this procedure.

Thirdly, it is a completely piecemeal legislation because it ignores the fundamental problem in the NIA that NIA Prosecutors have talked about, which is its lack of independence, especially in the area of prosecution. The Former Special Prosecutor, you would remember, said that she had been pressured to go soft on those accused of committing the bomb blast in Malegaon. So, the Government has also not filed an appeal on the acquittals in the Samjhauta blast cases. The Bill does not do anything to insulate the NIA from political interference. I think, if the Minister would be kind enough to take

the Bill back, improve the Bill, address these glaring gaps in the Bill, and bring it back, it would be better.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य एनआईए को और मजबूत करना चाहते हैं। हम भी वही चाहते हैं, देश भी वही चाहता है और जनता भी यही चाहती है। हमारी सरकार एनआईए एक्ट को मजबूत करना चाहती है, आपके आदेश पर इस पर जब भी चर्चा होगी, मैं इस चर्चा का पूरा जवाब दूंगा। आपने दो-तीन विषय उठाए हैं- Appointment of Judges of Special Court will be done by Chief Justice of High Court concerned as is being done now. …(*Interruptions*) प्रॉसेस सिम्पलीफाई किया है। अगर एनआईए के जज ने रिजाइन किया है या दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया है और दूसरे जज को आने में बहुत समय लग रहा है तो एनआईए स्पेशल कोर्ट का मतलब ही सही नहीं होगा क्योंकि जो दोषी हैं, टैररिस्ट हैं, उनको जल्दी से जल्दी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उनको कठघरे के पीछे खड़ा करना चाहिए। इसमें यह हो रहा है कि अगर जज की ट्रांसफर हो जाती है, नए जज जाते हैं, नोटिफिकेशन देना पड़ता है, नोटिफिकेशन के बाद एपाइंटमेंट होती है। इसमें दो-तीन महीने का समय चला जाता है, इसे रोकने के लिए चेंजिस किए हैं। इसमें दूसरा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इसमें प्रॉसेस सिम्पलीफाई किया है। जज तो जज ही होता है, जज की एपाइंटमेंट हाई कोर्ट के द्वारा ही होती है। सरकार एपाइंटमेंट नहीं करती है, हाई कोर्ट ही एपाइंटमेंट करती है।

Secondly, amendment of Section 3 (2) will enable NIA to investigate terror offences abroad against Indian citizens and property. This does not adversely impact the democratic federal structure of the country. इसमें लिखा है, किसी डैमोक्रेटिक फैडरर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में जहां भी हमारी प्रापर्टी है, एम्बेसियां हैं, एनआरएस की रक्षा करने के लिए सरकार तैयार है, सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में जहां भी भारत के वासी हैं, अगर उनके ऊपर टैररिस्ट अटैक होगा, हम जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हम एनआईए को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, इसलिए आप इसका समर्थन कीजिए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRI G. KISHAN REDDY: I introduce the Bill.

PROTECTION OF HUMAN RIGHTS (AMENDMENT) BILL

1244 hours

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): On behalf of Shri Amit Shah, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Protection of Human Rights Act, 1993.

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापति करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, the dilution of and the assault on democratic institutions in our country have been continuing unabated much to the detriment of the nation. From RBI to CBI, all the democratic institutions have been either diluted or undermined. Now the turn has come for the National Human Rights Commission.

Under the parent Act, the Chairperson of the National Human Rights Commission is a person who has been a Chief Justice of the Supreme Court. The Bill amends this to provide that a person who has been a Chief Justice of India or a Judge of the Supreme Court will be the Chairperson of NHRC.

(1245/MMN/MK)

That means it is apparently a dilution of the parent Act, which will certainly degrade and reduce the gravity, the status of the National Human Rights Commission. That is why, I am opposing the introduction of the Bill.

Also, I draw the attention of the Ministry as well as the House, through you, Sir, that the Bill should enable significant expansion of the number of members at the National and State Human Rights Commissions and ensure adequate representation of members, including on the basis of gender, caste and indigenous status. We can improve upon the existing framework and could move towards complying with the international standards by instituting a more transparent and inclusive selection process, one that includes civil society members, human rights activists and other such persons who may have expertise at the ground level.

My third and the last point is that scarcity of resources or misappropriation of resources plagues the functioning of many State Human Rights Commissions. The amendment Bill does not take any cognizance of the insufficiently staffed and under-funded Human Rights Commission at the State level. Requisite financial and other clauses in the principal Act can be amended to address this problem. Human Rights Commission is a democratic institution of our country. To ensure justice, liberty and freedom of the people of our country, we need to bolster this democratic institution. So, we would not allow any kind of dilution of this institution. That is why, I am opposing the introduction of this Bill.

माननीय अध्यक्ष: जो विषय एक माननीय सदस्य ने रख दिया, यह आवश्यक नहीं है कि उसी विषय को दूसरे माननीय सदस्य रखें।

…(<u>व्यवधान</u>)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): No, Sir. My points are different. I have three points.

माननीय अध्यक्ष: प्लीज एक मिनट। माननीय सदस्य, जो विषय एक माननीय सदस्य ने रखा है, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हम सब कोशिश करें कि उसका रिपिटिशन न करें।

…(व्यवधान)

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम): जी बिल्कुल, मैं तो अलग ही बोल रहा हूं। It is because the Government says it is bringing this Bill to satisfy the standards of the Paris Principle. I happen to know something about the Paris Principle. The most essential feature of the Paris Principle is having an autonomous and independent Human Rights Commission. None other than the Supreme Court of our country has declared that the National Human Rights Commission is a toothless tiger because the Government has been ignoring its recommendation and direction. The Commission itself had acknowledged and requested the Government to vest it with additional powers of contempt to punish civil servants who do not follow its orders, especially with regard to the timely submission of reports. The Bill has completely ignored this.

My second objection is that the National Human Rights Commission itself has said that the statutory bar on taking up human rights violations beyond one year since the date of an incident has to be revised. That was their appeal. Now, they should have consulted their own Human Rights Commission while they are claiming to strengthen it. They seem to have not taken this basic requirement on board.

And, my third point is that the National and State Commissions have been plagued by positions which are left vacant for an unreasonable period of time.

The Bill does not even mention the need for time-bound appointments. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठे-बैठै मत बोलिए।

…(व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): How does it strengthen the NHRC? They can give us a better Bill. We will support it but this Bill needs to be taken back and revised. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: मैं फिर माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं। कितने भी वरिष्ठ माननीय सदस्य हों, जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो तो मुझे किसी को टोकना अच्छा नहीं लगता है। कृपया आप बैठे-बैठे अपने वक्तव्य जारी न करें।

श्री जी. किशन रेड्डी: अध्यक्ष जी, जो सवाल ऑपोजिशन में सदस्य ने उठाए हैं, ऑपोजिशन पार्टी सिर्फ ऑपोजिशन करने के लिए नहीं होती है, उन्हें कंस्ट्रक्टिव सजेशन भी देना चाहिए। …(व्यवधान) मेरे बोलने के बाद आप बोल लीजिएगा। आप बोल रहे थे तो मैंने कुछ नहीं बोला। …(व्यवधान) The Protection of Human Rights Act, 1993 itself is based on the Paris Principle. पेरिस प्रिंसिपल्स के आधार पर ही हम इस अमेन्डमेन्ट को लाए हैं। वूमेन के राइट्स खत्म होंगे, ऐसा नहीं होगा, अब आप सुनिए, the proposed amendments, especially increasing the representation of civil societies and women, will bring greater conformity with the Paris Principle. पेरिस प्रिंसिपल्स में बताया गया है कि सिविल सोसाएटी को किसमें जोड़ना चाहिए, महिलाओं की रक्षा करने के लिए उन्हें ह्यूमन राइट्स से जोड़ना चाहिए। It is because 50 per cent population in India is women. महिलाओं को जोड़ने के लिए अमेंडमेंट ला रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं।

In regard to staffing, appointments or administrative matters, the Secretary General, NHRC is being delegated with full powers, both

administrative and financial powers, to enable him to make the required appointment.

(1250/YSH/VR)

Sir, another thing is that they have talked about Supreme Court judges. A Supreme Court judge has the same status as that of a Chief Justice. उनमें जो सीनियर होता है उसे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। लेकिन हमें उसमें नहीं पड़ना चाहिए। But a judge is a judge. The Supreme Court judge and the Chief Justice are same. चीफ जस्टिस एक ही होता है। मगर सीनियोरिटी सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के लिए जरूरी है। आप लोगों को इसे समझना चाहिए। It is important that the post of Chairman does not remain vacant. हमें समझना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, अगर वह आना नहीं चाहता या उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसके कारण से ह्यूमन राइट्स की सीट महीनों तक खाली पड़ी रहती है। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। Therefore, we have mentioned 'or' in the Bill – the Chief Justice or the Supreme Court judge. Similarly, in the case of States, it will be Chief Justice or the High Court judge. क्योंकि अगर चीफ जस्टिस नहीं मिले, चीफ जस्टिस की इच्छा नहीं है, चेयर मैन की पोस्ट लेने को तैयार नहीं हैं …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने आपको बोलने का मौका दे दिया था।

…(व्यवधान)

श्री जी.किशन रेड्डी (सिकन्दराबाद): अध्यक्ष जी, चीफ जस्टिस को नहीं रखने के लिए नहीं, आप हमारे बिल में पढिए। आप बुद्धिजीवी हैं। हम चीफ जस्टिस आर जस्टिर ऑफ सुप्रीम कोर्ट लेकर आए हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप डिसकशन में पांइट उठाइए। मैं अपनी सरकार की तरफ से बता रहा हूं आप कंस्ट्रक्टिव सुझाव दीजिए। हम उसे लेने के लिए तैयार हैं। हमारी सरकार सबके साथ है। These amendments are in line with the motto of this Government, which

is set by the hon. Prime Minister – *Sabka Saath, Sabka Vikas Aur Sabka Vishwas.*

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं फिर आग्रह कर दूं। आप सभी ने सहमति दी थी कि कोई माननीय सदस्य बैठे-बैठे नहीं बोलेगा। अब कोई माननीय सदस्य बीच में नहीं टोकेंगे। आप सभी ने सहमति से व्यवस्था दी है,चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, सदन सभी की सहमति से चलता है। सदन सबका है, तो मैं आग्रह करूंगा कि सदन इसी व्यवस्था से चले।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि मानव अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 1993 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRI G. KISHAN REDDY: Sir, I introduce the Bill.

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए और उक्त प्रयोजन के लिए उपभोक्ता विवादों के समय से और प्रभावी प्रशासन तथा परिनिर्धारण के लिए प्राधिकरणों की स्थापना करने और उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए और उक्त प्रयोजन के लिए उपभोक्ता विवादों के समय से और प्रभावी प्रशासन तथा परिनिर्धारण के लिए प्राधिकरणों की स्थापना करने और उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

श्री रामविलास पासवान: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

PUBLIC PREMISES (EVICTION OF UNAUTHORISED OCCUPANTS) AMENDMENT BILL

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I introduce the Bill.

(1255/RPS/SAN)

जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक

1255 बजे

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

माननीय अध्यक्ष: डॉक्टर साहब, क्या आप इस विषय पर बोलना चाहते हैं?

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम): सर, मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूं।

On this issue, my Party had also opposed the Bill when it was brought in the last Lok Sabha. The problem is that there are two substantive grounds for not introducing the Bill without change. The first is that the Bill removes the President of the Indian National Congress from the Jallianwala Bagh National Memorial Trust. So, this makes it an arbitrary action because the very reason why this Bill was moved in the august House by Dr. Ambedkar in 1951 was to make the Congress President an *ex officio* trustee because of the intimate connection between the history of the Congress and the history of the Trust. Without the Congress Party, there would be no Jallianwala Bagh Memorial. The British would try and convert it into a bazar. We are the ones who raised the money, built the memorial and the fact is, therefore, that it is a denial of the

heritage of the country of the Freedom Struggle and therefore, it must be stopped.

Secondly, there is also a technical objection to the Bill in its present form which is that it empowers the Central Government to remove nominated trustees before the completion of their terms without assigning any reason. This is another arbitrary act. This power can easily be used to remove trustees who do not agree with the Government's views or the ruling party's views. The Government should not fear accountability. This is a national heritage. We have no objection if their nominees are there; they should not object if the President of the Congress Party is there. The point is that this is the national Freedom Struggle that we are commemorating in this historic site. Please, in this centenary year, do not betray our history and our heritage.

Thank you.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप अपने दल के नए सदस्य को बताएं कि जब नया विधेयक पेश हो रहा हो और अगर उनको कुछ कहना है तो नोटिस दिया करें, हाथ खड़ा नहीं करें।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने भी कहा है कि 28 दिसम्बर, 2018 को यह विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत हुआ था और 23 फरवरी, 2019 को विचार के बाद इस सदन ने इसे पारित किया था। राज्य सभा में चूंकि समय कम था और वहां यह विधेयक पारित नहीं हो सका, इसलिए आज इसे फिर यहां लेकर आए हैं। माननीय सदस्य ने जो बात कही है, जब चर्चा होगी, मैं उसका जवाब भी दे सकता हूं। हम जब यह दावा करते हैं तो आप जो गंभीरता की बात करते हैं कि आपका स्मारक है, यह सबको पता है, इस देश को पता है, क्योंकि यह कानून है कि जवाहर लाल नेहरू, सैफुद्दीन किचलू,मौलाना अब्दुल कलाम जैसे महान लोग रहे हैं, लेकिन आप जरा उसे एक बार पलट कर देखिए। आज का दिन बहस का नहीं है, आज तो इंट्रोडक्शन का दिन है, लेकिन उनके

नहीं रहने के बाद, आप उनके नहीं रहने के बाद चालीस-पचास सालों तक उनके नाम को किसी दूसरी जगह नहीं रख सके तो मुझे लगता है कि फिर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। यह सब कुछ रिकॉर्ड में है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि हम इसे बहस के लिए लेकर आएं, उसके बाद आप जो कहेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल: अध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

विशेष उल्लेख

1259 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब शून्य काल -- श्री अधीर रंजन चौधरी।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I would like to flag the attention of the Chair and also the attention of the august House to a long cherished dream of the people of our country, who were subjugated by the imperialist regime of Britishers, which had culminated in the attainment of freedom, of course, at the cost of innumerable lives lost, trials and tribulations etc.

Sir, after the attainment of freedom, we have framed our Constitution by sifting through all other available constitutions across the globe, under the leadership of Baba Saheb Ambedkar.

(1300/RBN/RAJ)

Sir, in order to perpetuate the freedom of our country, we also exhausted all our endeavours to bolster and to consolidate the democratic institutions and preferred parliamentary democracy. But now, that very parliamentary democracy has been the victim of conspiracy and other undermining activities.

हम आज देख रहे हैं कि मध्यप्रदेश, कर्नाटक, जहां हमारी सरकारें हैं, सरकार को तोड़ने के लिए, दल-बदलू की हरकत की जा रही है। दल-बदलू को अंजाम देने के लिए, यह सरकार गुप्त तरीके से साजिश रच रही है।...(व्यवधान) इनको पसंद नहीं है कि विपक्ष की कोई सरकार कहीं पर रहे। सर, यह सबसे बड़ा चिंता का विषय है। यह कहेंगे कि तुम्हारा एमएलए न रहे तो मैं क्या करूं। ये हमारी पार्टी के एमएलएज को मुंबई ले गए और आलीशान होटल में रखा है।...(व्यवधान) इनके पार्टी के एमपी की चार्टर्ड फ्लाइट में सभी एमएलएज को ले जाया जाता है।...(व्यवधान) सर बड़े अचरज

की बात है कि जो दल-बदलू एमएलए, जिस दिन कर्नाटक के राज्यपाल साहब के पास गए, राज्यपाल के दफ्तर से निकलते ही, उनके लिए गाड़ी, प्लेन और होटल तैयार है। इससे यह साबित होता है कि इसके पीछे प्रीडिटरमाइन्ड वेल कलकुलेटेड एक डिजाइन है।...(व्यवधान) ये कहेंगे कि अगर तुम्हारा एमएलए न रहे तो मैं क्या करूं, सही बात है।...(व्यवधान)

मिसाल के तौर पर मैं सभी से कह रहा हूं कि मान लीजिए कि मेरे घर 10 चांदी के सिक्के हैं और 10 सोने के सिक्के हैं।...(व्यवधान) मेरा रख-रखाव कुछ नहीं है। मेरा पहरेदार नहीं है। इसलिए उसका रख-रखाव ठीक से नहीं हो पाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि चोर आएगा और वह चांदी और सोने के सिक्के ले कर चला जाएगा।...(व्यवधान) क्या यह वाजिब है कि हम अपने घर में कुछ रख दें और चोर लूट कर ले जाए।...(व्यवधान) क्या यह वाजिब होगा? यह सरकार कहती है कि हम लोकतंत्र को मानते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ...(व्यवधान) आपके *(Not recorded)* उन्हें फ्लाइट से उड़ा कर ले जा रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : टी. आर. बालू जी।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): वजह क्या है, यह सभी जानते हैं।...(व्यवधान) आप कहते हैं कि हम 303 लोक सभा सीटें जीत चुके हैं, लेकिन आपका पेट नहीं भरा है।...(व्यवधान) *... (Not recorded)*

माननीय अध्यक्ष : टी. आर. बालू जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : टी. आर. बालू जी, एक मिनट रुकिए।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): अध्यक्ष महोदय, मेरा यह रिक्वेस्ट है कि उन्होंने जो विषय उठाया है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय राजनाथ सिंह जी।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह सदन के उपनेता हैं।

माननीय रक्षा मंत्री जी।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : अभी सरकार भंग नहीं की है।

रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक में इस समय जो कुछ भी हो रहा है, उससे हमारी पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है। आज तक हमारी पार्टी का इतिहास रहा है कि किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के संसद सदस्य अथवा विधायक के ऊपर प्रेशर बिल्ड-अप करके अथवा उसको किसी प्रकार का प्रलोभन दे कर, दल-बदल कराने की हम लोगों ने कोशिश नहीं की है।…(व्यवधान) हम लोगों ने यह इसलिए नहीं की है कि संसदीय लोकतंत्र की गरिमा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की गरिमा को बनाए रखने के प्रति, हम लोग पूरी तरह से कमिटेड हैं।

(1305/IND/SM)

जो भी प्रश्न नेता कांग्रेस और टीएमसी के नेताओं द्वारा उठाया गया, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि त्याग-पत्र दिलाने का सिलसिला हम लोगों ने प्रारम्भ नहीं किया है। कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने ही त्याग-पत्र देने का सिलसिला प्रारम्भ किया। उन्होंने स्वयं अपने लोगों को त्याग-पत्र देने के लिए कहा है। आपने देखा कि एक से एक दिग्गज नेता त्याग-पत्र देने का काम कर रहे हैं और त्याग-पत्र देने का सिलसिला लगातार चल रहा है। यह बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का इससे क्या लेना-देना है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्लीज बैठ जाएं।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : आपकी पार्टी के माननीय सदस्य बोल चुके हैं। बोलने के साथ सुनने का भी माद्दा रखिए।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, it is a strange situation. …(*Interruptions*) I have been allowed to deliberate on an important issue. …(*Interruptions*). This is unbearable.…(*Interruptions*) not only for me but also for my leader, Shri Stalin.…(*Interruptions*) eight girl students have committed suicide because of the NEET examination. The NEET examination is being conducted on Central Board syllabus.…(*Interruptions*). There are the people who have passed the State Board examinations. …(*Interruptions*).

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिए।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, their aspiration is to get the seats but they are not allowed to get their medical seats. …(*Interruptions*). They have failed in getting the seats in medical examination. …(*Interruptions*). Sir, eight girl students have committed suicide …(*Interruptions*).

Sir, the Tamil Nadu Legislature passed two bills in 2017 …(*Interruptions*). They have been sent to the Governor. …(*Interruptions*) The Governor has sent them to the Government of India …(*Interruptions*). For the past 27 months, the Government of India has kept them in cold storage. …(*Interruptions*) Day before yesterday, it has told that they have been rejected. …(*Interruptions*). Sir, how can it be so? …(*Interruptions*) Are we in a state of democracy? …(*Interruptions*) Are we ruled by the Central Government? …(*Interruptions*). The State Government is there. The State Government has unanimously passed the two Bills. They have been sent to the Central Government. We do not know why the Central Government has kept them in cold storage for the last 27 months.

They had been sent to the President of India. Day before yesterday, it has been rejected. …(*Interruptions*) How can they reject it? …(*Interruptions*) I want to have a reply from the Government whether they are going to consider positively or not.…(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : Please sit down. माननीय सदस्य, आपने अपनी बात रख दी है।

सुदीप जी, आप बोलिए।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): There should be a reply from the Government. If the Government is not replying, we are walking out.

1309 hours

(At this stage, Shri T.R. Baalu and some other hon. Members left the House.)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, I want to draw your attention that 42 public sector undertakings of the country are going to be disinvested. It is a very serious matter. These 42 public sector undertakings include, Air India, BSNL, Chittaranjan Locomotive Works and other important institutions. ….(*Interruptions*). We strongly oppose the steps taken by the Government. ….(*Interruptions*).

(1310/VB/AK)

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही दो बजे तक भोजनावकाश के लिए स्थगित की जाती है।

1310 बजे

<u>तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न-भोजन के लिए अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।</u>

(1400/PC/SPR)

1402 बजे

मध्याह्न-भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजकर दो मिनट पर पुनः समवेत् हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए

नियम 377 के अधीन मामले - सभा पटल पर रखे गए

1402 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा, जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया है। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

Re: Need to construct ROB in Aurangabad parliamentary Constituency, Bihar

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): अध्यक्ष जी, मेरा संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद (बिहार) प्रांत का ग्रामीण और पिछड़ा इलाका है। मेरे संसदीय क्षेत्र के पूर्व मध्य रेलवे के मुगलसराय मंडल अधीन गुरारू एवं परैया के बीच इंगलिशपर गुमटी, गया एफ.सी.आई गोदाम के पास एफ.सी.आई गुमटी, रफीगंज में मई गुमटी तथा फेसर पचरूखिया रोड़ में फंसर से आधे किलोमीटर पूर्व में रोड़ ओवर ब्रिज (आर ओ बी) के निर्माण की मांग सालों से की जा रही है। इन चारों स्थानों पर आर.ओ.बी. के निर्माण से लगभग 50 गांवों के निवासी लाभान्वित होंगे।

उक्त चारों स्थानों पर आर.ओ.बी. के निर्माण से जहां दुर्घटनाओं को टाला जा सकेगा वहीं यातायात व्यवस्था निर्बाध तरीके से चल सकेगी और लोगों का समय भी बचेगा।

मैंने पूर्व में भी रेल मंत्री जी को पत्र लिखकर एवं व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी इन स्थानों पर आर.ओ.बी. के निर्माण का आग्रह किया था। ग्रैंड कार्ड सेक्सन (मुगलसराय-आसनसोल) के बीच सवारी एवं मालगाड़ियों के अत्यधिक प्रचालन के कारण रेलवे फाटक बहुत बार और ज्यादा देर तक बंद रहता है, जिससे यातायात बाधित (ट्रैफिक जाम) होता है, विशेषकर शादी-ब्याह, परीक्षाओं एवं विभिन्न त्यौहारों के अवसर पर।

आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि उपर्युक्त चारों स्थानों पर आर.ओ.बी. का निर्माण कराया जाये, जिससे ग्रामीण जन-जीवन लाभान्वित हो सके।

(इति)

Re: Widening of N.H. 104 in Sheohar parliamentary constituency, Bihar

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्रान्तर्गत निर्माणाधीन एन. एच.-1 04 (लॉट-1) की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ। उक्त एन.एच. का 40वां किलोमीटर से 79.40 0वां किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण कार्य विगत तीन वर्षों से अधूरा रहने के कारण यातायात पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है तथा इस पर आये दिन छोटी-बड़ी सड़क दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। विशेषकर वर्षा के दिनों में तो यहाँ से आवागमन प्रायः ठप्प ही हो जाता है। सड़क पर मिट्टी होने की वजह से सड़क किनारे रहने वाले लोग सांस की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं जिससे लोगों में काफी निराशा एवं रोष व्याप्त है। ज्ञात हो कि उक्त सड़क का चौड़ीकरण कार्य अधूरा रहने के कारण सरकारी राजस्व की क्षति हो रही है। साथ ही इस मार्ग के आस-पास के क्षेत्र का विकास कार्य भी अवरूद्ध है।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध होगा कि उपरोक्त विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए मेरे संसदीय क्षेत्रान्तर्गत निर्माणाधीन एन.एच.-1 04 (लॉट-1 सड़क) 40वां किमी0 शिवहर से 79.40 0वां किमी0 सीतामढ़ी तक में हो रहे कठिनाइयों को दूर करते। हुए शीघ्र कार्य प्रारंभ कराने की कृपा की जाये जिससे कि लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके।

(इति)

Re : Need to revise the DoPT notification to induct the candidates into IAS from the vacancies in KPSC

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): I wish to draw the attention of the House towards the DoPT notification of February 23, 2018, announcing a List of selected Candidates who would be brought into the IAS from the KPSC from the vacancies in 2015.

The notification was provisional, subject to the outcome of a few Court cases, which were based on investigation into the procedural irregularities observed while drafting the list of Selected Candidates.

The Supreme Court upheld the order of the Karnataka High Court and dismissed the petition on February 27, 2019. Hence, the DoPT has subsequently revised its notification as a few people from the Selected List, allegedly used unfair means, to include their names in the list.

Almost five months have elapsed since the SC order, but the DoPT notification has not been revised yet. I urge the Government to revise it.

(ends)

Re: Need to construct over bridge or underpass near Barabanki Railway station in Uttar Pradesh

श्री उपेन्द्र सिंह रावत (बाराबंकी): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बाराबंकी के अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पास बंकी शहर की ओर जाने वाले मार्ग पर ओवर ब्रिज अथवा अंडरपास बनाये जाने की अत्यधिक आवश्यकता है। क्योंकि बाराबंकी रेलवे स्टेशन से बंकी शहर की ओर मात्र 150 मीटर की दूरी पर जो रेलवे का फाटक लगा हुआ है, वह ट्रेनों के आवागमन की वजह से अधिकतर समय बंद रहने के कारण यहां से गुजरने वाले हर वर्ग के व्यापारी, स्कूली बच्चे, नौकरी-पेशा, गांवों के किसान/निवासी इत्यादि सभी का समय इंतजार में ही निकल जाता है। रेलवे फाटक बंद रहने के कारण कई लोग जल्दी में फाटक कास करते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना रहती है।

अतः इस संबंध में मेरा माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि लोगों की सुरक्षा और कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मेरी मांग है कि जनता की सुविधा के लिए इस रेलवे फाटक के पास ओवर ब्रिज अथवा अंडरपास बनवाये जाने का कार्य किया जाये।

(इति)

Re: Need to run Trains nos. 22165/66 (Singrauli-Bhopal Express) & 22167/68 (Singrauli-Nizamuddinn Express) on daily basis

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र के सिंगरौली जिले में केन्द्र सरकार द्वारा 12 अगस्त, 2017 को प्रदान की गई दो ट्रेनों की सौगात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि ट्रेन संख्या 22165/66 (सिंगरौली-भोपाल एक्सप्रेस), जो सप्ताह में दो दिन और ट्रेन संख्या 22167/68 (सिंगरौली-निजामुद्दीन एक्सप्रेस), जो सप्ताह में एक दिन संचालित होती है, इन दोनों ट्रेनों को नियमित करने की कृपा करें। दिल्ली देश व भोपाल प्रदेश की राजधानी है। सिंगरौली औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण कार्यालयीन, व्यावसायिक तथा चिकित्सीय कार्यों से क्षेत्रवासियों का अत्यधिक मात्रा में आना-जाना लगा रहता है। दोनों ट्रेनें साप्ताहिक होने के कारण लोगों को इंतजार करना पड़ता है। साथ ही ट्रेन साप्ताहिक होने से भीड़ भी होती है, जिस कारण टिकट भी नहीं मिल पाता है।

अतः जनहित को दृष्टिगत रखते हुए इन दोनों ट्रेनों को नियमित करने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to provide rail link between Nagpur and Jabalpur and Ramtek to Gotegaon or Shikara

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): नागपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले मार्ग में मध्य रेल को वाया इटारसी होकर जाना पड़ता है। मार्ग की व्यस्तता एवं आपातकाल में इस मार्ग पर एक वैकल्पिक रेल मार्ग की आवश्यकता है। नये मार्ग के रूप में यदि नागपुर से वाया सिवनी, जबलपुर मार्ग बनाया जाता है तो नागपुर से जबलपुर के बीच सीधा मार्ग भी बनेगा। दूरी भी लगभग 250 कि0मी0 कम होगी एवं नागपुर से वाया इटारसी होकर जाने वाले व्यस्तम मार्ग पर दबाव भी कम होगा। नागपुर से रामटेक एवं जबलपुर से गोटेगांव या शिकारा तक रेल मार्ग बना हुआ है। यदि रामटेक से गोटेगांव या शिकारा तक केवल 200 कि0मी0 के लगभग मार्ग बनाना पड़ेगा। इस मार्ग के बनने से एक अतिरिक्त मार्ग उत्तर दक्षिण को जोड़ने वाला बनेगा। अतः रामटेक से गोटेगांव या शिकारा तक नवीन रेल मार्ग बनाने का कष्ट करें।

(इति)

Re: Construction of Kakarwaha Pick Up Weir project on River Dhasan in Madhya Pradesh

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड का टीकमगढ़ जिला गरीब, पिछड़ा शोषित और उद्योग विहिन क्षेत्र है। यहां की 95 प्रतिशत आबादी की जीवन का प्रमुख स्त्रौत मात्र कृषि है। जिले की अधिकांश कृषि भूमि पथरीली है और वर्षा आधारित है। जिले में 12 महीनों जल धारण करने वाली अधिकांश नदियों पर एक भी बांध पिछले 66 वर्षों की अवधि में निर्मित नहीं हुआ है। जिससे यहां की नदियों का 90 प्रतिशत से अधिक पानी व्यर्थ रूप से बेतवा व यमुना नदी में बह जाता है और जिले के किसानों की जमीने सिंचाई के अभाव में सूखी रह जाती हैं। किसानों को अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए प्रति वर्ष महानगरों की ओर पलायन करना पड़ता है।

धसान नदी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सागर, टीकमगढ़, छतरपुर जिलों से और उत्तर प्रदेश के ललितपुर, झांसी, हमीरपुर एवं जालौन जिलों की सीमांकन करती हुई अपने उद्गम स्थल जसरत पहाड़ी तहसील सिलवानी, जिला रायसेन से निकलकर 352 कि0मी0 उत्तर दिशा की ओर बहती हुई झांसी, हमीरपुर और जालौन जिलों के संधि स्थल के नीचे बेतवा में मिल जाती है। टीकमगढ़ जिले में 115 कि0मी0 तक बहने वाली धसान नदी का 40 प्रतिशत बहाव हिस्सा टीकमगढ़ जिले से होपर गुजरता है। जिसके ऊपर वर्तमान में कोई भी बांध निर्मित नहीं है। जिससे वर्षा काल में उसका सम्पूर्ण पानी व्यर्थ बह जाता है। सिंचाई के अभाव में यहां के किसानों को भुखमरी का शिकार होना पड़ता है।

यहां के किसानों को अच्छी सुविधा प्राप्त हो इसके लिए धसान नदी के ककरवाह बांध/वराज/पिकअपविअर परियोजना का निर्माण अतिशीघ्र कराये जाने की आवश्यकता है ताकि यहां के सभी किसानों को सिंचाई हेतु लाभ प्राप्त हो सके।

(इति)

Re: Development of flood safety measures in flood-prone districts of Assam

श्रीमती क्वीन ओझा (गौहाटी): हम बड़े गर्व के साथ दावे करते हैं कि आजादी के बाद से भारत ने किस तरह तरक्की की है, लेकिन जब बात असम की आती है तो देश मानकर चलता है कि इस राजय को बाढ़ से नहीं बचा सकते। यह जीवन की ऐसी हकीकत है जिसका सामना हर साल करना होता है। जैसे ही बाढ़ का पानी उतरता है जिन्दगी फिर पटरी पर आ जाती है।

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट कहती है कि असम के 22 जिले बाढ़ की चपेट में हर वर्ष आते हैं जिनमें मोरीगांव, जोरहट, धुबरी, लखीमपुर, गोलाघाट, बारपेटा, धेमाजी, सोनितपुर, गोलपारा, बोंगाईगांव और दरांग आदि शामिल हैं। इसके अलावा लगभग 17.94 आबादी इस बाढ़ से पीड़ित होती है। |

186 ब्रह्मपुत्र और उसकी कई सहायक नदियों ने अपने किनारों को तोड़कर राज्य के 35 जिलों में से 23 जिलों को बाढ़ से प्रभावित किया। करीब दो लाख हेक्टेयर में लगी फसलें डूब गयीं। इसकी वजह से लगभग 11 लाख लोग प्रभावित हुए। 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 1.5 लाख से ज्यादा लोग 460 से ज्यादा राहत शिविरों में आश्रय लिए हुए हैं।

मेरा आपके माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने निवेदन है कि सरकार कुछ ऐसी नीति बनाए जिससे नदियों के आसपास रहने वाले लोगों ने बाढ़ से बचाव के पारंपरिक तौर-तरीके विकसित किए जाएं। वह उन पर ही भरोसा करते हैं। तटबंधों के पास के सुरक्षित इलाकों में रह रहे लोगों को जरूर बाढ़ का पानी प्रभावित करता है।

सरकार और संबंधित एजेंसियों को तटबंध बनाने की मौजूदा नीति की समीक्षा करें और बाढ़ के समय वाटर फिल्टरेशन और प्यूरीफिकेशन टेक्नोलॉजी का कोई प्रावधान लाए और मजबूत बांधों को बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम उठाए।

(इति)

Re: Need to set up power plant and mineral-based industries in Palamu parliamentary constituency, Jharkhand

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे संसदीय क्षेत्र के दोनों जिले यथा पलामू एवं गढ़वा आकांक्षी जिलों की पंक्ति में आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आकांक्षी जिलों में आने का ही मतलब होता है कि इन दोनों जिलों का जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। पूरे झारखण्ड राज्य में मात्र यही एक (सु) संसदीय क्षेत्र है।

इस संसदीय क्षेत्र में आज तक एक भी कल-कारखाना नहीं लगा है। दुर्भाग्यवश एक जपला सीमेंट फैक्ट्री थी वह भी बंद हो गयी है। लोग पलायन कर गए हैं या पलायन कर रहे है। कुछ लोगों ने तो गरीबी और जिन्दगी से तंग आकर उग्रवादियों की शरण ले ली। सबसे दुर्भाग्य की बात तो यह है कि मेरा पूरा संसदीय क्षेत्र खनिज पदार्थों से भरपूर है यहाँ पर कोयला प्रचुर मात्रा में है। इसके अलावा ग्रेफाइड है, लाइम स्टोन है बगल के जिला लोहरदगा में बाक्साइट है। ये बाक्साइट मेरे दोनों जिलों से होकर मिर्जापुर जाता है जहां अल्युमिनियम की फैक्ट्री लगी है, कोयला यहॉ से देश के थर्मल प्लांट में जाता है जो उस क्षेत्र में रौशनी देने का काम करता है जहाँ वह स्थापित है। हमारे संसदीय क्षेत्र का जिला गढ़वा है जहां भवनाथपुर थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए जमीन भी उपलब्ध है, कोयला भी है, सोन नदी का पानी भी है, मानव संसाधन भी है। अध्यक्ष महोदय थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए और क्या चाहिए। अल्युमिनियम का कारखाना लगाया जा सकता है। इसके अलावा ग्रेफाइट की उपलब्धता और गुणवत्ता के आधार पर ग्रेफाइड पर आधारित इंडस्ट्री लगायी जा सकती है। लाइम स्टोन की बहुत सारी खदानें हैं जो अभी बंद पड़ी हैं उसे शीघ्रातिशीघ्र चालू किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय रोजगार के अभाव में लोग दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करने के लिए विवश हैं। नौजवान फस्ट्रेटिड हो रहे हैं।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि संबंधित विभागों के आदरणीय मंत्रियों को निदेशित करने की कृपा करें ताकि मेरे संसदीय क्षेत्र में जो कल-कारखाना स्थापित हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके, लोग पलायन के लिए मजबूर न हों। (इति)

Re: Need to provide stoppage of Ranchi - Delhi Garib Rath Express (train no. 12877/78) at Barwadih Railway station in Jharkhand

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड का पर्यटन के क्षेत्र में अहम स्थान है। जहां से बेतला नेशनल पार्क, पलामू किला, सुगा बांध, मिर्चिया फॉल, नेतरहाट पहाड़ी मंदिर, मंडल डैम जैसे कई पर्यटक स्थल मौजूद है जिसे देखने देश-विदेश से पर्यटक आते हैं।

इसलिए मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि रांची-दिल्ली गरीबरथ (गाड़ी संख्या 1 2877/1 2878) का बरवाडीह स्टेशन पर ठहराव किया जाये।

साथ ही लातेहार, बरवडीह, टोरी एवं छिपादोहर रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन घोषित किया हुआ है, परन्तु अभी तक आदर्श स्टेशनों पर होने वाली सुविधाओं का अभाव है। इसलिए इन स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करायें।

(इति)

Re:Need to declare income of dairy sector as Agriculture income

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 70 प्रतिशत मवेशी छोटे, मझौले और सीमान्त किसानों के पास हैं, जिसकी पारिवारिक आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा दूध बेचने से प्राप्त होता है। डेयरी की प्रगति से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अधिक संतुलित विकास होगा। दूध ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ ही जीवन की सुरक्षा भी देता है। दूध देने वाली एक गाय या भैंस पालना किसानों को आत्महत्या करने तक से बचा सकता है। आज डेयरी उद्योग कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा है- संगठित डेयरी फार्म का अभाव, निवेश की कमी, मशीनों और उपकरणों की ऊंची कीमतें। दूध जल्द खराब होने वाला प्रोडक्ट है इसलिए प्रोसेसिंग और उसे पाउडर, बटर, घी, पनीर जैसे लंबे समय तक चलने वले प्रोडक्ट्स में बदलना लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है। अतः डेयरी फार्म से आने वाली आय को कृषि आय घोषित की जाए।

(इति)

Re: Need to provide seeds and fertilizers to farmers in Chhattisgarh

श्री चुन्नी लाल साहू (महासमुन्द): छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान खरीफ फसल हेतु धान बोने को काम किसानों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण सहकारी विपणन केन्द्रों/संस्थाओं में मानक बीज उपलब्ध नहीं होने के कारण किसान अमानक बीज बोने को मजबूर है। वैसे ही दलहन और तिलहन के बीज भी राज्य सरकार के उद्यानिकी विभाग में उपलब्ध न होने के कारण किसान असहाय और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से रासायनिक एवं उर्वरक विभाग के पास रासायनिक खाद की पर्याप्त मात्रा न होने के कारण किसान बाजार से मंहगें दरों पर रासायनिक खाद खरीदने को मजबूर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से मेरा सविनय निवेदन है कि छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए सरकार के कृषि मंत्री जी एवं रासायनिक उर्वरक मंत्री महोदय जी, छत्तीसगढ़ राज्य के उक्त विषय को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को आपूर्ति के लिए निर्देशित करने की कृपा की जाए।

(इति)

Re: Setting up of Solar Energy plants in Bhiwandi Textile Industrial Area in Maharashtra

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी): मेरे संसदीय क्षेत्र भिवंडी से वस्त्र उद्योग का बहुत बड़ा कारोबार होता है, परन्तु वहां पर जो वस्त्र उद्योग इकाइयां हैं, वे बिजली की कीमतें ज़्यादा चुका रही हैं क्योंकि वहां पर प्राइवेट कम्पनियां विद्युत सप्लाई करती हैं जिससे वहां का वस्त्र उद्योग प्रभावित हो रहा है।

अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि भिवंडी के सभी वस्त्र उद्योग के लिए जगह-जगह पर एक-एक सोलर सिस्टम प्लांट लगाये जायें।

(इति)

Re: Need to start international flight service from Udaipur Airport, Rajasthan

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): चितौड़गढ़ में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा जहां पर प्रतिवर्ष लाखों यात्री चाहे वे पर्यटक हों, चाहे पर्यावरण प्रेमी, चाहे श्रद्धालु उदयपुर सहित आस-पास के क्षेत्र मेवाड़ के लिये आते हैं। इसके साथ ही यहां दक्षिणी राजस्थान में अनेकों औद्योगिक उपक्रम होने के कारण, यहां के व्यापारियों के बाहर व्यापार करने के कारण व कुशल कामगारों के विदेश में रोजगार के लिये गये होने से आवागमन के लिये हवाई सेवा पर निर्भर रहना पड़ता है। चूंकि उदयपुर हवाई अड्डा सारे अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिये तय मानकों को पूरा करता है तथा यहां से विदेश खास तौर पर खाड़ी देशों के लिये उड़ान की बहुत मांग भी है। अतः विदेश में रह रहे कामगारों, पढ़ाई कर रहे छात्रों, पर्यटकों, व्यापारियों व उद्योगों के लिये विशेषज्ञों की सुविधा के लिये उदयपुर हवाई अड्डे से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारम्भ करवायी जाये।

(इति)

Re: Need to rejuvenate and make river Aami in Uttar Pradesh pollution-free

श्री प्रवीन कुमार निषाद (संत कबीर नगर): मेरे संसदीय क्षेत्र संत कबीर नगर जनपद की एक मात्र जीवनदायिनी मानी जाने वाली 'आमी नदी' आज मृतप्राय सी हो गई है और इसका पानी इतना जहरीला हो गया है कि उसमें मवेशी भी नहाने से कतराता है। यह नदी संतकबीर नगर के विभिन्न इलाकों से होते हुए गोरखपुर के विभिन्न तलहटी इलाकों को जोड़ते हुए राप्ती नदी में मिली हुई है। खलीलाबाद में रैना पेपर मिल, संजय पेपर मिल, शहर का गंदा पानी, इंडस्ट्रियल एरिया का गंदा पानी और हैण्डलूम के धागा रंगाई का गंदा पानी सब आमी नदी में बहाया जाता है जिसके कारण नदी का पानी जहरीला हो गया है। कभी इस नदी में किसान भरपूर कृषि सिंचाई किया करते थे। आज इसका बहाव बंद हो गया है और गंदे नाले में तबदील हो गया है। अब नदी के दोनों किनारे की जमीन पर भू-माफिया कब्जा कर रहे हैं। पहले इस नदी में काफी मछलियां होती थी जिससे लाखों मछुआरे अपना जीवन यापन करते थे।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि जनहित में आमी नदी को एनजीटी के तहत जीर्णोद्धार कर पूर्व की तरह जीवनदायिनी बनाया जाये।

(इति)

Re: Construction of Bidar-Nanded Railway line

श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर (नांदेड़): मेरे संसदीय क्षे; नांदेड़ से जुड़ी नई रेल लाइन बीदर-नांडेड़ के निर्माण हेतु रेल मंत्रालय द्वारा 2152 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई है, किन्तु इस नये रेल मार्ग निर्माण को प्रस्तावित 2019-20 की पिंक बुक में शामिल नहीं किया गया है। मेरी सरकार से मांग है कि इसको अविलम्ब पिंक बुक में शामिल करते हुए, मंजूर राशि का प्रावधान मौजूदा रेल बजट में (2019-2020) शामिल किया जाये तो शीघ्र रेल मार्ग का निर्माण कार्य शुरू कराया जाये।

(इति)

Re : Need to construct an underpass at Kottakadevu Arangil railway level crossing in Vadakara Parliamentary Constituency of Kerala

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): I would like to raise a matter regarding construction of an underpass at Kottakadavu — Arangil Rail gate road in my constituency Vadakara. Vadakara is fast developing Municipal town and Taluk Headquarters. Many important educational institutions, ancient masjids, temples, historical monuments lay on the west side of railgate. The only access to these places in the Kottakadavu — Arangil gate roundabout has a level crossing which is very near to the National Highway Juction. Due to the heavy rail traffic this railway gate remains closed for most of the time creating long queue of vehicles and traffic congestion on the National Highway. Moreover, it causes innumerable hardships for the people to reach public institutions, bus stand etc. I, therefore, request the Railway Minister to take necessary steps to construct an underpass at the above site at the earliest.

(ends)

Re : Need to set up a rail coach factory at Kanjicode, Kerala

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): A coach factory was sanctioned for Kerala at KanjiKode in Palakkad in the 2008-09 railway budget. The foundation stone was laid by the then Hon'ble Minister for Railways in 2012. Then Kerala Government acquired 439 acres land for it, and later, a compound wall was built around the acquired land. Thereafter, nothing has moved beyond that. However, production has commenced in coach factories which were sanctioned or announced later on. This is a total discrimination to the people of Kerala, who were expecting much from this project in the form of employment to the youths of the State and other economic activities and, therefore, I urge upon the Government to set up the Coach Factory at Kanjikode at the earliest.

(ends)

Re : Kochi 'waste to energy' project

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): India is facing one of its most difficult challenges like any other rapidly developing country with its large quantities of waste being produced as a result of fast economic growth and urbanization. Ernakulam (Kochi) is one of the most developing cities in India. The info park is located in this city. The current situation in the city of Kochi (Kerala, South India) is that the existing waste disposal process is limited to just collection and surface dumping of the waste into uncontrolled sites. Kochi waste to Energy Project is a successful solution in India through the Kochi Brahmapuram waste to energy plant. The waste-to-energy plant was mooted as a long-term solution to manage Kochi’s garbage. So I would request the Central Government to consider this project as one of the model waste management systems and allocate central find for the maintenance and proper running of this project.

(ends)

Re : Works undertaken under Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme

SHRI S. RAMALINGAM (MAYILADUTHURAI): In Tamil Nadu, the works undertaken under the Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme are not being implemented on a regular basis. Hardly below 100 days of work were allotted last year in the rural panchayats.

Moreover, there is delayed payments - 'Delayed justice is denied justice'. Hence, I bring this matter to the kind attention of the concerned Minster through you. Also, the rural workers are paid a peanut sum of Rs.150 per day which is inadequate to meet the expenses of their day to day life. I have two requests in this regard:

(1) Let it be raised to Rs. 250 per day.

(2) Let the above mentioned scheme be extended to Town Panchayats also.

(ends)

Re : Need to tackle trafficking of women and children in the country

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Child trafficking is a serious problem that is prevalent especially in India. Children are exposed to multiple vulnerabilities, poor and marginalized communities who are often trafficked are forced to work on brick kilns, construction sites and agricultural land. There is a great need for convergence and implementation of comprehensive protection mechanisms. I urge the government to tackle the growing incidence of child abuse and trafficking of women and children in the country.

(ends)

Re: Need to amend GSR 751 (E) Guidelines to conduct aeronautical study in approach funnel beyond 300 meters

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): I would like to suggest amendments to GSR 751 (E) guidelines as for conducting Aeronautical Study in approach funnel beyond 300 meters (which extends to 15 Km from Runway Strip) which is not permitted. I would suggest that since entire area included in approach funnel is very huge, a blanket rule of 'no Aeronautical study in approach funnel' may not be required. I would highlight paragraph from Annexure 14/ Volume 1, Page 38 of GSR 751 (E) guidelines regarding construction of new objects or extension of existing ones. New objects or extension of existing objects should not be permitted above approach surface beyond 300 meters from inner edge, the conical surface or inner horizontal surface except when, in the opinion of appropriate authority, the object would be shielded by an existing immovable object, or after aeronautical study it is determined that object would not adversely affect the safety or significantly affect the regularity of operations of aeroplanes. The previous paragraph allows Airport Authority of India to mitigate a new object lying beyond 300 meters in Approach Surface with an Aeronautical study which would include PANS OPS. The conclusion on this is enhanced height can be permitted to buildings lying in the approach surface beyond 300 meters after conducting the aeronautical study. Procedure for takeoff and landing should be laid down taking into consideration of all existing buildings in the

approach take off surface. If necessary they should be revised taking into account the increased FSI allotted by Municipal Corporation for utilizing full potential of plot. The above information leads us to conclude that current set of rules to establish permissible heights in the approach funnel and in IHS are not stringently following ICAO rules and need to be revised or updated and reviewed. Since enhanced height is very critical for the redevelopment projects in Mumbai, it is my request to Civil Aviation Minister to consider conducting an Aeronautical Study beyond 300 meters in the Approach Funnel in the revised GSR 751 (E) Guidelines.

(ends)

Re: Acute water shortage in Jahanabad parliamentary constituency, Bihar

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद (जहानाबाद): मेरा संसदीय क्षेत्र जहाँनाबाद (बिहार) पूरी तरह से सुखाड़ की स्थिति में है। आज मेरे संसदीय क्षेत्र जहाँनाबाद में पेयजल का संकट है। हमारे सामने एक गंभीर आपदा की स्थिति आ गयी है। जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ 200-250 और कहीं-कहीं 400 फीट पर भी पानी नहीं मिल रहा है। किसान सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। ग्राउंड वॉटर नीचे चला गया है। पीने के पानी का घोर संकट है। बोरिंग फेल हो गयी है, किसान निराश और हताश है। वहाँ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए।

मेरा केन्द्र एवं प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र सहित बिहार के सभी जिलों में पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।

(इति)

Re: Enactment of Journalist Protection Act

SHRI MAHESH SAHOO (DHENKANAL): I urge the Government to enact Journalist Protection Act for safety and security of working journalist on lines of Maharashtra as several life-threatening incidents have happened and they are facing lots of problems even death threat while gathering news.

(ends)

Re: Prevailing law and order situation in the country especially in Uttar Pradesh

SHRI SHYAM SINGH YADAV (JAUNPUR): Prevailing law and order situation in the country, especially in Uttar Pradesh.

(ends)

Re: Abolition of GST on job works

SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE): All the goods and services in the world are produced in multistage and by different persons like division of labour. Individuals, organizations, and nations are endowed with or acquire specialized capabilities and either form combinations or trade to take advantage of the capabilities of others in addition to their own. Like the same way, many products and many reputed company products in the country are produced by job work. As per GST Act, job work means any treatment or process undertaken by a person on goods belonging to another registered person. The person doing the job work is called job worker. This is to complete a part or whole of the process which results in the manufacture or finishing of an article or any other essential operation.

Thus, many small and medium entrepreneurs are totally dependent upon the job work. When they take job order, the principal manufacturer supplies all the essential/required raw materials and other equipment to the job workers for production of the particular goods. According to the job workers, they are not buying anything and they are not selling anything and not producing anything new. After the finished/semi-finished reach goods the principal manufacturer and when he/she sells the goods to the consumer/customer, again GST is charged. So, it involves many stages of production and also payment of GST many times for a single product. Finally, all the OST falls on the heads of the common people i. e. buyer of the goods and services. Due to the multistage /multilevel GST, the business of the many

small and medium entrepreneurs has gone down and they have shut down their business establishments.

In view of the above, I urge upon the Union Government to take necessary action to abolish GST on job works so that small and medium. entrepreneurs will get some work and survive without any difficulties.

(ends)

सामान्य बजट - सामान्य चर्चा

1404 बजे

माननीय अध्यक्ष : केन्द्रीय बजट पर सामान्य चर्चा - डॉ. शशि थरूर जी।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, thank you very much for giving me the opportunity to present my views on the Budget, which the hon. Finance Minister gave us. I would like to begin by congratulating the hon. Finance Minister for her maiden Budget, and the first of the new Government in their second innings. It is indeed a matter of pride for all of us in this august House and the country that this was the second ever Budget that was delivered by a woman since Shrimati Indira Gandhi presented the Budget way back in 1970. On behalf of my Party, I would like to extend my deepest appreciation for the hon. Finance Minister for recreating history.

As a traditional practice, it is for the Opposition to hold the Government accountable for its performance, including the announcement of the Budget. Before I do so, I would like to place on record my personal admiration for the hon. Finance Minister. I have known her for some years. It was a marvellous touch to bring a dose of Tamil *sangam* poetry into this House with her verse about the elephant and paddy field. But I cannot resist pointing out that her metaphor accurately makes her Government a slow-moving elephant again.

(1405/UB/SPS)

What we were all hoping for was a bounding, lithe and agile tiger. Sadly, this Budget, with its creeping incrementalism devoid of any bold proposal, falls considerably short of unleashing the animal spirits that John Maynard Keynes

spoke about; the poor animal of the Indian economy, this lumbering and limping elephant, still remains leashed and fettered as it has been for the last five years.

1405 hours (Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

One cannot blame her entirely for the abject disappointment that has once again been caused by an underwhelming Budget because the fact is that she had to inherit the mess that the Government has spent five years in power creating the legacy of economic mismanagement that has featured a disastrous demonetisation, unemployment at a 45-year high, agrarian distress that has raised farmer's suicides to record levels, declining rates of savings and investments, and widespread stagnation in every area from manufacturing to exports.

It is with deepest regret that I note that the Budget that was presented last week, was characterised by rather modest if not mediocre set of announcements, distinctive misses, deafening silences on matters of substance and the utterly evident insincerity of this Government to truly offer a way forward to the people of our country from the series of crises that they have been afflicted with since the first innings of this Government. Since cricket is on our minds these days with the World Cup Semi-final tomorrow, let me say that instead of the bold boundaries we expected in this Budget after the Elections, what we have are unnecessarily defensive strokes, dropped catches and quite a few no-balls and wides.

Moreover, the Budget reflects yet another complete disregard for the genuine concerns, hopes and aspirations of our people who have given a fresh mandate to this Government. It must be said that it is not we in the Opposition that the Government has failed by offering these terms of disappointment, rather it is the mandate of the people of India that the Government has chosen to squander at the beginning of its tenure.

As Mirza Ghalib famously observed:

बुझ जाते हैं दिए, कभी तेल की कमी से भी,
हर बार कसूर हवा के झौंको का नहीं होता।

This is what has happened to our country. कसूर किसी और का नहीं है, आपकी सरकार की तेल की कमी है।

Now, there were some remarkable aspects to this Budget but, Mr. Chairman, these came from what was not said in the Budget Speech rather than what was. This is perhaps the first Budget in the history of the country where allocations, the engine of the document, were not mentioned. For over two hours, we waited for announcements of substance but had to make do with an hour-long recitation of the so-called achievements of the first term and grandiose promises of fluff for the coming decade, when the people wanted concrete answers to their problems of today. We had to go and look into the documents afterwards.

I must say that we were left with the sort of '*Trishanku*' budget that was neither here, nor there, and at its heart, this kind of modest incrementalism wedded to some lofty ideals for a grand future. But sadly, there was no

indication of a comprehensive and robust strategy or a roadmap to get to that lofty vision. From the *Aam Aadmi's* perspective, just a series of missed opportunities and uninspired reiterations of existing ideas.

To start with, the macroeconomic situation of our country's economy was not even considered worth a mention in the Budget Speech. I cannot blame them. The mess that they made does not really make for a pretty picture worth mentioning, after all. There was strikingly no mention of the country's GDP growth rate. In fact, the word 'GDP' was only mentioned once and that was with regard to the external debt-to-GDP ratio and the principal contributors to GDP – investment levels, manufacturing, consumption. Even the Government's dubious fiscal deficit target was only mentioned, amusingly after the official speech concluded, as an afterthought. But since the Government has intentionally failed to provide a full picture, let me begin by doing their job for them.

Respected Chairman, *The Economic Survey* that was presented last Thursday on the Budget eve makes a rather optimistic projection of 7 per cent GDP growth in the upcoming fiscal year. In fact, it goes on to mention that during the last quarter of the fiscal year, the growth rate will even pick up to 7.5 or 7.6 per cent and it will be a step towards hitting this 8 per cent growth rate which is, of course, integral to achieving the PM's target of a $5 trillion economy by the end of 2024-25. I do not know where they are getting their figures from. Last time, there was a concern, they were getting their economics

from a yoga teacher. But, certainly here, there is a real credibility issue with any of these numbers.

(1410/KMR/KDS)

As the Government's own last Chief Economic Advisor has pointed out, our current growth rate could in reality be as much as 2.5 points lower than what is being projected. The Government has offered to present a point-by-point rebuttal to the methodology used by Dr. Subramanian to arrive at this conclusion, but they have still not come through to Parliament on this.

Similarly, we all remember the controversy about the GDP back series which was kicked up last year when NITI Aayog brought in yet another method to calculate GDP in a manner that boosted the growth, on paper, of the NDA Government while bringing it down retrospectively for the UPA Government, a move that invited widespread condemnation from experts around the world. The recurring high-profile departure of experts from the Administration, the latest being the Deputy Governor of the RBI, also does not inspire confidence in the credibility of the numbers offered by this Government.

Traditional economic wisdom dictates that the GDP of a country will only grow if the key contributions to it expand such as investment, manufacturing, consumption and exports. But here we have a peculiar situation where none of these is growing. In fact, many have actually hit rock bottom. But the Government still believes we are going to be growing at seven to eight per cent in the future without explaining how this is going to happen. Let us not forget

that the GDP growth rate in the most recent quarter is considerably lower than such fevered fantasies at a rather tepid 5.8 per cent.

The Finance Minister at the onset of her speech echoed the Economic Survey by emphasising the central role of investment to propel the economy, pointing out that we need to invest heavily in infrastructure, digital economy, in job creation, in small and medium firms. Of course, she is right in this regard. But according to the Centre for Monitoring of Indian Economy (CMIE) which has tracked project announcements and implementation in the June quarter, investment - both private and public - has shockingly gone down by 81 per cent from the previous quarter, and worse still 87 per cent from the same quarter last year. This reflects an alarming decline in both public and private investment at an overall 15-year low.

Our manufacturing and services sectors have been particularly hit with the former falling by 68 per cent from the previous year and the latter by 98 per cent from the previous year. This horror story only gets worse. So, where does the Government's optimism about investment come from? Who is going to invest, how are they going to invest, and why are they not investing now?

Projects to the tune of nearly Rs.13 trillion are currently stalled and the stalling rate based on the percentage of projects under implementation in the private sector has already hit a new record in Indian history - a record high of 26.1 per cent in the June quarter; 27.2 per cent of manufacturing projects are stalled, 20.4 per cent of power projects are stalled, and together with the services sector, these account for 92 per cent of the total stalled projects.

Ask any industrialist what will it take for him to invest in the present Indian economy and he will tell you, “Improve consumption so that people will buy what we make. Otherwise, why we are going to invest and make something that people cannot buy”. This is the challenge that the Finance Minister has failed to address in her Budget.

However, consumption levels also in any case tell a negative tale. According to the Society for Indian Automobile Manufacturers, automobile sales fell by 20.6 per cent in May, the steepest decline in 18 years, which in turn has arrested manufacturing and demanded inventory correction causing total production in the automobile segment to fall by eight per cent.

Two-wheeler sales fell by 17.3 per cent in fiscal year 2019. Even traditionally strong movers of consumption like Fast Moving Consumer Goods are likely to fall by an overall two per cent according to a report published by the market analytics and information firm Nielson.

The slowdown in consumption which was alluded to in the Economic Survey but strangely skipped in the Budget Speech has also affected India’s prime services sector. The Nikkei India Services Business Activity Index or PMI fell to 49.6 in the June quarter, the lowest this year. What is interesting is that any figure above 50 indicates expansion and anything below signals a contraction. In this case, it is a first contraction since this Government presided over one contraction in May 2018.

(1415/SNT/MM)

Now, the decline in all these key indicators makes it clear there is an acute trust deficit amongst investors coupled with low consumer confidence in the economy for which this Government in the Budget has neither addressed nor provided a roadmap on how it will turn the situation around.

The hasty and ill-thought through demonetisation bears a large share of the responsibility for shutting down lakhs of small and micro enterprises throwing many more lakhs of people out of work. As a well-known couplet tells us: -

"ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सज़ा पाई।"

सभापति महोदय, हम सज़ा पा रहे हैं। We also have to consider the new research that has been published recently by the Harvard Centre for International Development based on its Economic Complexity Index for 133 countries which is a measure of the diversity and sophistication of the productive capabilities reflected in the exports of a country. They say that India will only manage an average annual growth of 5.5 per cent until 2027, whereas China, they say, will continue to remain the fastest growing major economy at 6.1 per cent. We had that title very briefly. Under this Government, we have lost it.

As for the fiscal deficit target, the announcement that the Government is again targeting 3.3 per cent hardly inspires any confidence because this 3.3 per cent is the same figure, they announced last year and failed to meet. We

all recall how my good friend Arun Jaitley kept having to adjust his fiscal deficit target every year.

Another fact is that the Government's assumption is entirely based on a growth and tax revenue to offset increased Government's spending on schemes like Ayushman Bharat and the expanded version of PM-KISAN which they have allocated some good money to. But as the Economic Survey itself highlights, while direct tax improved by 13.4 per cent, the gross tax to GDP ratio actually fell to 10.9 per cent, a decrease of 0.3 per cent, as indirect taxes fell by 16 per cent due to shortcomings in the GST which by the admission of the Government's own Economic Advisors requires a mop up.

Now, in the present scenario how will this Government finance the deficit and how will they meet this target of 3.3 per cent when their projections themselves are highly contestable. They are going to suggest that perhaps they will make up a little bit from non-tax receipts, namely, the self-declared disinvestment target of Rs. 1 trillion. But we all know how the Government has so far played the disinvestment game by getting one public sector company to buy shares of another public sector company which is not disinvestment at all but fudging the books. Now, the Government is hoping for a lakh of crore rupees by selling loss-making Air India. But when the far more successful Jet Airways has failed to find a buyer, who is going to bid for Air India?

Sir, I would like to draw the attention of this House to the Government's continued failure to give the country any relief on direct taxation. My esteemed senior colleague Mr. Chidambaram had in 2009 proposed a Direct Tax Code to

replace the complex and outdated Income Tax Act of 1961 and bring India's tax ecosystem in line with the demands of a fast-growing economy. However, despite having constituted a Task Force to propose draft legislation on direct taxation, this Government has failed to provide any tangible roll out plan for this much needed tax reform and the Task Force's deadline keeps getting extended, the way the Pakistanis keep extending the duration of the courts for the 26/11 trials. Now, the last extension to 31st July has taken the overall delay to over a year and this is going to have been the first Budget of the new Government.

Now, the Government did seek to provide short-term sops to the *aam aadmi*. There is an additional income tax deduction of Rs. 1.5 lakh on affordable home loans. But given the higher excise duty they have also imposed on essential items for the home like ceramic tiles, marble flooring, electronics, mountings for furniture - which are imported mainly because, of course, they are cheaper - the savings may well be more than offset by higher costs for all these items.

Similarly, they have given a deduction of Rs. 1.5 lakh on loans towards the purchase of electric vehicles. But given the complete lack of public infrastructure and Government investment to support electric vehicles, repeated power failures in every part of the country – I am living in Lutyens' Delhi, I go through 4-5 power cuts a day – and the absence of any grid or cabling to support the much higher power load that would be needed to charge electric cars, these additional deductions are meaningless.

(1420/GM/SJN)

Meanwhile, the *aam aadmi* is already paying the highest fuel prices in the world because of this Government's taxes on petrol and diesel at a time when prices of fuel are dropping worldwide. The Finance Minister has added an extra two rupees on every litre of petrol and diesel at a time of international low prices of crude oil. This is adding insult to injury. I must say, not only it is not fair for the Finance Minister to suggest that it affects only those who own private vehicles. I believe she said that in a press conference. The fact is that the आम आदमी जो एक कमीज या चप्पल खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं, उस चप्पल और कमीज को फैक्टरी से बाजार पहुंचाने के लिए कोई पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ी चाहिए। Naturally, the manufacturer would pass the burden to the consumer, to the *aam aadmi*. So, this is a continuation of the BJP Government's established practice of dangling a carrot before the citizen and while he is not looking, distracted by all this hoopla, pulling whatever cash he has out of his pocket. So, while the hon. Finance Minister did quote ancient poetry to thank the taxpayer, allow me to offer a more recent poem which I modified from one that is currently in circulation on BJP's favourite medium WhatsApp. It rather aptly captures the present situation:

Tax his car, tax his wage,
Tax his book on every page.
Tax his fuel, his credit card,
If he screams, tax him hard.
Tax his newsprint, tax his drink,

Tax him if he tries to think.

Tax his bosses, tax his peers,

If he cries, tax his tears.

Tax his pay, tax his phone,

Tax his house, tax his loan.

If he thinks, this is a sin,

Tell him, it is his achche din!

Another big announcement by this Government, met by plenty of table thumping by my friends on the other side of the Well, was the extension of the 25 per cent corporate tax to companies under Rs. 400 crore turnover. However, in keeping with this Government's underhand tactics, even this headline-grabbing figure was meant to obscure the reality. The Government has actually failed to live up to its own promise of a universal corporate tax rate at 25 per cent by Fiscal Year 2020 which was announced in the Fiscal Year 2016 Budget by the then Finance Minister Shri Arun Jaitley. It has also failed to phase out tax anomalies that have led to such prolonged tax litigation in our country. As numerous analysts have repeatedly pointed out, India remains one of the least competitive economies with the total effective tax paid by some corporates reaching an astronomical 48 per cent, whereas organisations like CII have been calling for you to reduce the corporate tax rate to 18 per cent. In comparison, all Chinese companies enjoy a flat corporate tax rate of 25 per cent, with this dropping to 10 per cent for certain small scale or other encouraged business. When the Chinese can thrive with that kind of approach,

I don't know why we must tax our businesses. By not sticking to its own promise, the Government has once again failed corporate India and missed out on a significant opportunity to actually encourage increased private investment in our economy.

While the macro-economic picture of the country's economy was treated by the Government rather dismissively by not mentioning it in the Budget speech, the Finance Minister did spend quite some time building castles in the sand, particularly with her lofty Vision for the Decade which includes $ 5-trillion economy goal. That is supposed to cater to the '*aasha, vishwas and aakansha*' of the people. But ask the same people what this target means to them and it is completely unimaginable to them. What will actually cater to their needs, their *aakansha* would be the GDP per capita in rupee terms which goes directly into their pockets and matters to them. But according to the most recent World Bank classification this month of countries by Gross National Income per capita, India continues to be a lower-middle income country along with 46 others, while even little Sri Lanka has climbed to the upper-middle income group for the Fiscal Year 2020. What the Government plans to do to increase the Gross National Income of its citizens to even the Sri Lankan level was strangely absent from the Finance Minister's imagination. Clearly, this imagination of an expanded dollar footprint of the country's economy represents only the '*aasha, vishas and aakansha*' of the '*suit boot ki sarkar*' than of the *aam aadmi*.

What will the Government's Budget leave for the *aam aadmi*? The hon. Finance Minister memorably invoked the Father of the Nation quoting the Mahatma's immortal vision: "The Soul of India lies in its villages."

(1425/RK/GG)

She went on to emphasise the Government's apparent commitment to *gaon, garib aur kisan.* But for each of these categories; rural India, the economically and financially challenged in our society and those who put food on our table, there was sadly very little for them to write home about.

Take our nation's kisans, those who provide the 'food security' that the FM has mentioned. These men and women, during these last five years, have seen nothing but a step-motherly treatment from this Government which has resulted in record level of farmers' suicides.

Yes, the Budgetary allocation for the Ministry of Agriculture has gone up, from the previous fiscal, very high, from Rs. 75.75 crore to Rs.1.39 lakh crore. But if you look at why it has gone up, you will realise that this essentially is only because of Rs.75,000 crore that has been allocated this time for the expanded version of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, which of course provides an annual income transfer of Rs.6,000 to most of our farmers.

As we in the Opposition have repeatedly pointed out, the PM-KISAN Scheme in its current form is clearly divorced from the reality of the acute agrarian crisis the country is facing. There are fundamental structural challenges that have not been mentioned. Just a hand out. It was announced first in the Interim Budget earlier this year; the present Government decided,

that the burden of the farmer was only worth a paltry Rs.500 a month. That is what Rs.6,000 a year comes to. So, in their pitiable attempt to reach out to a community where the average annual indebtedness of an Indian farmer stands at Rs.47,000, did the Government really believe that a Rs.500 note would provide relief to a farmer in the throes of existential despair? Did they believe that salvation will come to him in the form of Rs.16.5 a day? Or even lower, for, in the average rural household of five members, it would really mean Rs.3 a day, a staggering lower than one-eighth of the poverty metric of Rs.27.2 per person and much lower than they could earn through the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme that our Party had brought in. The idea was not to provide genuine relief but just enough money to win votes. Ghalib will forgive us if we change his famous lines a little and say:

" हज़ारों ख़्वाहिशें ऐसी कि हर ख़्वाहिश पर दम निकले।
हम चले थे किसान सुरक्षा करने, लौटे 500 रुपये लाए।"

This cynical lip service to those who put food on our table could not have come at a worse time. Just look at the situation. You made a song and dance in 2016 about doubling farmer income by 2022. Have you even come close to increasing farmer income? Farmer income in fact in our country has fallen. You can check the data. Growth rate in this sector has been acknowledged by your Economic Survey as having slowed down to a crawl. Input prices and, therefore, the cost of cultivation has gone up every year but earnings have fallen every year. The procurement system of MSPs has largely failed to assuage the crisis experienced by the debt-stricken farmer. To make things

worse, the southwest monsoon, which accounts for 70 per cent of India's annual rainfall, has so far seen a deficit of 26 per cent. That has led to 27 per cent decrease in planting in the kharif season. Farmers across the country, as you know, have risen in protest, last year and a year before. They have marched in order to flag the attention of the Government that has consistently, systematically, and unconscionably failed them. What reception have their legitimate concerns received? In Delhi, they were ignored. In Nasik, they were harassed and in Mandsaur they were shot.

Our kisans could be forgiven for changing the words of another well-known *shayari* and saying:

" अलविदा कहते हुए, जब मैंने इस शख़्स से पूछा कि कोई निशानी तो दो
वे मुस्कुराते हुए बोले कि गोली ले लो "

Under these grave circumstances, it is not surprising that the allocation for support schemes like the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, the Government's flagship crop insurance scheme, has seen a modest increase.

(1430/PS/KN)

In her address – even while the hon. Finance Minister began by praising her Government as one whose signature was in the last mile delivery – there has not been a mention of the glaring loopholes in the Fasal Bima Yojana that undermines its supposed benefits as a crop insurance scheme. Since the implementation of the scheme, the insurance companies have collected annual premiums far exceeding the pay-outs to the aggrieved farmers and what they have paid, has not been timely. Recent reports based on data from the

Government's own Ministry of Agriculture, says that as of May 10, 2019, out of the Rs. 12,867 crore of claims that have been filed and certified by the State Governments concerned, 40 per cent of claims, that is, Rs. 5,171 crore from the kharif season that ended last year, remain unpaid.

As you must be aware, according to the guidelines of the Fasal Bima Yojana, claims have to be paid within two months from the end of the harvest. But that means, two months would have been February 10, 2019 latest. But by May, they have not been paid. By comparison earlier, under the equivalent UPA schemes, the National Agricultural Insurance Scheme and the modified National Agricultural Insurance Scheme, the gross premium collected was Rs.10,560 crore and total claims paid was Rs. 28,564 crore. So, in our scheme, insurance companies had to pay three times more than they collected. In your Government's scheme, the insurance companies are actually collecting more than what they are paying out.

No wonder enrolment in the Fasal Bima Yojana, has fallen from 58 million farmers in Fiscal Year 2017 to 55 million farmers in Fiscal Year 2018. It only remains a golden goose for the insurance companies. I must say that from a country that is suffering from such agrarian distress, we cannot afford to have a scheme that enriches the insurance companies, but gives a raw deal to the poor farmers.

"दिल-ए-नादां तुझे हुआ क्या है, आख़िर इस दर्द की दवा क्या है।

हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है।"

At the same time, there is very little investment in other schemes for farmers that could have actually helped them to reach their target of doubling farmer income. For instance, the allocation for agriculture-related research, the research in education – which often offers very good returns on investment – has only risen marginally from Rs. 7,900 crore to Rs. 8,078 crore. So, it is about 0.37 per cent of agricultural GDP - the same amount, as before, far short of the one per cent, that is a globally accepted requirement target.

There was also the mention of the return to 'zero budget' farming, which is puzzling. मैं फाइनेंस मिनिस्टर से जानना चाहता हूँ कि उसका मतलब क्या है? आखिर हमारे किसानों का बजट वैसे भी ज़ीरो है, as we all know. आपने कैमिकल फर्टिलाइजर्स सब्सिडी के लिए सिर्फ 9 हजार करोड़ रुपये दिए हैं और परम्परागत कृषि विकास योजना को सिर्फ 325 करोड़ रुपये दिए हैं। ज़ीरो बजट तो सही है। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना में सिर्फ 17 प्रतिशत बढ़ाया है। It is a marginal increase of 17 per cent. डीजल सब्सिडी जो देनी चाहिए, जब बारिश की कमी है, in rainfall deficit areas, आपने सिर्फ 70 करोड़ रुपये दे दिए हैं। आप जानते हैं कि यह सब हो रहा है, जब देश के कई इलाकों में सीवियर ड्राउट चल रहे हैं। यह तो किसानों के लिए बिल्कुल ज़ीरो बजट ही है। We cannot afford to be misled by this Government's rhetoric and empty promises. You can talk about doubling farmer income, but you have to walk the talk.

तेरे वादे पर जिये हम, तो यह जान, झूठ जाना,

कि ख़ुशी से मर न जाते, अगर एतबार होता।

Then, there is the grand announcement of 'Matsya Sampada Yojana' under the Department of Fisheries. …(*Interruptions*) the Department of Fisheries and not the separate Ministry, a long promise made by this

Government. The Government announced a separate Ministry that it will be, in its National Policy on Fishing- 2012 and promised it in its 2014 manifesto, but now, with just a department, you are claiming that your Yojana will introduce a robust fisheries management framework. As an MP from Thiruvananthapuram which has a significant fishing community, I have …(*Interruptions*)

Sir, I am just over halfway through. We have a little more time. I have repeatedly pushed this Government on the urgent need for a dedicated Ministry.

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): You have already crossed the time that has been allotted to the Party.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, just give me another fifteen minutes.

HON. CHAIRPERSON: You have already crossed half of it and some other Members from your Party also have to speak. Think about it.

(1435/RC/CS)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I will conclude in 10-15 minutes after making the key points.

This is a source of livelihood for nearly four million of our country's citizens. Most of the fishing communities are vulnerable groups. They live below the poverty line. A dedicated Ministry could have solved their problems to some degree but I am told that there is no rationale for the creation of a separate Ministry. The result is that the Finance Minister can talk about a Blue Revolution but they have not allocated a single rupee for the strengthening of

our coastline through a sea-wall. In my constituency, from Pallithura to Pozhiyoor and from Valiyathura to Shankumukham, every single day, large swathes of our coastal land is being washed into the sea as a result of widespread coastal erosion. It is affecting the homes and the livelihoods of lakhs of fisherfolk, but their repeated pleas, which I have raised three times in 'Zero Hour', in the last couple of years, have fallen on deaf ears. You have actually reduced the money for the Coastal Management Programme by 42 per cent in your budget. When the Ministry responsible is more concerned with cow protection than protecting fishermen, obviously it is better to be a cow than a *malsyathozhilali* in India today. But it is also a part of continuing pattern of the neglect of the needs of my State, Kerala.

The money required for the rehabilitation of cyclone Ockhi victims has not been provided. The same can be said by my Odisha friends about victims of Gaja. There is practically nothing for the victims of last year's Kerala Floods either. Our fishermen are in terrible condition, yet they have shown great heroism in rescuing thousands of people in the floods, but our requests for help to rebuild Kerala have been rejected in this Budget. They have been recognised globally but not by our Finance Minister who has given nothing for re-building Kerala.

Also, where is the corpus for rubber farmers and assistance for economically vulnerable immigrants returning from Gulf countries? We want their remittances, but we want to do nothing for the people who have been sending these remittances, when they lose their jobs and come back.

My request for establishing the National Institute of Medicinal Plants in Thiruvananthapuram has been continuously overlooked even though you claim to be in favour of traditional medicines. The promised National Ayurveda University, an institute of national importance, has not come either. Despite the Government's big talk of promoting Ayurveda, it has failed to harness Kerala's great potential in traditional knowledge in this field, even though I had a public oral commitment from the AYUSH Minister when he came to Thiruvananthapuram last year.

The plantation industry in South India is in terrible condition. It provides employment to 1.5 million workers, that too in remote areas but no funds are being given in this Budget for the Commodity Boards. There is no proposal to upgrade the National Institute for Speech and Hearing in Thiruvananthapuram into a National University for Rehabilitation and Disability, also promised by this Government in its previous avatar. So, the fact is that we have serious challenges here but Kerala is not the only example of this Government's neglect.

In her address, she barely scratched the surface of the greatest crisis facing India today. The crisis of jobs in the country. After dismissing findings from a leaked NSSO report earlier this year, the Government did a full U-turn and reached the same figure as per its own Ministry of Statistics and Programme Implementation. That shows a 45-year high unemployment. Now 6.1 per cent of the total labour force is unemployed; 7.8 per cent of all

employable youth in urban areas are jobless and the percentage in rural areas is 5.3 per cent. The joblessness among men stood at 6.2 per cent.

That is all very well for the Finance Minister to claim that 'IndiaInc are India's job creators' but the fact remains that Government's silence on this issue is truly shocking. What about the two crore jobs in a year that this Government used to talk about? We do not hear that anymore and there are no successful schemes for youth employment. You can call the youths, Bhagya Vidhatas, but you give them no jobs to create their own Bhagya. This is worrying for more reasons than one.

Let me stress that our demographic dividend is possible now but it is definitely reducing because our population growth rate will slow down in the next two decades and we would go through a demographic dividend phase which will end by the early 2030s. So, we must really seize the last decade that is available to us. Otherwise, this Government can justly be accused by history of squandering the golden opportunity on its watch.

After all, for whom are you building a new India if not for the young? The fact is that we have very severe challenges in that regard. I do want to say that education is such a neglected area. It is rather sad that it is not this Government's priority. They have increased the total allocation rather modestly which is well short of the Kothari Commission recommendations. They are not even half of the level of the recommended six per cent of the GDP.

The SC/ST students have been ill-treated because the budget estimates for post-matric scholarship for SC students has been slashed from Rs.3000 crore. The post matric scholarship for ST students has also been reduced this year.

(1440/SNB/RV)

Allocations for fellowships and scholarships for Ph. D and post-doctoral students from the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes community also has a similar tale.

They have created this National Research Foundation which may be fine in theory but no one will know if the Government is simply using it to centralise Government control on research; clamp down on academic and intellectual freedom on our campuses and hold our universities to ransom because it gives them control over what research they are allowed to do. It is very worrying, at the same time, that one of the world class institutions, like we have the IIMs, their central share of allocations has fallen from Rs. 1336 crore last year to Rs. 445 crore this year.

HON. CHAIRPERSON (BHARTRUHARI MAHTAB): Please conclude now.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I am coming to the key points at the very end. The state of education is bad enough. Allocation for Defence was barely mentioned and it represents a very modest increase from last year's allocation and it is the lowest since the 1962 war and with all of that it comes at a time when the Parliamentary Standing Committee has been told that 68 per cent of our Army's equipment is in the vintage category. As far as

the Army is concerned, the Government enjoys saying things like `how is the *josh'* but you ask the Defence experts, their answer is, `where is the money'? There isn't money for all the needs that the Army and the Armed Forces need to fulfil.

There are plenty of misses and half positives, but keeping in mind your request for the time, I will quickly finish with one sentence each on every point. On environment, the Government talks of electric vehicles, but as I said, there is absolutely no great infrastructure to promote that. The allocation for the Ministry of Environment is so abysmal that it is even less than what was spent on the statue in Gujarat and there are substantive cuts for the National Green Tribunal. The allocation has gone down by 75 per cent; the allocation for the Environment Protection Management and Sustainable Development scheme has gone down and merely a sum of Rs. 40 crore has been allocated for the Climate Change Action Plan. On health care, in respect of Ayushman Bharat, it has the same problem as that of the *Fasal Bima Yojana.* The insurance companies seem likely to gain but how much actually people are going to get? The numbers are not encouraging.

There is a striking missed opportunity in the tourism sector which, many of you know, creates eight times jobs, the jobs of the same amount of money invested in industry because you can absorb semi-skilled and unskilled workers in jobs that do not require much training like waiters, door-man, bus boy, gardeners etc. But you have given no major tax relief for the industry; no

major incentives for PPP model tourism development; no encouragement to invest in jobs in this area.

So, the fact is that there are definitely some things they have done that the hon. Finance Minister pointed to which won them votes, such as building toilets under *Swachh Bharat.* But a study shows that 65 per cent of these toilets do not have running water. So, how will they stop open defecation in India.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, you have to conclude now. You already have taken 45 minutes.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I am concluding. The fact is that even, for example, the gas cylinders, 90 per cent of the recipients cannot afford to refill the gas cylinders. That is according to objective studies in this regard. So, these signs of *Acche Din* are not terribly encouraging in terms of any concrete solutions. The fact is that a great deal needs to be done to address the issues in all these sectors that I have pointed out and I must say that it is extremely important because if you want to truly respond to the *akansha* of the Indian people you need to actually address their real fears and hopes. As Ghalib pointed out:

नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं,
सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं,
कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं,
दिशा को बदलो तो किनारे खुद बदल जाते हैं।

Sir, we must remain faithful to the great inheritance of the previous 70 years if we are going to build a new India in the 21st century and as far as the Opposition is concerned, let me end by quoting the following lines:

हयात लेकर चलो, क़ायनात लेकर चलो,
चलो, तो सारे ज़माने को साथ लेकर चलो।

आप हमें भी साथ लेकर चलिए। All these schemes must involve the people of the whole country and not just some.

Thank you.

(ends)

1444 बजे

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट की चर्चा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस ऐतिहासिक बजट के बारे में कुछ बातें रखने का अवसर दिया है।

सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और आपके माध्यम से सदन को याद दिलाना चाहता हूं और विशेष रूप से मेरे विपक्ष के जो साथी हैं, उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब वर्ष 2014 में हमारी सरकार बनी थी, तो अर्थव्यवस्था की जो दयनीय स्थिति थी, आप उसे समझिए।

(1445/MY/RU)

हमारे विपक्ष के एक साथी ने कहा, उन्होंने एक मेटाफ़र का उपयोग किया, लेकिन मैं एक दूसरे मेटाफ़र का उपयोग करना चाहता हूं। वर्ष 2014 में जब हमें एक अर्थव्यवस्था मिली, आप समझिए कि वह एक पैसेंजर ट्रेन थी। उस समय जो अर्थव्यवस्था थी, वह विकास की ट्रेन थी, एक पैसेंजर ट्रेन थी, जो पटरी से गिरी पड़ी हुई थी। जब हम लोग आए, तो उस पैसेंजर ट्रेन को पटरी पर चढ़ाया और उस पैसेंजर ट्रेन को पटरी पर चढ़ाकर आगे बढ़ाया। श्री अरुण जेटली जी उस समय माननीय वित्त मंत्री थे, आजकल वह अस्वस्थ्य हैं। उनके कुशल नेतृत्व के कारण हम लोगों ने उस पैसेंजर ट्रेन को पांच सालों में राजधानी ट्रेन बना दिया। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस दूरदर्शी और प्रभावशाली बजट के द्वारा उस राजधानी ट्रेन को हम न सिर्फ राजधानी ट्रेन तक छोड़ेंगे, बल्कि उसे बुलेट ट्रेन भी बनाएंगे। हम लोग उस बुलेट ट्रेन पर विपक्ष के अपने साथियों तथा जनता को बैठाकर पांच ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को पूरा करेंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पांच ट्रिलियन डॉलर का जो लक्ष्य है, उसको हम लोग हासिल करेंगे, लेकिन यह जो बजट है, इसने जो नींव खड़ी की है, जो नींव बनाई है, उससे हम पांच ट्रिलियन डॉलर नहीं, बल्कि 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भी हासिल करने

वाले हैं। मैं आप लोगों को विस्तार से समझाऊंगा। श्री शशि थरूर जी ने अर्थव्यवस्था की जो रूपरेखा दी है, उसी का उपयोग करके और उन्हीं के मॉडल से मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग पांच ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य हासिल करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम 10 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य भी हासिल करने वाले हैं।

मैं कुछ आंकड़ों के साथ इसको आरंभ करना चाहता हूं। आप सब को मालूम हैं कि Dr. Shashi Tharoor has a way with words but we also have to pay attention to numbers and not just words. कभी-कभी लगता है कि हम लोग किसी शायरी के सम्मेलन में हैं, लेकिन यह बजट की डिबेट है, यह बजट की चर्चा है, इसलिए हमें आंकड़ों पर जाना है और हमें वास्तविकता पर जाना जरूरी है। वर्ष 2014 में जब हमें सरकार मिली तो उस समय जो जीडीपी थी, वह 111 लाख करोड़ रुपये की थी। पांच सालों में हम लोगों ने 111 लाख करोड़ रुपये को 188 लाख करोड़ रुपये किया है। इन पांच सालों में 70 परसेन्ट की वृद्धि हुई है। जो जीडीपी पर-कैपिटा थी, ग्रॉस नेशनल इनकम पर-कैपिटा थी, जो 7,9000 था, आज वह 1,26,000 हो चुका है। इसमें भी हम लोगों ने बहुत वृद्धि की है।

अगर हम लोगों को पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को हासिल करना है, तो यह जो 188 लाख करोड़ रुपये की जीडीपी है, उसे हम लोगों को करीब साढ़े तीन सौ लाख करोड़ रुपये तक ले जाना है। जितनी तेजी से हम लोग पिछले पांच सालों से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जो नॉमिनल ग्रोथ रेट है, वह करीब 11-12 परसेन्ट रही है। इन छह-सात सालों में ही हम लोग साढ़े तीन सौ लाख करोड़ रुपये तक अपनी अर्थव्यवस्था को पहुंचा देंगे। अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को साढ़े तीन सौ लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा देते हैं तो जीडीपी पर-कैपिटा, ग्रॉस इनकम पर-कैपिटा दो लाख पार कर जाएगी। उसी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से, जैसा हम लोगों ने बनाया है, अगर हम लोग उसी रफ्तार से आगे बढ़े, हमें साढ़े तीन सौ लाख करोड़ रुपये को सात सौ लाख करोड़ रुपये बनाना है, तब हम लोग 10 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। उस समय जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर-कैपिटा थी, जो आज के समय 1,26,000 है, वह चार लाख पार कर जाएगी।

इसमें आपको एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। मैं सभापति जी के माध्यम से अपने विपक्ष के साथियों को बताऊंगा कि आज जो वर्तमान रफ्तार है, हम लोगों ने पिछले पांच सालों में जो काम करके दिखाया है, अगर उसी रफ्तार से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएं, उसे थोड़ा बढ़ा दें, तो हम लोगों को पांच ट्रिलियन डॉलर और 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, आंकड़ों के आधार पर ही हम दिखा सकते हैं कि इस पर कैसे अमल कर सकते हैं।

हमारे विपक्ष के जो साथी थे, उन्होंने इस क्वॉटर तथा पिछले एक-दो क्वॉटर्स के कई सारे नम्बर पेश किए, मैं उनको समझाना चाहता हूं, मुझे भी इन विषयों पर थोड़ी-बहुत जानकारी है, हमारे वर्तमान एक-दो क्वॉटर्स के जो फैक्टर्स हैं, जब हम आगे पांच ट्रिलियन की बात करते हैं और 10 ट्रिलियन की बात करते हैं तो एक-दो क्वॉटर्स के जो फैक्टर्स हैं, हमें उसे नहीं देखना है।

(1450/CP/NKL)

हमें देखना है कि स्ट्रक्चरल फैक्टर्स क्या हैं? क्या हैं ड्राइवर्स अपनी जीडीपी के, अपनी अर्थव्यवस्था के, जो हमें 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन तक पहुंचा सकें? मुझे यहां थोड़ा सा संदेह है कि हमारे माननीय विपक्ष के जो साथी हैं, वे थोड़ा रियर व्यू मिरर से गाड़ी चला रहे थे, विंडशील्ड से नहीं देख रहे थे। ऐसा कभी-कभी करते हैं तो दुर्घटना भी हो जाती है। मैं उनको कहूंगा कि थोड़ा सावधान और सतर्क रहें। आप रियर व्यू मिरर से मत चलें। एक-दो क्वार्टर की बात न करें। अंग्रेजी में अगर आपको समझाना हो शशि जी, क्योंकि अंग्रेजी आप पसंद करते हैं। A swallow does not make a summer. Please do not extrapolate on the basis of one-offs and one or two quarters. You have to look at the broad structural trends at work in the economy right now. That will power us to 5 trillion dollars, and then on to 10 trillion dollars. That is what we have to examine. That is, precisely, why I said that this was a bold, forward-looking Budget that is putting in place those structural road drivers. That is what we, as responsible Members that represent the people of India, have to consider, and not fall into the trap of just

extrapolating from one or two quarters or one or two one-off factors. It is very important to consider that. माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ आंकड़ों में आपको संदेह है। मैं आपको एक-दो चीजें समझाना चाहता हूं। आपने जीएसटी की बात की। जीएसटी के बारे में कई बार चर्चा हुई है कि जो जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन किया गया, उसमें कुछ गलतियां थीं। उसको सही रूप से इंप्लीमेंट नहीं किया गया और जो अपेक्षाएं थीं, वे अपेक्षाएं हम लोगों ने जीएसटी के द्वारा पूरी नहीं कीं। यह बिल्कुल गलत है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आवश्वासन देना चाहता हूं, विपक्ष के साथियों को और पूरे देश की जनता को समझाना चाहता हूं कि हम लोगों ने जीएसटी के द्वारा दो साल में जो करके दिखाया है, दो साल में जो हुआ है, यह दुनिया के इतिहास में किसी फेडरल स्ट्रक्चर वाले किसी भी देश में नहीं हुआ है। मलेशिया जैसे देश को जीएसटी को रोल बैक करना पड़ा। वहां की सरकार भी चली गई, क्योंकि वे उस पर अमल नहीं कर पाए। किरन बाबू, हमारी सरकार नहीं गई। हमारी सरकार और प्रचण्ड बहुमत से वापस आई, क्योंकि हम लोगों ने जीएसटी को इतने शानदार तरीके से अमल किया। वन नेशन, वन टैक्स को हमने अमल किया।

अब हम आंकड़ों पर आते हैं। आप जीएसटी के आंकड़े देखिए। जीएसटी पर अगर हम 2017-18 पर जाएं, तो देखेंगे कि 2017-18 में उसका एक्चुअल कलेक्शन 4.42 लाख करोड़ था, फिर हमने एक टार्गेट रखा। हमने टार्गेट 7.43 लाख करोड़ का रखा, जो 68 पर्सेंट 2017-18 से ज्यादा था, क्योंकि हम लोग बड़े एंबिशियस थे। हमने कहा कि इतनी अच्छी तरह से हो रहा है, तो 68 पर्सेंट ग्रोथ की एंबिशन, एक टार्गेट लेकर चले।

ठीक है कि हम लोग उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, लेकिन 68 परसेंट का टार्गेट था। हम लोग 68 परसेंट का टार्गेट अचीव नहीं कर पाए। हम लोग 6.43 लाख करोड़ का टार्गेट अचीव कर पाए। 4.42 लाख करोड़, सोचिए जो एक्चुअल था, उस पर हम लोग 6.43 लाख करोड़ अचीव कर पाए, यानी कि लगभग 50 परसेंट ग्रोथ हुआ जीएसटी में, जिस साल हम लोगों ने जीएसटी को लागू किया। अब आप बताइए कि यह बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी सफलता हमारे टैक्स

अथॉरिटीज की, वित्त मंत्रालय की हुई या नहीं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय अरुण जेटली जी को और माननीया श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, श्री अनुराग ठाकुर जी को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किस कुशल तरीके से इस जीएसटी को लागू किया गया।

एक और बात, अब हम लोग देखें कि इस बजट में, वर्ष 2019-20 में कि जीएसटी के लिए हम लोगों ने क्या लक्ष्य रखा है। जब हम लोगों ने 7.43 लाख करोड़ लक्ष्य रखा, तब 6.43 लाख करोड़ हासिल किया, यानी 50 परसेंट ग्रोथ हुई। आप सोचिए कि कितनी अद्भुत बात होती है, ईयर टू ईयर ग्रोथ टैक्सेज का 50 परसेंट ग्रोथ हुई। यह हमें कितनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। हम लोगों ने 6.43 टार्गेट अचीव किया, अब हमने 6.63 लाख करोड़ का टार्गेट रखा है, जो सिर्फ 3 परसेंट ज्यादा है, जिसमें कि हम लोग अपने सब उद्योग जगत के जो सदस्य हैं, जो कंपनीज हैं, उन्हें हम लोग कह रहे हैं कि आप इसको सैटल डाउन कीजिए, इसे स्टेबलाइज कीजिए और फिर इसके आधार पर हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं। किस कुशलता से और किस मेच्योरिटी से ये टारगेट सेट किए गए हैं, यह मैं इसके द्वारा आपको दर्शाना चाहता हूँ, क्योंकि आप आंकड़ों की बात कर रहे थे। जब आपने आंकड़ों की है, तो मैं इस बजट में आपको एक और महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता हूँ कि सब जो टारगेट्स हैं, इस बार सब जो बजट के टारगेट्स हैं, बहुत ही रीज़नेबल टारगेट्स हैं।

(1455/NK/SRG)

अनरीजनेबल टारगेट्स में बजट के साथ स्लाइट ऑफ हैंड करने में जैसे यूपीए सरकार ने दिखाया था, हमने ऐसा कभी भी नहीं किया। माननीय प्रधान मंत्री जी ने हरदम कहा है कि जनता को पारदर्शी और पूरी ईमानदारी से सभी आंकड़े पेश करने चाहिए और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सरकार चलानी चाहिए। इस बार हम लोगों ने It will increase from Rs. 14.84 lakh crore to Rs. 16.49 lakh crore, which is only an increase of 11 per cent. We are saying nominal GDP is going to grow 11-12 per cent. In line with nominal GDP increase, we have said net tax revenues will increase, which is a very, very

reasonable number. Another reasonable number that is in the Budget right now, again I will commend you to look at the data, खासकर अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं क्योंकि वे आंकड़े चाहते हैं कि इन्हें आंकड़ों के आधार पर समझाया जाए, आप आंकड़ों को देखिएगा जो बजट डेफिसिट है, पिछले साल का रिवाइज्ड एस्टिमेट 6.34 लाख करोड़ रुपये है, इस साल growth of only 7 per cent, again in line with nominal GDP. That is why, fiscal deficit has come down to 3.3 per cent. सब जो आंकड़े हैं, जो बजट में पेश किए गए हैं, पूरे एलोकेशन्स हैं, सभी स्कीमों के एलोकेशन यहां दिए हुए हैं। आप इनका पूरी तरह से अध्ययन कीजिए, पढ़िए तो आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगा। आपको पूरा स्पष्टीकरण मिलेगा, आप जिस आंकड़े को खोज रहे हैं, एलोकेशन्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, वह सब आपको इसमें मिल जाएगा। यह आंकड़ों की बात हुई, हम लोगों ने पारदरशिता और ईमानदारी से सारी बातें आपके सामने प्रस्तुत की है। यह शायरी सम्मेलन नहीं है, कोई कवि सम्मेलन नहीं है, हमारे विपक्ष के साथी जो भी चाहें, यह बजट पर चर्चा है। उन्होंने बहुत शायरी पेश की, मुझे भी कुछ न कुछ दर्ज करना पड़ेगा। ...(व्यवधान) । आपने जब पेश किया तो मुझे भी कुछ न कुछ शशि जी कहना ही पड़ेगा। अभी एक बहुत बड़ा चुनाव हुआ था। चुनाव में आप भी जनता के बीच गए, हम भी जनता के बीच गए, आपको बहुत-बहुत बधाई कि आप अपना चुनाव जीते, लेकिन बड़े सारे सहयोगी जो कांग्रेस के मित्र हैं, वे नहीं जीत पाए। सोलहवीं लोक सभा में जिनसे हम बहुत अच्छी तरह से रूबरू थे, जिनसे परिचय था, आज वह यहां नहीं बैठे हैं, दुख भी होता है, उनके साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन वे नहीं रहें। वह क्यों नहीं रहे।

1457 बजे (श्रीमती रमा देवी पीठासीन हुईं)

वह नहीं क्यों रहें, ये हालात क्यों हुए? कुछ हैं और कुछ नहीं हैं। मुझे दुख है जो नहीं हैं, हाऊस में नहीं हैं। मुझे माफ़ करें, माफ करें। हमें यह भी समझना होगा जो काम साठ सालों में नहीं

हुआ, हम लोगों ने जनता के बीच जाकर प्रचार किया, हम लोगों ने जनता को बताया कि हमें क्या-क्या सफलताएं मिलीं, क्या-क्या हम लोगों ने काम करके दिखाया। उसे लोगों ने स्वीकार किया।

माननीय सदस्यगण जानते हैं कि हमने शौचालय की बात की, सड़क की बात की और सब चीजों की बात की, उसे जनता ने स्वीकार किया। हमने जनता से प्रश्न किया और अपने विपक्ष के साथियों से भी पूछना चाहता हूं कि जो काम साठ साल में नहीं हुए थे, उसे साठ महीने में कैसे करके दिखाया। साठ सालों में जो काम नहीं हुए उसे साठ महीनों में करके दिखाया। ऐसा नहीं था कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी आ गई हो, सरकार के तंत्र नहीं बदले, सरकार के जो तंत्र या सिस्टम थे, वही सिस्टम हमारे पास भी थे। ऐसा नहीं था कि कोई फरिशता आ गया, वही आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर जो पहले थे, वही थे। हमारे पास कोई नोट छापने की मशीन नहीं थी। हमने कैसे किया? जिसे आप साठ साल में नहीं कर पाए, उसे साठ महीनों में कैसे करके दिखाया, यह एक बहुत बड़ा रहस्य था। जब हम जनता के सामने प्रस्तुत करते थे तो वह कहते थे। हां, इसे आपने कैसे किया, यह कैसे हुआ। मैं उनको समझाता था, इस पर हम लोगों की अच्छी बातचीत हुआ करती थी। हम सत्ता को सेवा का माध्यम समझते हैं, मेवा का माध्यम नहीं समझते हैं। सत्ता सेवा का माध्यम है, मेवा का माध्यम नहीं है। अगर हम सत्ता में आए हैं तो काम करने के लिए आए हैं, कमाई करने के लिए नहीं आए हैं।

(1500/SK/KKD)

हम सत्ता में कुछ लेने नहीं आए हैं, हम सत्ता में सिर्फ देने आए हैं। हम जब जनता को यह समझाते थे और कहते थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल और साहसिक नेतृत्व के कारण जो काम 60 सालों में नहीं हो पाए, हमने 60 महीने में करके दिखाये। यही वास्तविकता है और यही वास्तविकता विपक्ष के साथी नहीं समझ पाए। …(व्यवधान) मैं समझा रहा हूं। शायरी चल रही थी, तो शायरी की बात करनी पड़ती है। आपने इज़ाजत भी दी, इरशाद भी हुआ। आप वास्तविकता और अपनी राजनीति को नहीं समझेंगे लेकिन मैं विपक्ष के साथियों को समझाना चाहता हूं।…(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): We are expecting from you …(*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): We want to be guided by you. You are an eminent economist. …(*Interruptions*)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): अधीर जी, आप बैठ जाइए।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): अभी आपको पूरे आंकड़े दिए थे। …(व्यवधान) समझ लीजिए, यह जरूरी है। मैं सिखा भी रहा हूं, लेकिन सीखने से पहले मंशा सही होनी चाहिए, मानसिकता सही होनी चाहिए। …(व्यवधान) इसलिए तो आप वहां हैं, क्योंकि

न समझोगे तो मिट जाओगे ए कांग्रेस वालो
तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में।

डॉ. शशि थरूर (तिरुवन्नतपुरम): यह तो इकबाल ने भारत के लिए कहा था, आप ऐसे कह रहे हैं।…(व्यवधान)

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): इतिहास को समझ लीजिए। इतिहास का कूड़ाखाना आपके सामने हैं, आप इतिहास को समझ लीजिए। …(व्यवधान)

अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे थे कि अब जयंत बाबू की भी क्लास हो जाए, चलिए क्लास आरंभ करते हैं। अगर आपको जीडीपी और अर्थव्यवस्था को थोड़ा समझना है, इसमें तीन-चार बिंदु हैं, जो विशेष रूप से समझने की जरूरत है। माननीय शशि थरूर जी ने भी इनका जिक्र किया है और विस्तार से समझाने की कोशिश की है।

हमारे जीडीपी में कन्जम्पशन हावी है। अगर हमें बुलेट ट्रेन बनानी है, 5 या 10 ट्रिलियन पर जाना है, तो हमें कन्जम्पशन को प्रोत्साहन देना है इसलिए कन्जम्पशन का प्रोत्साहन जरूरी होगा। इसके साथ इन्वेस्टमेंट को भी प्रोत्साहन देना है, बूस्ट करना है। जीडीपी तब आगे बढ़ेगी जब इन्वेस्टमेंट और कन्जम्पशन आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग जगत के लिए सही नीतियों की रूपरेखा बनानी पड़ेगी। इसके साथ सेविंग्स रेट को भी बूस्ट करना होगा। सेविंग्स जब आएंगी तब इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार का सृजन होगा, रोजगार का सृजन होगा तो कन्जम्पशन बढ़ेगा। यह सब एक वर्चुअस साइकल बन जाता है जब आप सही तरीके से नीतियां बनाकर आगे बढ़ाते हैं। मैं इस बजट को एक ऐतिहासिक, दूरदर्शी और प्रभावशाली बजट इसलिए कह रहा हूं।

अब हम सब नीतियों पर आते हैं क्योंकि यह कन्जम्पशन को प्रोत्साहन दे रहा है, बड़े जोर-शोर से प्रोत्साहन दे रहा है, इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन दे रहा है, रोजगार का सृजन कर रहा है, सेविंग्स, चाहे वह डोमेस्टिक हों या विदेश की इन्वेस्टमेंट हो, उनको प्रोत्साहन दे रहा है। एक इन्टीग्रेटिड वे में सब पर अटैक किया है। 5 ट्रिलियन डॉलर बहुत प्रभावशाली होने वाला है, मैं समझता हूं कि हम बहुत आसानी से हासिल कर पाएंगे।

अब मैं आपको बताता हूं कि हमें कन्जम्पशन के बारे में क्या समझना चाहिए। आपकी तरफ के वक्ता को 30-35 मिनट मिले थे, लेकिन उन्होंने 45 मिनट बोला।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): हर साल जीडीपी ग्रोथ कितनी होनी चाहिए।...(व्यवधान)

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): 350 लाख करोड़ की जीडीपी, जो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनामी है, मैंने उसके कम्पोनेंट्स बताए, कि कौन से उसके भाग हैं, हम कैसे प्रोत्साहन दें कि हम 350 लाख

करोड़ की इकोनामी पर पहुंच सकें। सबको पता है कि इकनॉमिक्स वन ऑन वन है कि इन्वेस्टमेंट, कन्जम्पशन, गवर्नमेंट की स्पैंडिंग, नैट एक्सपोर्ट्स है। These are the components in GDP. So, a good Budget is one that promotes each of these different elements -- the element of consumption and the element of investment – and in doing so, if we unlock savings, we drive investment and we create jobs. That is how, the whole system is interconnected.

मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप सिस्टम को देखें, जिस कुशलता से इस बजट द्वारा हर लैवल पर काम किया गया है, किस सीक्वेंस में किया गया है तो अधीर जी, विश्वास होगा कि हम 350 लाख करोड़ क्या, 700 लाख करोड़ के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं।

(1505/MK/RP)

अब हम लोग कंजम्प्शन पर आते हैं। कंजम्प्शन को किसान सम्मान निधि के द्वारा जो बूस्ट मिला है, वह बहुत ही ऐतिहासिक है और इसके द्वारा कंजम्प्शन को जबर्दस्त लाभ मिलने वाला है। चुनाव के समय हमने कहा था कि हम 75 हजार करोड़ रुपये देने वाले हैं, जिनके पास दो एकड़ जमीन और जो उससे नीचे के फॉर्मर्स हैं, उनको हम लोग छ: हजार रुपये सालाना देने वाले हैं। शशि थरूर जी, आपको छ: हजार रुपये शायद कम लगे, लेकिन मैं एक बहुत पिछड़े हुए इलाके से आता हूं, वहां छ: हजार रुपये बहुत बड़ी बात होती है। आप सब लोगों को शायद यह छोटा मामला लगे, लेकिन छ: हजार रुपये से किसान लोन को पेऑफ कर सकते हैं, अपने बच्चे की पढ़ाई-लिखाई करा सकते हैं, सिंचाई आदि पर खर्च कर सकते हैं, जो बड़ी बात है। इसलिए अब हम लोग छ: हजार रुपये हर किसान को देने वाले हैं। कैबिनेट में यह निर्णय हुआ है कि न सिर्फ दो एकड़ जमीन वाले किसानों को बल्कि सभी किसानों को छ: हजार रुपये सालाना देंगे । ये 90 हजार करोड़ रुपये जो सीधे डॉयरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के एकाउंट्स में जा रहा है, इससे बड़ा कंजम्प्शन बूस्ट क्या हो सकता है? इकोनॉमी में सीधे 90 हजार करोड़ रुपये जा रहे हैं।

साथ-साथ, जो फूड सेक्योरिटी एक्ट है, उस पर भी हम लोग डेढ़ लाख करोड़ रुपये खर्च करने वाले हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ रही है, इससे भी किसानों की बचत होगी। किसान क्रेडिट कार्ड का जो इंट्रेस्ट सब्वेन्शन है, उसमें भी किसानों को राहत दे रहे हैं। साथ-साथ जो राज्य सरकारें हैं, आपकी भी राज्य सरकार, जिन्होंने लोन को माफ कर दिया है, हमारे यहां भी लोन माफी हुई, झारखंड में भी हम लोगों ने किसानों को और प्रोत्साहन दिया है। राज्य सरकारें भी इसमें भागीदारी दे रही हैं। जब हम लोग किसानों को कंजप्शन का बूस्ट दे रहे हैं, तो इससे अवश्य है, एकदम पक्का है कि कंजम्प्शन दौड़ेगा, इकोनॉमी भी दौड़ेगी, क्योंकि हम लोग जबर्दस्त बूस्ट दे रहे हैं।

शशि थरूर जी आप एक और बात समझ लीजिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, त्रिवेन्द्रम तो बड़ा अर्बनाइज्ड हैं, इसलिए आप ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा नहीं जाते होंगे। लेकिन, कभी आप झारखंड आएं, बिहार आएं। सभापति महोदया तो वहीं से हैं, ये भी आपको वहां आने के लिए जरूर निमंत्रण देंगी। आप आएं और देखें कि आज के समय में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां अब सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम नहीं रही, अब आय के कई स्रोत पैदा हो गये हैं। कुछ लोग बड़े-बड़े शहरों में काम करते हैं, शायद त्रिवेन्द्रम में भी काम करते होंगे। कुछ लोग हैं, जो सरकार में काम करते हैं, वे भी वापस अपने घर में पैसे भेजते हैं और साथ-साथ बकरी पालन, मुर्गी पालन, डेयरिंग इन सब स्रोतों से किसानों की आय बढ़ रही है। इनसे भी हम लोग कंजम्प्शन को बूस्ट दे रहे हैं। हम लोग खास कर बजट की चर्चा कर रहे हैं। इस बजट में 10 हजार फॉर्मर्स प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन्स हैं। हम लोग डेयरिंग, फिशरीज़, जिसकी चर्चा आपने भी की, को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये सब हम लोग किसानों को दे रहे हैं ताकि उनको राहत मिले, उनका कंजम्प्शन बढ़े। इससे कंजम्प्शन को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।

इसके साथ-साथ आप यह भी जान लीजिए कि इंटरिम बजट में हम लोगों ने कहा था कि मिडिल क्लास को पांच लाख रुपये तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथ-साथ 80-सी, 80-डी, 80-जी वाले जो इग्जेम्प्शन्स हैं, इनमें भी और दो-तीन लाख जुड़ जाते हैं। इस बार हम लोगों ने हाउसिंग लोन के लिए डेढ़ लाख रुपये दिये हैं। ये पैसे जो मिडिल क्लास पहले टैक्स में दे रहे थे, उसकी भी बचत है और यह उन लोगों को मिल रहा है जो खर्च करने वाले हैं The propensity to consume

is high. इसलिए उनका भी कंजम्प्शन बढ़ेगा। एक ओर जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जो किसान हैं, उनको कंजम्प्शन के लिए बूस्ट दे रहे हैं और साथ-साथ जो शहरी इलाके हैं, जहां लोग अपना टैक्स भर रहे हैं, वहां भी हम लोगों ने उनको कंजम्पशन के लिए टैक्स में राहत दी है। इससे वहां भी कंजम्पशन को बहुत जबर्दस्त प्रोत्साहन मिलेगा। आप किसी मध्यम वर्ग के परिवार को देखें, उनके जीने के जो साधन हैं, चाहे वह ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकॉम या फूड प्राइसेज हों, सभी जगह आज के समय में इनके दाम घट रहे हैं। उनको हमारे इफिशिएंसी इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा प्रोडक्टिविटी बूस्ट मिल रहा है। पहले लोग फोन पर दो हजार रुपये तक खर्च करते थे। शशि थरूर जी, शायद आपका दो हजार नहीं, दस हजार रुपये खर्च होता होगा। लेकिन, आज के समय में लोग पहले एक हजार-दो हजार रुपये खर्च करते थे, आज वे दो-तीन सौ रुपये खर्च कर रहे हैं। यहां भी लोगों की बचत हो रही है। मैं आपको हवाई जहाज, रेलवेज के बारे में बताऊंगा कि यहां भी लोगों को बचत हो रही है। ये सब जो खर्चे कम हुए हैं, इनसे कंजम्प्शन को बूस्ट मिला है।

(1510/YSH/RCP)

देखिए किसकी प्रपेन्सिटी टु कंज्यूम सबसे हायेस्ट है। अगर उनकी जेब में 10 रुपये या 50 रुपये आ गए तो वे उसको जरूर खर्च करेंगे और इससे इकोनॉमी को बहुत फायदा मिलेगा। वे हैं गांव, गरीब और किसान और इसलिए जब हम गांव, गरीब और किसान को राहत देते हैं, उन्हें साधन देते हैं, तो कंजम्पशन इकोनॉमी में बढती है। जो व्यक्ति चाहे खाने पर खर्च कर रहा था, घूमने फिरने पर खर्चा कर रहा था, वह खर्चा बचाकर अब कंजम्पशन में चला जाता है। आप देखिए कि हम लोगों ने गांव, गरीब और किसानों को, अपने पिछली नीतियां द्वारा जो साधन दिये। हमने इस बजट में भी साधन दिया, यह भी आपको समझना जरूरी है।

माननीय सदस्य यह भी हम लोगों ने करके दिखाया है। पिछली जो सरकारें थीं, उनमें गरीब के लिए सिर्फ स्लोगन थे। हमने स्लोगन नहीं, गरीबों को साधन दिए हैं। वह आप सब जानते हैं क्योंकि आप जब अपने क्षेत्र में दौरा करते हैं, तो बिजली, सड़क, पानी, पक्का घर और बैंक खाता आदि जो बुनियादी सुविधाएं हैं, यह हम लोगों ने करके दिखाया है। प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत हम

लोग 2 करोड़ घर बनाने वाले हैं, हर व्यक्ति को पक्का घर देने वाले है। उसके लिए हम उन लोगों को जो सब्सिडी देंगे, उससे भी उनकी बचत होगी और जब इनको घर मिलेगा, जब भी किसी को घर मिलता है, चाहे वह अर्फोडेबल हाउसिंग हो या प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत हो, तो वे लोग घर में खर्चें भी करते हैं, इससे भी कंजप्शन बढ़ता है। मैं एक इसमें बात जोड़ना चाहता हूँ जो कंजप्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हैं, लेकिन बहुत जरूरी है। इस बजट में और शशि थरूर जी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन समझना जरूरी है कि इस बजट में गरीबों के लिए बहुत क्रांतिकारी और इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं हम लोगों ने इस शनिवार और इतवार को अपने क्षेत्र में जल शक्ति अभियान भी चालू किया, पानी के द्वारा जो हम गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले हैं। उनके रोजमर्रा के जीवन में हम लोग राहत पहुंचाने वाले हैं, यह अद्भूत है।

आपको याद होगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा सामाजिक क्रांति लाए। आज के समय बड़े सारे डवलपर्स इंडिकेटर चाहे, मैटर्नल मोर्टेलिटी रेट हो या किसानों की इनकम हो, वह प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से प्रभावित हुई है। यह सामाजिक क्रांति है। जहां भी आप घूमें वहां देखिए, अब गांव में पहुंचना आसान हो गया है। 97 परसेंट गांव पक्की सड़क से जुड़ गए हैं। अब गांव में पहुंचना आसान हो गया है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। पूरा व्यापार चल रहा है। यह बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति हुई है। यह अटल जी की सरकार ने किया था। अब फेज़-3 आ गया है, इसमें 1 लाख 80 हज़ार करोड़ रुपये से 1 लाख 25 हज़ार किलोमीटर्स का अपग्रेड होना है। इस सामाजिक क्रांति को हम लोग आगे ले जा रहे हैं। आज माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार ने इतनी बड़ी सामाजिक क्रांति स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा लाई। अपनी माताओं और बहनों को हम लोगों ने इज्जत दी, उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया। यह हम लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत किया। अब आप लोग समझिए और यह समझना जरूरी है। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, आपका भी और आपके माध्यम से पूरे देश का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि अब जो जल शक्ति अभियान चालू हो रहा है, जैसे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

के द्वारा हम सामाजिक क्रांति लाए, जैसे हम ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत सामाजिक क्रांति लाए, उसी प्रकार से जल शक्ति अभियान से हम लोग एक सामाजिक क्रांति लाने वाले है। 18 करोड़ परिवारों को नल में जल देने वाले हैं। सब लोगों ने देखा होगा कि हमारी माताएं और बहनें सिर पर देघची लिए किस तरीके से पानी चापाकल या दूरदराज किसी तलाब से ला रही है, कैसे उनको स्नान करना पड़ रहा है, कैसे उनको तालाबों में या झीलों में जाकर कपड़ों को धोना पड़ रहा है। वे समझेंगे कि जब हम नल में जल लाएंगे तो कितनी बड़ी सामाजिक क्रांति होगी। यह सामाजिक क्रांति हम इस बजट के द्वारा ला रहे हैं। इस पर हम सभी लोगों को ध्यान देना है और इसे एक जन आन्दोलन बनाकर हमें अपने क्षेत्रों में अपनी जनता के बीच में ले जाना है।

(1515/RAJ/MMN)

सभापति महोदया, मैंने ये जो बातें कहीं है, ये कन्जम्पशन पर थीं। जैसा हमने कहा है कि हम लोग 90 हजार करोड़ रुपये 'किसान सम्मान निधि' से दे रहे हैं। गरीबों को साधन दे रहे हैं, मिडल क्लास को राहत दे रहे हैं। हम ने इन सभी के द्वारा कंजम्पशन को बहुत बूस्ट दिया है।

अब मैं इन्वेस्टमेंट पर आता हूं, लेकिन इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए पहले हमें सेविंग्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तब होगा, जब हम सेविंग्स को सही रूप से मोबिलाइज कर सकते हैं। जब हम सेविंग्स को मोबिलाइज करेंगे तब इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे और फिर इन्वेस्टमेंट हमारी अर्थव्यवस्था में बढ़ेगा। अब आप देखिए कि सेविंग्स के लिए हम ने कितना कुछ किया है। पहली बात यह है कि सेविंग्स में हम ने फिस्कल डेफिसिट को 3.3 प्रतिशत रखा है, यह बड़ा प्रभावशाली और अहम् है, क्यों। जब सरकार ज्यादा बॉरोइंग करती है, अगर सरकार बाजार में जा कर बैंकों से बहुत ज्यादा बॉरोइंग करने लग जाए, ऋण लेने लग जाए तो फिर इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स के लिए क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जब सरकार सब सेविंग्स मोबलाइज कर लेती है, मोनोपोलाइज कर लेती है तो ब्याज की दर भी बढ़ती चली जाती है। जो निर्णय लिया गया कि 3.3 प्रतिशत फिस्कल डेफिसिट हम लोग रखेंगे, हम ने इसके द्वारा सरकार की बॉरोइंग पर लगाम लगाई, उस पर नियंत्रण लगाया। इसके कारण इंटरैस्ट रेट गिरे हैं। अगर आप बाजार में जा कर देखेंगे कि जी-सेक रेट बजट के बाद

गिरा है। वह एक और कारण से गिरा है। यह भी एक ऐतिहासिक निर्णय है, गेम चेंजिंग निर्णय है, आप इस पर ध्यान दें। माननीया वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हम लोग इतिहास में पहली बार एक सॉवरेन बॉण्ड, विदेश जा कर पैसे लेकर आएंगे। उन्होंने यह भी बताया है कि हमारे एक्सटर्नल बौरोइंग सॉवरेन बॉण्ड, सरकार का सिर्फ फाइव परसेंट ऑफ जीडीपी है, जो अन्य देशों के मुकाबले बहुत कम है। The borrowing headroom of the sovereign bond in India is actually very high and so when we go out and we issue a sovereign bond, we will not only be able to borrow at a very, very low rate compared to mobilising those savings here in India, we shall also be able to establish a benchmark for all the Government borrowings, both domestic and international, and because we are not taking domestic savings but mobilising foreign savings, we will also be able to bring those savings into investment. This is a very important and a very profoundly significant decision that has been taken by the Finance Ministry to do a sovereign bond. So, that becomes very important.

Finally, because of the inflation targeting policy that the RBI is following right now, the Government borrowings are low. G-sec rates come down. Inflation expectations are better anchored. It is possible we create the monetary space for the Reserve Bank of India to take advantage of its accommodative monetary policy stance and further bring down the interest rates. Bringing down interest rates is not only good for consumption because it means your EMIs come down.

अगर आप घर, मोटरसाइकल, स्कूटर, टीवी, आप जो भी उधार पर ले रहे हैं, जब ब्याज की दर कम होगी तो स्वाभाविक है कि आपकी कंजम्पशन ज्यादा होगी। उसी प्रकार से सरकार पर जो बोझ है, वह भी कम होगा, जब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि आपका हर्डल रेट भी कम हो गया है। यह जो 3.3 परसेंट coupled with

sovereign bond का डिसिजन है, यह आप देखें कि किस कुशलता से इसे तैयार किया गया है, जिसमें सेविंग्स को मोबिलाइज किया जाए और इंटरेस्ट रेट्स को देखा जाए। आप थोड़ा शायरी में लगे होंगे। माननीय सदस्य जी, शायद आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं इस पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। अब intermediation of the financial system वह कैसे किया जाता है, वह फाइनैंशियल सेक्टर के द्वारा किया जाता है। हम लोगों ने फाइनैंशियल सेक्टर को भी इस बजट के द्वारा दुरुस्त किया है। हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 70 हजार करोड़ रुपये रीकैपीटलाइजेशन के लिए दिए हैं, जिसमें क्रेडिट फ्लो होगा। साथ-साथ जो रेगुलेटरी कमियां थीं, यह नेशनल हाउसिंग बैंक आरबीआई के परव्यू में नहीं था, उसको हम लोग वहां ले आए। एनबीएफसीज में जहां थोड़ा-बहुत लग रहा था कि टाइटेन हो गई है और उसके कारण भी कंजम्पशन अफेक्टेड था, हम लोगों एनबीएफसीज के लिए भी एक लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी स्कीम लाए हैं। हम ने यह भी कहा है कि आरबीआई अब प्रूडेंशियल रेग्युलेशन, एनबीएफसीज के साथ करेगा, उनको फरदर टाइटेन करेगा।

So, the intermediation function of the financial system takes savings on the one hand and brings it to those that are looking for savings and to those that are looking for investment, the mobilisation of savings. We have made sure that both, on the debt side and on the equity side, they are given the support that we are providing to the Start-ups, to the FPIs and to the NRIs, that is, the mobilisation of savings, thereby bringing in high quality investor, and this has been done in a very, very skilful way in this Budget. इन्वेस्टमेंट को बड़ी कुशलता से किया गया है।

(1520/IND/VR)

मैंने सेविंग्स में मोबलाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट की बात कही है। अब इन्वेस्टेंट की बात करते हैं। इनवेस्टमेंट में तीन ऐसे मुद्दे हैं, जो बहुत प्रभावशाली हैं। बजट में कहा गया कि हम मेगा

मैनुफैक्चरिंग जोन्स बनाने वाले हैं। वह भी ट्रांसपेरेंट कम्पेटिटिव बीडिंग से हम मेगा मैनुफैक्चरिंग जोन्स खड़ा करेंगे और वहां आप बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी कीजिए। एडवांस टेक्नोलॉजी वाली फैक्ट्रियां खड़ी कीजिए। We are prepared, as the hon. Finance Minister said, to extend you appropriate tax concessions. This is going to enable us to take advantage of the current situation as far as trade is concerned. There is a very significant trade dispute developing between the United States and China. Lots and lots of companies are looking to move out their supply chains from China to India. With these mega manufacturing zones, we are providing them the safe havens in a country with tremendous macro-economic and political stability. This is a huge boost for investment.

The second thing is electric vehicles. We all understand that electric vehicles are essential for our future. Not only is it important for us to sustain the global leadership that we have in two-wheelers, three-wheelers and small cars – we are the world leader as we are producing 22 million two-wheelers right now – we also have to ensure that we are the world leader when it comes to electric vehicles. But, at the same time, we have to reduce our import dependence. We can do that with electric vehicles. So, we have to give them this encouragement.

By coupling increased taxes on petroleum and diesel and providing incentives on electric vehicles, we are also addressing the global warming issues to which we are committed because of the Paris Accord. We, as a country, are dealing with the challenges of global warming. Therefore, the benefits of electric vehicles in aftermath of global warming also need to be emphasised. That is what we are doing for electric vehicles.

I will now come to the final point of investment, which is going to be very, very important for the middle class and for everyone looking to find a home to live in. अफोर्डेबल हाउसिंग को हम बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमने और डेढ़ लाख रुपये का कंसेशन अफोर्डेबल हाउसिंग में दिया है। आपको मालूम होगा कि जब लोग 45 लाख रुपये से कम कास्ट के फ्लैट खरीदते हैं, तो इन्वेस्टमेंट तो होती ही है, रीयल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन साथ-साथ कंजम्पशन भी होता है, क्योंकि जब भी कोई नए घर में जाता है, तो वह फर्नीचर खरीदता है, पर्दे खरीदता है, कारपेट्स खरीदता है, इस तरह कंजम्पशन को भी प्रोत्साहन मिलता है। हम लोग मेगा मैनुफैक्चरिंग जोन्स, इलैक्ट्रिक व्हीकल्स और अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम 400 करोड़ रुपये से कम की जो कम्पनीज़ हैं, उन्हें 25 परसेंट का टैक्स रेट दे रहे हैं, जिससे कि उस टैक्स की बचत से वे इन्वेस्टमेंट कर पाएं। इसके द्वारा इनवेस्टमेंट को भी हम लोग बहुत जबरदस्त प्रोत्साहन दे रहे हैं।

अब मैं उस महत्वपूर्ण बात पर आता हूं, जिसका जिक्र आपने किया और सभी लोग उस बात की चर्चा कर रहे हैं और वह बात रोजगार की है। आप देखिए कि जब कंजम्पशन बढ़ता है, जब इनवेस्टमेंट आता है, तो स्वाभाविक है कि रोजगार का सृजन होगा और हम लोग जॉब क्रिएशन करेंगे।…(व्यवधान) One swallow does not make a summer. You have to look at the structural drives and I am on the structural drivers. स्ट्रक्चरल ड्राइव्स में देखिए नेशनल एजुकेशन पालिसी को हम कह रहे हैं कि हम करेंगे। कौशल विकास योजना को हम ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम अपनी टॉप यूनिवर्सिटीज को वर्ल्ड क्लास लेवल पर ले जा रहे हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा रिसर्च को कंसोलिडेट करके नए-नए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इसके साथ-साथ हम स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम जो एआईएफ-1, एआईएफ-2 लाए हैं, वैल्युएशन की जो सिरदर्दी थी, उसे हमने हटा दिया और उन्हें भी टैक्स बचत दे रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि अधिकतर जॉब्स छोटी कम्पनियों द्वारा दिए जाते हैं। जब छोटी कम्पनियां बड़ी कम्पनियां बनती हैं, तभी अच्छे-अच्छे रोजगार का सृजन होता है। एक जमाने में विप्रो, टीसीएस, इनफोसेस आदि जो

आज की बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं, वे एक जमाने में छोटी कम्पनियां थीं। आज ये लाखों लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। हम लोग भी उसी प्रकार से नई-नई कम्पनियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।

अभी माननीय सदस्य तेजस्वी सूर्या जी ने कहा कि रूरल इंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रोत्साहन दिया गया, यह बात भी सच है। आप देखें चाहे वह 75 हजार स्किल्ड इंटरप्रेन्योर्न्स की बात हो, फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशंस की बात हो, कॉओपरेटिव्स की बात हो, इसका पूरा विस्तार बजट में दिया गया है। मैं आपको रोजगार के बारे में कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। माननीय सदस्य ने रोजगार के बारे में कुछ आंकड़े दिए हैं। अगर आप ईपीएफओ डेटा पर जाइए, जहां आर्गेनाइज्ड जॉब क्रिएशन के बारे में सबसे एक्यूरेट डेटा मिलेगा।

(1525/PC/SAN)

वहां आपको नज़र आएगा कि फिस्कल-19 में 1.37 करोड़ जॉब्स का क्रिएशन हुआ है। …(व्यवधान) ऑर्गनाइज़्ड सैक्टर में 18-25 ईयर्स ओल्ड के फर्स्ट ईपीएफओ कॉन्ट्रिब्यूशन के आधार पर इसको किया जाता है। …(व्यवधान) हर महीने करीब नौ लाख लोगों को रोज़गार मिल रहा है। …(व्यवधान) यह ईपीएफओ डेटा में दिया जा रहा है। स्व-रोज़गार के लिए भी हम लोग 30 करोड़ रुपये का मुद्रा लोन दे रहे हैं। आप जॉब्स की बात करते हैं। शशि थरूर जी, अगर आपको इस विषय पर चिंता है, तो आप त्रिवेंद्रम जाइए और दिहाड़ी पर किसी मज़दूर को लेने की कोशिश कीजिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपको 400-500 रुपये दिहाड़ी पर भी कोई मज़दूर नहीं मिलेगा। अगर रोज़गार की इतनी किल्लत होती, तो लोग कम पैसे में क्यों नहीं मिलते? …(व्यवधान) ऐसा नहीं हो रहा है। …(व्यवधान) आप देख रहे हैं। …(व्यवधान) यही सही है। …(व्यवधान) आप कहीं भी चले जाइए, चाहे आप झारखंड जाइए या केरल जाइए, 300-400 रुपये से कम दिहाड़ी पर आपको कोई नहीं मिलेगा। …(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदया, अब मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों को कंक्लूज़न में अपनी बात संक्षेप में समझाने की कोशिश करूंगा। जो मॉडल

माननीय सदस्य डॉ. शशि थरूर जी ने दिया, जिस रूप-रेखा पर उन्होंने अर्थव्यवस्था का एनालिसिस किया, उसी रूप-रेखा पर, उसी मॉडल पर मैं कह रहा हूं कि आप इनवेस्टमेंट को देखें, आप कनजंप्शन को देखें, आप सेविंग्स को देखें, आप जॉब्स को देखें, आप हर क्षेत्र में देखें। आप ईमानदारी से देखेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि इस बजट में हमने जिन नीतियों को प्रस्तुत किया है, वे बहुत ही प्रभावशाली हैं और दूरदर्शी हैं। हमें 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी नहीं, बल्कि 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की तरफ यह बजट ले जा रहा है। …(व्यवधान) मैं अंत में कहना चाहूंगा, मैं कोई शायरी नहीं पेश कर रहा हूं। इसलिए आप सब थोड़ा धैर्य रखिए। …(व्यवधान) स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध लैक्चर था, जो वर्ष 1901 में न्यू यॉर्क में हुआ था। यह अंग्रेज़ी में है, इसलिए शशि थरूर जी को पसंद आएगा। मैंने इसका बड़ा अध्ययन किया और इसे ध्यान से पढ़ा। अगर आपको रिफॉर्मर बनना है, तो क्या शर्त होनी चाहिए, क्या कंडीशंस और क्राइटीरियाज़ होने चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि - If you wish to be a true reformer, three things are necessary. विपक्ष के मेरे साथियो, आप लोगों के लिए यह बहुत लंबा रास्ता है। आप इसका अध्ययन कर लें। आपको इससे लाभ मिलेगा। हमने तो अध्ययन कर ही लिया है, लेकिन आप भी इसे जान लीजिए। The first is to feel. Do you really feel for your brothers and sisters? Do you really feel that there is so much misery in the world? हम नामदार लोग नहीं हैं, हम तो कामदार लोग हैं। …(व्यवधान) Are you full of that idea of sympathy? Do you really feel for your brothers and sisters?

Second, you must think next if you have found any remedy. इस बजट में वह रैमेडी है, वह एक्शन प्लान है। क्या आपके पास इसकी रैमेडी है? Then, you have to ask : What is your motive? Are you really sure that you can stand to your ideals and work on, even if the whole world wants to crush you down? Are you sure that you will persevere so long as life endures? Only then, you are a real reformer, you are a teacher, a master, a blessing to mankind.

माननीय सदस्यगण, न सिर्फ यह बजट, न सिर्फ राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, न सिर्फ हमारा संकल्प पत्र, ये सब नहीं, बल्कि हमारी जो नीतियां हैं, वे दर्शाती हैं कि हम रियल रिफॉर्मर हैं, हम देश हित में काम कर रहे हैं, मैनकाइंड के लिए काम कर रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी के कुशल और साहसिक नेतृत्व के कारण हम इस देश को अवश्य एक विश्व गुरु बनाएंगे, जिससे हमारी जनता और पूरे विश्व को इससे लाभ मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

(1530/RBN/SPS)

1530 hours

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Madam Chairperson, at the outset I would say that neither myself nor my leader, Dr. M.K. Stalin, nor the Members of Parliament nor the people of Tamil Nadu received any cheers from the Budget. But at the same time we had a sigh of relief when Madam Finance Minister quoted *Purananuru*, *and Pisirandaiyar* of the Sangam Age.

I would now go into the details of the Budget. My friend's son, Shri Jayant Sinha, has now just asked us to talk about figures. He said that unless we quote figures he would not accept anything. That is what my friend's son already spoke. He is very much correct. I am just pointing out two or three figures. The Government of India has claimed that during 2018-19, the tax to GDP ratio will go up to 12.4 per cent. This was my friend, Shri Jaitley's words. Now, it has dwindled to 11.9 per cent. Next year it is going to be 11.7 per cent. Then, how will you be able to say that the economy is growing?

I am an ordinary person. I hail from a small village, a remote corner in deep South. I am a farmer's son. I thought these questions would be good ones that can be posed to the Government of the day. The public debt has mounted without any check causing severe damage to the economy. The income is Rs. 19.62 lakh crore. The expenditure is Rs. 27.86 lakh crore. Hence, the Government is forced to borrow Rs. 7 lakh crore. Apart from that, the National Highways Authority of India and the Food Corporation of India will be borrowing not less than Rs. 4.4 lakh crore. So, altogether approximately Rs. 11 lakh crore

have to be borrowed by this Government to survive. In this scenario, where is the chance for the Finance Minister to fund the infrastructure projects?

They are all very big economists. They know what will happen if the price of petrol and petroleum products is increased. They know pretty well that the common man will suffer. There will be spiralling effect in the economy if you increase the price of petrol or petroleum products, whether it is diesel or petrol. If you increase the price of petrol, there will be a cascading effect. It is wide open to the economists and they know what will happen.

I have to appreciate the boldness of the Finance Minister and the present day Government. If we increased the price of petroleum products even by 10 or 15 or 25 paise during UPA's period, the present day ruling Party, the then Opposition, used to jump from ground to sky. But now they have got the guts to increase the price of petrol by Rs. 2.57 and that of diesel by Rs. 2.30 per litre. As I said, whenever we used to increase the price by even 25 paise during the UPA's regime, they used to pounce on us. But now they are comfortably increasing the price by Rs. 2.57 and Rs. 2.30 per litre of petrol and diesel respectively. What is the basic price of petrol in Chennai? It is Rs. 33.91. For diesel it is Rs. 38.54. Excise duty is Rs. 19.98 on petrol. Excise duty on diesel is Rs. 15.83. Dealer commission is Rs. 3.56 for petrol and for diesel it is Rs. 2.50. (1535/SM/KDS)

The retail price per litre of petrol is Rs.72.96. The price of diesel per litre is Rs.66.69. Suppose, without providing for excise duty and VAT, if they levy 18 per cent GST, what will happen? The price will be of the order of Rs.44.21 per

litre of petrol and Rs.48.43 of diesel. So, there is a difference. Holistically, the difference of price of petrol will be Rs.28.75 per litre. There will be a reduction. At the same time, Diesel will be Rs.18.26 per litre.

Madam, you can understand how this Government is mopping up the public money, the common man's money to the Exchequer. This is not fair. This is not at all fair to punish the common man to get the money to the Exchequer. How can we tolerate this? How can the people's representatives tolerate all these things?

Madam, what did the Ministers coming from Delhi to Chennai say at the Airport? It was said, "Yes, we are not going to accept the excise duty hereafter, we are not going to allow the VAT to be levied by the States and definitely, we are going to levy GST only." What has happened to the promises made by the Ministers? They have wiped out 17 taxes; they have wiped out 13 cesses. Why have they not introduced GST in case of petrol and diesel? Why can the excise duty not be wiped out? Why have they not allowed VAT to be levied by the States? What is the problem? This has to be answered by the Finance Minister as well as by other people of the ruling party.

Public are suffering; the common men are suffering. This is very much an awful thing. This Government will be pulled down because of this reason. It affects the farmers; it affects the common man; it affects the petty shop owners and it affects everybody. So, this has to be withdrawn forthwith and at the same time, they should introduce GST on petrol and diesel without any loss of time.

My late revered leader Dr. Anna who established our Party was worried about the development of Tamil Nadu. He was worried about the economic development; he was worried about the industrial development. He continuously argued for this.

My leader Dr. Kalaignar Karunanidhi and the whole party was vociferously fighting for a separate Dravida State. Why have we pushed it to that extent? It is because we did not have any industry and we did not have any economic development in those days. I am talking about those days. So, invariably, we were arguing for a separate Dravida State. But that was given up because of the Chinese aggression in 1962.

In 1962, Anna took a view that during emergency, during the wartime, we should not push this. So, he withdrew this. But at the same time, he said, “the reasons are still continuing and it will continue.” Even oday, it is continuing. Even now, Dr. Anna’s words are continuing. Even now, we are rejected and that is why we are dejected. That is why, we are quarrelling like this.

Madam, what has happened to the Salem Steel Plant? Anna vociferously declared a resurgent day for Salem Steel Plan.

(1540/AK/MM)

My Leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi, took up the matter with the rural masses. He had travelled the length and breadth of Tamil Nadu and has created awareness among the public. There was a lot of hue and cry in Tamil Nadu. So, what has happened? Finally, the people at the helm of affairs here in Congress like Congress Leader, Shri Kamaraj, took it very seriously. He had established

the tank factory, and he was the root cause to establish a BHEL in Trichy. So, industry revolution started taking place because those Leaders, who were very much knowing the problem of Tamils, had come to our rescue.

On 21/03/1970, my Leader became the Chief Minister of Tamil Nadu. In the National Development Council (NDC) in front of the mighty ruler, Shrimati Indira Gandhi, he roared like anything and said that : “My State is being ignored as there is no industrial relation or economic development. So, at least, in this meeting in the Fourth-Five Year Plan, the Salem Steel Plant should find a place.”. This is what he had roared at that time in that meeting, but it was not understood by Shrimati Gandhi at that time. Therefore, my Leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi, had walked out of that NDC. Thereafter, within 15 days, Shrimati Gandhi called my Leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi, to Delhi and it was in the Parliament itself on 14/07/1970 that it was announced that the foundation stone of the Salem Steel Plant would be laid very shortly. This was what was expressed in the Parliament. This particular Plant has gone dead. Why has it gone dead? It is not because of the labourers. It is only because of the Management, and I can say that it is only because of this Government.

What is happening now? This Government had promised to bring solar power plant, which has not been brought. If they would have brought the solar power plant, then Rs. 30 crore would be reduced from the cost. The cost of power is Rs. 133 crore; the cost of depreciation is Rs. 90 crore; and interest is Rs. 100 crore. As regards the interest part, the investment made by this Government is not in the form of grant, but it is totally based on interest payable

by the company to the Government of India. Will it be able to bear it? For us and Tamil Nadu, it will be an interest-bearing loan, but for other States it will be a grant. Will anybody accept it? This is what is happening in Tamil Nadu.

Moreover, for the past three years, the labour force is trying to reduce the losses. What is happening there? In 2014-2015, the result was – Rs. 355 crore; in 2015-2016, it was Rs. 465 crore; and in 2016-2017, it was Rs. 77.65 crore. So, you can very well understand as to how the people have toiled and brought it from 'red' to 'green'. So, this is happening in Tamil Nadu. This industry has been brought with great care and fight of my Leaders. So, it is an emotionally integrated subject for me.

The Minister of State, Mr. Anurag, is sitting here who is a young gentleman, and he can understand the problem that 4,000 farmers gave their farming land out of which many people gave it free of cost and many people gave it at throw-away prices. Those farmers will not permit you to hand over the plant to any third-party private person.

(1545/SPR/SJN)

I can only warn. I can only say, be careful before the Ides of March. That I what I can spell now. You know as to what is meant by 'Ides of March'. At the same time, people who are the root cause for losses are not labourers; it is the management. People running the management are simply sitting in the airconditioned rooms. As Madam stated yesterday, people running the management are sitting in the airconditioned rooms. What is happening?

Raw material has to come from Durgapur – from Durgapur to Salem. You can imagine the logistics. You are all from the finance background. You all know what is accountancy. How is this type of loss being created? Materials are not supplied on time. Steel is not supplied on time. Moreover, what is the order of Railways? Railways, being a Government concern, has to purchase. It has to purchase tonnes and tonnes of stainless steel from the Salem Steel Plant. Now a days, it is not doing so. What it amounts to? The Ministry of Railways has reduced the order. Earlier, the Ministry of Railways used to put indent from Salem Steel Plant for 5,575 tonnes per year. This year, what has happened? It has reduced the order to 121 tonnes. That means, your Government is not totally concerned about this Plant. The Government is simply ignoring the plant For all these acts of yours, you have to answer to the people. In this regard, I can only request my friends on the other side, who were all my friends once; I have friends on this side also.

Same thing is happening to the Sethusamudram project. Whose project is that? Nobody knows that it is the project of Vajpayee *ji.* Young gentlemen present here may not be knowing that. What has happened? Who has signed the agreement? All the friends like Goyal *ji* had signed; my friend, Shri Jaitley had signed; everybody has signed. After that, Vajpayee *ji* has put his seal.

I have never seen such a great leader like Vajpayee *ji* in India. He is the towering personality of India. I have worked under him. He was just like my father. Such a nice man has brought this project to life after 150 years. This was the dream of Anna, Kamaraj and Dr. *Kalaignar* Karunanidhi. He came to Tamil

Nadu in 2005. He was not heading the Government in 2005. Dr. Manmohan Singh laid the foundation stone in front of Madam Sonia *ji.* What went wrong? It is your own project. Anurag *ji,* is there any mention of Sethusamudram project in the Budget? Have you forgotten Vajpayee *ji* or the project itself? You have not mentioned anything about it. It is sad on your part? It is the BJP's project? I had only taken it up by preparing the DPR, and started its execution. Madam Sonia, and Dr. *Kalaignar* Karunanidhi and Dr. Manmohan Singh laid the foundation stone in Madurai in 2005. It was going on well. If I say the names of fanatics, you would sprung at me. I don't want to say that. I don't want to hurt you also.

(1550/UB/GG)

Mr. Anurag, for your information, I never missed anybody. All the saints from North came to my office at Transport Bhawan. I made a presentation, I explained to them and I convinced them. But, in the meantime, what went wrong? With the influence of certain idiotic men, I would say, "Idiotic men", the national asset was spoiled. It is a national asset that was created. It is just like a baby which is not walking…(*Interruptions*).

I am sorry, I am very emotional because this particular project is not my project, it is my forefathers' project; it is Vajpayee's project, it is not Kalaignar Karunanidhi's project. Kindly ensure that this particular project is taken up and the funds are provided immediately. Go to the court! Who are they to stop it! It is a policy matter. I was also a policy maker, I was also in the Cabinet, I know

what a policy is. How can the court interfere in the policy matter? This is not fair. Kindly see that this particular project is taken up.

Madam, I have to speak on my subject and for my constituency. Please permit me. Twenty-four lakh voters have elected me with a margin of 5 lakh votes. They have a lot of confidence and trust in me. They have given me votes like anything.

At the same time, I have to do some certain projects. Mr. Anurag and the hon. Finance Minister have to come to the rescue. Please provide the metro rail connectivity in three extensions – from Kathipara to Poonamallee, airport to Vandalur and Thirumangalam to Ambattur. These are the most important links which will be the gateway of Western Chennai. These projects should be taken up. The Greenfield Airport at Sriperumbudur should be constructed which is pending for so many years. There used to be a grid separator at the Rajiv Gandhi Statue Junction. The railway line was approved three-four years back but the Government is not providing any funds. Now, the Railway Budget is also with you. For Avadi, Sriperumbudur and Guduvancheri, the Government has to provide enough funds. What is going on, Sir? Once upon a time, I was with you. Kindly have some soft corner for me and see that these projects are completed.

(ends)

1553 hours

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam, I will give more thanks at the end if you give me reasonable extended time for my speech.

Madam, ever since I have been seeing the Budget Speeches, I have never seen a Budget Speech like the one delivered on 5th July, 2019 which is so lengthy. I have never come across such a lengthy Budget Speech which does not have any details and/or indication regarding how this object will be achieved. This Budget is completely a visionless budget and in fact the total vision is derailed.

(1555/KMR/KN)

On top of it, not only the Budget imposes cess but also additional excise duty on petrol and diesel leading to their price increase. The increase has been nearly Rs.2 per litre. Along with VAT and cess the increase comes to Rs.2.5 per litre. Therefore, it is having a tremendous effect on daily lives of the people of the country. All will be affected. Each and every one will be affected. Although in the world market the price of crude oil has not increased, but by reason of imposition of surcharge and special additional excise duty, Rs.2.5 per litre on petrol and Rs.2.3 per litre on diesel will be the increase. In the global market during the last three months, the price of crude oil has decreased by 11 USD. But, during the last five years, petrol price has been increased nine times while it has been decreased twice.

Madam Chairman, this is not at all a growth-oriented budget. Hon. Finance Minister had given thanks to the honest taxpayer. If the taxpayer

deserves thanks from the Finance Minister, why tax relief has not been given to the persons who earn more than Rs.5 lakh a year? A surcharge of three per cent has been imposed on income of Rs.2 crore a year. We say that the people of the country, the students of the country, youths of the country should be more educated and that they should get good employment. For the educated person, employee, serviceman, professional, an annual income of Rs.2 crore is nothing. They are not rich. They are only in the upper middle class. Mr. Anurag Thakur Ji, they are only in the upper middle class, they are not rich. They do not come within the category of rich people.

Building the nation is not the responsibility of the taxpayer alone. Building the nation is also the responsibility of the Ministers. When they say tax on annual income of Rs.2 crore and more is being imposed for the purpose of building the nation, I would ask why Ministers do not say that they would forgo their salaries in order to build the nation? They must say that they give up their salaries for building the nation.

Madam, the hon. Finance Minister has said, *"Nari tu Narayani"*. We the Bengalis treat women as the power of the Goddess.

> सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते॥
> सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि गुणाश्रये गुणामये नारायणि नमोऽस्तुते॥
> शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते॥

But what have you done? For women's empowerment, the revised expenditure was Rs.1,156 crore in 2018-19 and now you have increased that from Rs.1,156 crore to Rs.1,330 crore only.

(1600/SNT/CS)

What effective steps have been taken regarding allocation of money for women's empowerment?

Madam, this Budget speaks about nothing but corporates. Corporate tax reliefs have been extended from Rs. 250 crore to Rs. 400 crore. Tax benefit has been given to those companies with annual turnover up to Rs. 400 crore but the benefit has not been extended to persons who earn more than Rs. 5 lakh.

1601 hours (Shri N. K. Premachandran *in the Chair*)

Sir, this Budget is completely in favour of the corporates. Disinvestment target has been increased to Rs. 1,05,000 crore in this Budget. Therefore, you are selling the nation's property. You are really selling the nation's property. You are selling the country itself. You are trying to bring in only foreign investment. You are bringing in foreign investment in the insurance sector. This is disinvestment. Due to this disinvestment, service of the employees will be under threat. Each and every one knows in any corporate, employees and workers work under hire and fire policy. One does not know whether tomorrow his service will be there or not. By making disinvestment, by bringing in foreign investors, by selling the assets of the country, you are keeping the employees and the services under threat.

Being a representative of this Parliament, I had some chance to visit foreign countries. In every country, they praise Air India. Air India is compared with British airlines. Air India is a national carrier. Everywhere, Air India is

being compared with their national carrier. But today, you are going to sell out Air India. What is remaining today? Everything will go to the Adanis. All will go to Adanis and other industrialists. Very good! Will they run the country?

So far as unemployment is concerned, in the Budget, no roadmap or plan is there to create jobs for youth. A Report from the National Sample Survey Organisation stated that unemployment in the country has touched a 45-year high. This is today's condition and it has gone up to 6.1 per cent in the financial year 2017-18. But in West Bengal it is 4.6 per cent as per the former Deputy Governor of the Reserve Bank of India.

Sir, labour-oriented industries like leather, jewellery, petrochemicals and garments are generating more jobs under the leadership of our Chief Minister.

(1605/GM/RV)

India is having a jobless growth now. Only one million jobs were created in the last five years, whereas we need more than one million jobs every year. The Modi Government earlier, and this year also, has failed to keep up its promise on employment which would be dangerous for our country's security also.

Around 40 to 45 per cent workforce is engaged in agriculture and associated activities. Sixty per cent of the population is dependent on agricultural income as per the Census 2011. The Government is proposing Zero Budget Natural Farming. What does that mean? The policy of Zero Budget Natural Farming does not mention whether the zero budget implies zero input.

During the last three years, 12,000 farmers have committed suicide. This is your agriculture policy in our country. Today, nothing has been indicated in the speech itself or in any documents as to how the condition of farmers will improve.

As far as the housing loan is concerned, it was stated that if one purchases a house worth a price up to Rs. 45 lakh, tax relief will be granted to him. Can any of the Ministers go in any metro citiy and give me a one-BHK flat at the cost of Rs. 45 lakh? The middle-class people who want to purchase a flat in the metro cities will not get tax relief at all. Why is there such discrimination between the middle-class citizens of the metro cities and those living in other places?

The interest rates of PPF and other small savings schemes have been decreased. We have 104 million elderly persons in India. In every Budget, you are decreasing the interest rates of PPF and small savings schemes. How will they survive? Hon. Chairperson, you are a lawyer and have legal experience. Please tell me, in case of a permanent maintenance at the time of divorce, a woman has to pass an entire life with the support of interest earned on the maintenance amount. Day by day, you are decreasing the interest rate. What relief are you giving? Simply saying 'नारी तू नारायणी', ऐसे नहीं होगा 'नारी तू नारायणी।' जब 'नारी तू नारायणी' होगा तो नारी को और बहुत सारी रिलीफ्स देने होंगे। पर, वह नहीं हुआ। केवल स्लोगन से नहीं चलेगा, स्लोगन में कुछ नहीं है। जो है, that is in substantive things by which you are giving this relief. Today, a child is also entitled to get the maintenance. His maintenance is kept aside. When the child grows up, what

rate of interest will he earn on this amount and how will he survive? Therefore, the reduction in interest rates of PPF, fixed deposit, or any other small savings scheme every year is taking away the little bit of Right to Life as protected under Article 21 of the Constitution of India.

(1610/RK/MY)

The Government is hitting at their right to life.

The most ignored part of this Budget is education. We are still far behind implementing the Kothari Commission's Report with regard to spending six per cent of GDP on education. Nothing has been mentioned about the school education in the hon. Minister's speech. We need a clear plan about allocation of funds to educate each and every child of this country. The Government is trying to make education a commodity. Today, studying engineering in some premier institute of India costs Rs.10 lakh. The same education in India after 15 years would cost Rs.40 lakh to Rs.50 lakh.

How has the GST killed the small-scale industry, the textile hub of Surat, Gujarat, in India? As per the GST law, the power looms have been barred from seeking any input tax credit refund. Last year's massive protests by Surat's textile business houses against GST, where all the work was stopped for a period of 20 days, have resulted in a loss of over Rs.100 crore across the market.

Zari, a famous industry in West Bengal, has also been affected because of the imposition of GST. Bidi, crackers, beverages, biscuits, pickles,

confectioneries, and so many other items of daily use have been affected because of the GST.

How has the Tea industry been suffering? The draconian proposal to levy two per cent tax if annual cash withdrawals exceed Rs. 1 crore will affect Bengal's tea industry as most tea garden owners disburse wages in cash. Around 3.25 lakh workers are employed in 276 tea gardens. Around 90 per cent of the workers are still getting their weekly or fortnightly wages in cash. If this is done, how much amount has to be withdrawn in a month? For paying wages in cash to the tea garden workers, it requires around Rs.7 crore per month. The Government will impose two per cent tax on this amount. Ultimately, it will go to whom? It will not go to the owner, but it will be passed on to the employees.

In November, 2016, when the Centre had demonetised 1,000-rupee and 500-rupee notes and laid stress on digital modes of payment, the disbursal of tea workers' wages got delayed because of the cash crunch. The banking infrastructure is so weak in these areas that the management had to resume wage disbursement in cash. Do you seriously believe that e-banking works in rural areas? If you go to rural areas, you will not get the Internet. You cannot digitally make any bank transaction.

I may tell you that two weeks back I wanted to order one article online. One of my colleagues tried to help me but he failed. Ultimately, I had to go out and get that article. The Digital India Programme is not at all achieving results.

(1615/PS/CP)

Sir, I will speak briefly. A minimal amount has been increased in a few cases. In case of industry and commerce, in 2018-19, it was Rs. 28,394 crore. Now, it has been decreased to Rs. 27,043 crore. In the case of North-East development, it was Rs. 2,629 in the R.E. It has been increased only by Rs.3,000 crore. In the case of electricity in the R.E., it was Rs. 46,150 crore. It has now gone down and in this budget allocation, it is Rs. 44,638 crore. There is a minimal increase in national social assistance from Rs. 8,900 crore to Rs. 9,200 crore, that is a benefit of only Rs. 300 crore.

Now, I come to the development of Scheduled Castes. Kindly see. We speak so many things about the development of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and *dalits*. उन लोगों के लिए कुछ करना होगा। About Rs.3,778 crore was R.E. Now, this time, it is Rs. 3,810 crore. …(*Interruptions*) I will give you respect. I will end my speech.

In my life, I have got blessings, *rakhis* and other things from my mother, sisters, colleagues, friends, and sisters from media. But this is the first time, a woman Finance Minister has frustrated us. She has not given anything to us. She has frustrated the entire budget. …(*Interruptions*)

It is the guts of the hon. Chief Minister to ask for return of the cut money. ... (*Expunged as ordered by the Chair*)

(ends)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Hon. Speaker, Sir, I have a Point of Order. My friend has spoken about cut money in *… (Not recorded).* These are unproven facts. It cannot go on record.

HON. CHAIRPERSON (SHRI N.K. PREMACHANDRAN): We will see the records and if there is anything unparliamentary, that will be expunged. He has only concluded his speech by saying such things.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): He cannot say that. It is all unverified.

HON. CHAIRPERSON: We will verify it from the records definitely. …(*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): This has been discussed earlier also. I can say about this. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: We will see the records. If there is anything unparliamentary, it will be expunged.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Definitely, we will look into the record.

… (*Interruptions*)

... (*Expunged as ordered by the Chair*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except Shri Vinayak Raut Ji's speech.

…(Interruptions) …(Not recorded)

1617 बजे

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं बजट 2019-20 के ऊपर अपने विचार व्यक्त करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। …(व्यवधान)

सभापति महोदय, 17वीं लोक सभा का पहला बजट माननीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस सभागृह में पेश किया। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। एक बड़े निर्धारित तरीके से और एक आत्मविश्वास, जो मन में था, वह सामने रखकर इस देश को विकास के रास्ते पर तेज गति से चलाने का निर्धारण उन्होंने किया है। इसमें वे जरूर सफल होंगे। इस देश की जनता के जो अच्छे दिन आने वाले हैं, इनके माध्यम से उसके आने की शुरुआत आज हुई है।

जैसा कि माननीय अर्थ मंत्री महोदया जी ने कहा कि पिछले 55 वर्ष जो तत्कालीन राजकर्ता थे, उनके अथक प्रयासों से इस देश की अर्थव्यवस्था की गति इतनी तेज थी कि सिर्फ एक ट्रिलियन डॉलर का रास्ता पिछले 55 वर्षों में हम लोग तय करने में सफल हो सके।

(1620/NK/RC)

यह दुर्भाग्य की बात थी। मैं अभिमान से कहता हूं पिछले पांच वर्ष में माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तीन ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की स्पर्धा को सफल करने में कामयाब हुआ है। जैसा अर्थ मंत्री जी ने कहा है, हम अगले पांच वर्ष में दुनिया का सबसे ताकतवार हिन्दुस्तान बनाने की काशिश करेंगे। हम डेफिनेटली पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था तक जा पहुंचेंगे। मैं प्रभु श्री रामचन्द्र जी से विनती करता हूं, आर्शीवाद मांगता हूं कि हमाारे अर्थ मंत्री जी को सफलता दें। विश्व में हमारा देश महान है, जैसा कहा गया है वह असलियत में हो जाए।

सभापति महोदय, जब माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी सत्ता में आए, देश के सारे वर्गों के मन में तमन्ना थी। आज तक गरीबी हटाओ का नारा बहुत तेजी से हुआ था, गरीबी जैसी की तैसी रही। गरीब हट गए लेकिन गरीबी रह गई, लेकिन भविष्य में देश की गरीबी हटनी चाहिए। आम आदमी का असलियत में विकास होना चाहिए। माननीय पंत प्रधान के रूप में देश का नेतृत्व करने

के लिए देश को नरेन्द्र मोदी जैसा एक आम आदमी या कार्यकर्ता के हाथ में देश का नेतृत्व देने की जरूरत थी। देश के लोगों ने पिछली वोटिंग में भी यह साबित कर दिया है। उन्होंने देखा, बड़ी बातें करने वाले वाले कौन हैं और असल में काम करने वाले कौन हैं? असली काम करने वाले वाले नरेन्द्र मोदी जी का चयन हुआ। देश की गरीब जनता ने अपना भविष्य सौंपने का काम किया।

इस बजट के माध्यम से कई वर्ग के लोगों को राहत देने का काम हुआ। चाहे प्रधान मंत्री स्वदेश दर्शन योजना हो, (पीएमजीएसवाई) प्रधान मंत्री सड़क योजना हो, एलईडी बल्ब का वितरण हो, उज्ज्वला गैस हो, नीली क्रांति योजना हो, सबसे बड़ी बात है, भारत दुनिया का पहला देश है, जिसने इस देश के सामान्य किसान, सामान्य वर्ग, के घर तक वर्ष में कम से कम छह ह़जार रुपये देने का वादा नहीं किया बल्कि उनके अकाऊंट में चार हजार रुपये देने का काम भी किया है। जैसे किसानों को न्याय देने का काम हुआ, वैसे ही मजदूरों के लिए पेंशन की योजना देने वाला एकमात्र देश का नाम हिन्दुस्तान है। हिन्दुस्तान के पंत प्रधान माननीय नरेन्द्र मोदी जी हैं। 55 वर्षों में सामन्य वर्ग के लोगों के हितों की तरफ ध्यान क्यों नहीं गया? इसका कारण यह है कि आज तक जो राजनीति करने वाले लोग थे, वे बड़े-बड़े नेता थे। 65 वर्ष के बाद भारत माता को एक सुपुत्र मिला और इसीलिए सामान्य कार्यकर्ता का दुख क्या होता है, सामान्य लोगों की समस्याएं क्या होती हैं, किसानों की समस्या क्या होती है, मजदूरों की समस्या क्या होती है, व्यापारियों की समस्या क्या होती है, कर्मचारियों की समस्या क्या होती है, जो इसे जानता है, वही इसका हल निकाल सकता है। यह जो बजट लाया गया है, वह भारत के भविष्य का पुनर्निर्माण करने वाला बजट है। भारत को प्रगति की दिशा में बड़ी तेज गति से चलाने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं, इसके साथ-साथ ग्रामीण इलाके के साथ शहरी इलाकों के सुधार के लिए भी बजट में बड़ी अच्छी तरह से ध्यान दिया गया है। जैसे प्रधान मंत्री शहरी आवास योजना, प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना, इसके साथ-साथ अन्य योजनाएं इसमें शामिल हुई हैं उसके लिए भी उनका अभिनंदन करने की जरूरत है।

(1625/SK/SNB)

मैं कई चीजों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। यहां एयर इंडिया का उल्लेख हुआ है। आजकल एविशन सैक्टर बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। जैट एयरवेज़ बंद होने के बाद हजारों कर्मचारी रास्ते पर आ गए। एविशन सैक्टर को अच्छी तरह से बढ़ावा देने में समस्या क्या आती है? अगर सारे एयरक्राफ्ट की ऑक्युपेंसी होती है, चाहे बिजनैस क्लास हो या इकोनामिक क्लास हो, तो भी एयर कंपनियां मुनाफे में चलती हैं, ऐसा नहीं है। उनकी सबसे बड़ी समस्या फ्यूल के प्राइस में होने वाली बढ़ोतरी है। फ्यूल के प्राइस में दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ोतरी हो रही है। मुम्बई में कांट्रेक्टर से किसी भी एयरलाइंस के लिए पार्किंग नहीं मिलती है। जीएमआर एयरक्राफ्ट पार्किंग के लिए ही है। एयरक्राफ्ट खरीद सकते हैं लेकिन पार्किंग नहीं मिलती है, इसके लिए भी सरकार को अच्छी तरह से ध्यान देने की जरूरत है।

बीएसएनएल का हाल तो बहुत मुश्किल में है। आज सरकार की सारी योजनाएं बीएसएनएल पर निर्भर हैं। अगर पूरे हिंदुस्तान को पूछा जाए कि अपनी कंपनी कौन सी है, तो बीएसएनएल ही हमारी कंपनी है, बोला जाएगा। बीएसएनएल हमारे देश की कंपनी है, हम बीएसएनएल को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, यह ऐसी कंपनी है। आज बीएसएनएल को सरकार की तरफ से सक्षम बनाने की जरूरत है। इस कपंनी को आधार देने के लिए अच्छे तरीके से फाइनेंशियल प्रावधान करने की जरूरत है, इसकी कनैक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है।

किसानों की तरफ अच्छी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने सबसे पहले देश में अगर पहला ऐलान किया तो वह किसानों की आमदनी, उत्पादन दोगुना करने का था। सौभाग्य से माननीय नरेन्द्र मोदी जी पर इस देश के गरीब किसानों ने विश्वास रखा है। माननीय प्रधान मंत्री जी का विश्वास किसानों ने किया। किसान इतनी कड़ी मेहनत, जबरदस्त ताकत से काम करने लगे और सौभाग्य से उत्पादन में बढ़त हुई। स्वामीनाथन कमीशन ने कहा गया था कि उत्पादन पर कम से कम डेढ़ गुना बाजार मूल्य देने की जरूरत है। स्वामीनाथन आयोग का निर्माण हुए कम से कम 15 वर्ष हो चुके थे, लेकिन इसके बीच में इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ। पहली बार

माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने स्वामीनाथन कमीशन की कई सिफारिशों पर अमल किया और बाजार से डेढ़ गुना ज्यादा लागत देने का निर्णय लिया जो अब लोगों को मिलना शुरू हो गया है।

प्रधान मंत्री बीमा योजना अच्छी योजना है। दुर्भाग्य है कि इस योजना का दुरुपयोग इंश्योरेंस कंपनियां बड़ी संख्या में कर रही हैं। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का निर्णय इस देश के गरीब किसानों को अकाल से निपटने, संरक्षण देने और मदद करने के लिए लिया गया था। यह योजना किसानों के लिए एकमात्र संजीवनी थी, आज भी है। किसानों को दो परसेंट कम्पेनसेशन जाता है बाकी सारी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार लेती है। दुर्भाग्य से हो यह रहा है कि पिछले एक वर्ष में बीमा कंपनी ने सिर्फ महाराष्ट्र में कम से कम 13,647.44 लाख रुपये मुनाफा कमाया। 13,647.44 लाख रुपये बीमा कंपनियों ने सिर्फ महाराष्ट्र में किसानों की तरफ से लूटे, किसानों के माध्यम से लूटे। बीमा में जो किसान अपना नाम दर्ज करते हैं, उनका एकाउंट नंबर गलत लिखते हैं।

(1630/MK/RU)

जब पैसा देने का सही वक्त आता है, तब उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। महाराष्ट्र में पिछले एक वर्ष में 21558.25 लाख करोड़ रुपये इंश्योरेंस कंपनी ने जमा किया, लेकिन लोगों को सिर्फ 7870.81 लाख करोड़ रुपये दिये। माननीय प्रधान मंत्री जी से मैं विनती करना चाहता हूं कि जो लुटेरी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगाने की जरूरत है। आपने गरीबों के हितों के लिए योजनाएं निकालीं, गरीबों ने आपके ऊपर विश्वास किया। लेकिन, बीच में जो शुक्राचार्य आ गए हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगाइए। लोगों में और केन्द्र सरकार में आपका जो एक रिश्ता बन चुका है, उसमें और सुधार करने की जरूरत है।

बाजार मूल्य भी देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए अक्तूबर में खरीदी केंद्र चालू करने की जरूरत है। पिछले वर्ष महाराष्ट्र में प्याज, तूर, मक्का खरीदी करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ। तूर की खरीदी हुई लेकिन अनाज, मक्का की खरीदी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी नहीं की । महाराष्ट्र में पिछले 9 महीनों से प्याज, कपास, तूर व मक्के का पैसा

नहीं मिला है। किसानों को लूटने वाली जो-जो एजेंसीज़ हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी का यह सपना है, इस देश में 65 प्रतिशत किसान हैं और ऐसी ही आम जनता की भलाई करने की जिम्मेदारी माननीय प्रधान मंत्री जी ने ली है। उनका जो सपना है 'सबका साथ सबका विकास' इस विश्वास को धोखा देने वाली जो एजेंसीज़ हैं, उनके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई करे ताकि किसान और देश की जनता के अच्छे दिन आ सकें। इसलिए मेरी यह सूचना है कि अगर सचमुच में इस देश में किसानों के लिए अच्छे दिन लाने हैं, अगर सचमुच में माननीय प्रधान मंत्री जी के सपने को पूरा करना है तो माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना करने की जरूरत हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग में खेती के विशेषज्ञ व्यक्ति को जरूर लीजिए, लेकिन इस सदन में सामान्य लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाले जो सांसद हैं, लोक प्रतिनिधि हैं, उनको भी राष्ट्रीय कृषि आयोग में समावेश करने की जरूरत है। मुझे भरोसा है कि माननीय मंत्री इसके ऊपर गंभीरता से ध्यान देंगे और किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें देने का काम करेंगे।

सभापति महोदय, आज रोजगार भी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। माननीय प्रधान मंत्री जी के कार्यकाल में प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना का जन्म हुआ है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी की एक इच्छा थी कि देश में जो रोजगार की समस्या है और अगर इस समस्या का निपटारा करना हो, उसका इलाज खोजना हो तो सारे नौजवानों को कौशल विकास योजना के माध्यम से स्किल एजुकेशन देने की जरूरत है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने पूरे देश में प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना की अच्छी शुरुआत की। सौभाग्य से मेरे क्षेत्र रत्नागिरी और और सिंधुदुर्ग में पहले चरण में प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना का सेंटर मंजूर हुआ, मैंने महाराष्ट्र के माननीय मुख्य मंत्री के हाथों से उद्घाटन किया, लेकिन दुर्भाग्य से फिर एक बार अच्छी योजना में शुक्राचार्य आकर बैठ गये । दो वर्ष हो गये, एक भी सेंटर शुरू नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि वक्त है कि इतना अच्छा काम करने वाली सरकार की इतनी अच्छी योजना जिससे गरीबों का हित हो, गरजमंद लोगों का हित हो, उनके हाथों तक, उनके घरों तक सही तरीके से जाना चाहिए, इसको रोकने के लिए जो बीच में

खड़े होते हैं, स्पीड ब्रेकर बनने का काम करते हैं, उनको निकालने की जिम्मेदारी सरकार की है। मैं जनता हूं कि इस सरकार में काम करने वाले, जिम्मेदारी लेने वाले सभी मंत्रिगण के कार्यकाल में अच्छे-अच्छे काम हुए हैं और भविष्य में भी इस देश को सुजलाम-सुफलाम बनाने के लिए, हिन्दुस्तान को सुजलाम-सुफलाम बनाने के लिए आज से लेकर अगले 25 वर्ष तक एन.डी.ए. के हाथों में भारत माता के रथ को संभालने की जिम्मेदारी है।

(1635/YSH/NKL)

माननीय नरेन्द्र जी के नेतृत्व में अच्छे दिन आएं और लोग सुखी रहें, मैं यही प्रार्थना करता हूं। मैं एक बार फिर माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(इति)

1636 बजे

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट की चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, मैं इसके लिए अपनी पार्टी जनता दल युनाईटेड और अपने क्षेत्र के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, जब 2014 में पहली बार इस देश में आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एन.डी.ए. की सरकार बनी, तब मुझे पूर्णिया की जनता ने पहली बार चुनकर संसद में भेजने का काम किया था। तब मैं इस तरफ बैठता था और आज हम लोग मजबूती से एन.डी.ए के साथ हैं।

दूसरी बात आज आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमें जो जनता ने आर्शीवाद देने का काम किया है, ऐसा इसलिए हो पाया, क्योंकि देश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में सरकार कामयाब रही और उनकी उन्नति और प्रगति की रफ्तार आगे भी जारी रहे इसके लिए शानदार बजट पेश कर जो इसकी रूपरेखा दी गई है, इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का समस्त जनता की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं।

महोदय, देश में गांव, गरीब, किसान और मजदूर की जिंदगी संवारने के नारे आजादी के बाद से लगातार लगते रहे, लेकिन देश की जनता ने पहली बार देखा की नारों को हकीकत में कैसे बदला जा सकता है। देश की जनता ने पहली बार जाना कि मजबूत इच्छा शक्ति और नीयत अच्छी हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है।

मैं बिहार से आता हूं जैसे मैंने बिहार में माननीय मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी को अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर बिहार को नाउम्मीदी के अंधकार से विकास की रोशनी में लाते देखा है, वैसे ही मैंने पांच वर्षों में माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को न्यू इंडिया में तब्दील होते देखा है। 2014 के चुनाव से पहले देश की क्या हालत हो गई थी, यह किसी से छिपी हुई नहीं है। मुश्किलों के दौर से देश को निकालना आसान नहीं था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, विकास का पहिया पंक्चर हो गया था। मुझे इस बात का फख्र है कि मैं उस वक्त इस ससंद में चुनकर आया हूं,

जब देश में विकास को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। विकास के सिर्फ नारे नहीं लग रहे, बल्कि गांव, गरीब, किसान और मजदूर समाज के सबसे कमजोर तबके के लोगों की तरक्की के लिए अच्छी नीयत से काम किया जा रहा है। आखिरी पायदान पर बैठे लोगों को विकास की पंक्ति में आगे लाने की बेहद कारगर नीति बन रही है। उनकी खिदमत की फिक्र की जा रही है। आज देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने की योजना है। देश के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार की कई शानदार योजनाएं बनी हैं। आज देश के दूर-दराज इलाकों में जो गरीब हमारी मां बहनें हैं, उनका रसोई गैस पर खाना पकाने का सपना पूरा हुआ है। गरीब लोगों को पक्का मकान भी मिल रहा है। पिछले पांच वर्षों में देश के कमजोर लोगों की फिक्र की गई और मध्यम वर्ग के लोगों को भी तमाम सहूलियतें दी गईं। पूरे देश में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता में अभूतपूर्व संतोष है। देश को यह भरोसा है कि बजट में जो कहा गया है, जो वादे किए गए हैं, वे पूरे होंगे। महोदय, देशवासियों का भरोसा जीतना बड़ी बात होती है। मोदी सरकार ने यह कमाल करके दिखाया है।

(1640/RAJ/SRG)

वह दौर कोई और था, जब सड़कों का निर्माण करने के लिए गड्ढ़े खोदे जाते थे। पुलों के खम्भे खड़े किए जाते थे लेकिन सालों-साल प्रोजैक्ट पूरा नहीं होता था। आज मोदी सरकार जिस काम का बीड़ा उठाती है, उसको समय से पहले पूरा कर देश को समर्पित करने का काम करती है। यह मोदी सरकार के काम करने का तरीका है।

जल ही जीवन है, हम यह बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसका बंदोबस्त कौन करेगा? हर किसी को पीने के लिए शुद्ध पानी कैसे मिलेगा, इसकी फिक्र कौन करेगा? मुझे खुशी है कि मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में बजट में हर नागरिक को बेहद बुनियादी जरूरतों की काफी अहमियत दी गई है। भविष्य में शुद्ध पानी को लेकर भयावह स्थिति हो, इसके पहले उसके समाधान के बारे में सोचा गया है। सरकार कितनी दूरदर्शी है, यह इसी से झलकता है। हर घर में नल और हर नल में जल, यह सिर्फ ऐलान नहीं बल्कि भविष्य की बड़ी समस्या का समाधान है। हमारे नेता नीतीश

कुमार जी ने बिहार में इस योजना को पहले ही लागू करने का काम किया है। वर्ष 2019 के अंत तक उनका लक्ष्य है – हर घर में नल का जल, शुद्ध जल लोगों को मिले, इसके लिए बिहार में काफी तेजी से काम किया जा रहा है।

महोदय, मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे वित्त मंत्री जी, केन्द्र की सरकार ने पूरे देश के लिए इस योजना को लागू करने का काम किया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि नल का जल, शुद्ध पेय जल की व्यवस्था पूरे देश में समाज के हर व्यक्ति के लिए की जा रही है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

HON. CHAIRPERSON(SHRI N. K. PREMACHANDRAN): Please conclude. Your Party has decided five minutes for each speaker.

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया): सभापति महोदय, कृपया दो-चार मिनट समय और दिया जाए। मैं बिहार से चुन कर आता हूं। वह गरीब और पिछड़ा राज्य है। …(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपके पार्टी ने समय डिसाइड किया है – five minutes each.

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया): सभापति महोदय, विकासशील राज्यों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो पिछड़े राज्य हैं, जो विकासशील राज्य हैं, उनको आर्थिक सहायता देने का काम कीजिए। रघुराम राजन की रिपोर्ट है। देश के दस राज्य ऐसे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो पिछड़े राज्य हैं, उनको आगे ले जाने के लिए केन्द्र की सरकार, आदरणीय प्रधान मंत्री जी को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उसमें बिहार भी है। बिहार के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था हो। हमारे पिछड़े राज्य को आगे ले जाने के लिए, बिहार की तरक्की के लिए बिहार के विकास के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि उसको आगे ले जाने की जरूरत है। बिहार की विकास दर 10 प्रतिशत थी और इस वर्ष बिहार की आर्थिक विकास दर 11 फीसदी है। अगर केन्द्र सरकार की सहायता मिलेगी तभी हम केन्द्र की औसत के बराबर चल पाएंगे।

महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जिस क्षेत्र से हम चुन कर आए हैं, पूर्णिया का इलाका, सीमांचल का इलाका, वह मक्का बहुल इलाका है। वहां मक्का की खेती होती है, लेकिन वहां पर बाजार की व्यवस्था नहीं है, भंडारण की व्यवस्था नहीं है। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया): वहां से मक्का देश के बाहर भी जाता है। हम केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि उसके लिए भंडारण और बाजार की व्यवस्था हो। इस देश में जो सब्जी किसान हैं, उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। उनके लिए भंडारण और बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए।

अंत में, मैं शानदार बजट पेश करने के लिए माननीय वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण जी और बेहतरीन सरकार चलाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी को मैं अपनी ओर से एवं पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

(इति)

1644 hours

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): It is indeed a pleasure when you are in the Chair and I am speaking. I would say, the first Budget of this Government is indeed something which is being appreciated widely, despite the fact that Sensex is crashing and why is it happening needs to be explained. We have heard from previous Finance Ministers that it has nothing to do with the Budget. Sensex goes up and down on its own and there is very little logic to bring both of them together. I think that the Finance Minister will be in a position to tell us why after this Budget, Sensex is crashing so badly.

(1645/KKD/IND)

Sir, I would start by saying what we had been told since our school days. During those days, when people discussed about 'good', 'better' and 'best', normally the school student would say that 'bad' is the greatest enemy of 'good', which it actually is. But our teacher told us that it is 'better', which is the greatest enemy of 'good'.

Therefore, I would say that this is not the best Budget but it may actually create what we most need, that is, more jobs. This Budget has been presented in such a time when slowdown is worsening day by day. Faltering GDP growth, consumption slowdown, truant monsoon that has hit Kharif sowing, mounting global trade tensions, and freeze in the credit market are all dark clouds, which are hovering before us, before this country. At this juncture, the Finance Minister has presented this Budget.

It has set alarm bells ringing across the financial system when Madam was presenting her maiden Budget. Last Thursday, the Economic Survey, 2018-19,

was presented in this House. It gives a rosy picture, which normally every Economic Survey does. It is also very futuristic. It pats on its back that during the past five years, economy performed well and the Government ensured that the benefits of growth and macro-economic stability reach the bottom of the pyramid.

To achieve the objective of becoming US$ 5 trillion economy by 2024-25, as laid down by the Prime Minister, it has set a goal to achieve a real GDP growth rate of eight per cent.

What are the Budget highlights? The Government proposes to spend Rs. 27,86,349 crore in 2019-20, which is 13.4 per cent above the revised estimates of 2018-19. The receipts other than net borrowing are expected to increase by 14.2 per cent to Rs. 20,82,589 crore owing to higher estimated revenue from corporation and dividends. The GDP growth, of course, is targeted, assuming a nominal GDP growth rate of 12 per cent with real growth and inflation in 2019-20. The nominal growth estimate of 2018-19 was 11 per cent.

Sir, of course, the deficit needs to be discussed more thoroughly. The revenue deficit is targeted at 2.3 per cent of GDP, which is higher than the revised estimates of 2.2 per cent of 2018-19. Fiscal deficit is targeted at 3.3 per cent of GDP, which is lower than the revised estimates of 3.4 per cent of 2018-19.

The crux of the matter is discussion on Demands for Grants. Today, I was enquiring when they were going to lay the Demands for Grants for our consideration. Not a single Demand for Grants has been laid yet. But we will be discussing about Railways on Monday. We will also be discussing about two other Demands for Grants on Thursday and Friday. How much time the

Government is giving us to study those Demands for Grants, is actually a challenge for us to burn the midnight oil and go through them.

But as regards allocations among the top 13 Ministries, the highest percentage increase is observed in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, which is around 82.9 per cent and one should be happy about it. A large amount of it, i.e., Rs. 75,000 crore, goes to Pradhan Mantri Kisan Yojana. (1650/RP/PC)

There was a commitment in the previous Budget in February where a little amount was provided and this is an addition to that. You are keeping your words. You can take credit for that. But apart from this, there is an increase of 32.1 per cent in the budget of the Ministry of Petroleum and Natural Gas. The allocation for the Ministry of Railways is 23.4 per cent.

Sir, the best thing, which I would say, is relating to transfer of finance to the States. The Central Government will be transferring around Rs. 13,29,428 crore to States and Union Territories in 2019-20. This is an increase of 6.6 per cent over the Revised Estimate of 2018-19 and includes devolution of Rs. 8,09,133 crore to States out of the Centre's share of taxes and Rs. 5,20,295 crore in the form of grants and loans.

There is no big bang as was expected with 303 Members of a single largest Party coming to power along with another 35 to 40 or 50 Members supporting it as a part of NDA. There was a talk after the result came out on 23rd May that here is a Government which has the mandate and it can go full-fledged with the reforms. But we do not find the big bang relating to reforms be it critical

banking sector or infrastructure or rural development or start-ups. The objectives are clearly defined in this Budget.

The serious policy decisions can only be taken when you have non-controversial numbers or data. Your data is being questioned. I would say, accelerating economic growth must be on top of the agenda of this new Government.

It is only a fast-growing economy that will generate the surpluses which are necessary to address many of our socio-economic problems. It can provide social safety nets. For faster growth, what is critically needed is a higher investment rate. In current prices, the ratio of gross fixed capital formation to gross domestic product has stayed low at 28.5 per cent between 2015-16 and 2017-18; in 2018-19, it is estimated at 28.9 per cent.

Several studies indicate fall in corporate investment. There has been a steady decline from Rs. 2,050 billion in 2014-15 to Rs. 1,487 billion in 2017-18. Industries-wise distribution of projects sanctioned by banks and other institutions in 2017-18 show that power sector accounted for 38.2 per cent of the total expenditure. Pure manufacturing had only a small share. All these points indicate to the urgent need to accelerate investment. I am sure the Government is aware that much of the investment happens outside the Budget. The bulk of investment comes from public sector enterprises including the Railways. What should have been done is to prepare a programme of public investment for 2019-20.

A strong public investment programme can be a catalyst of private investment. The banks are under stress and the ratio of NPA has risen. There is

a need to resolve this issue so that banks get back to lending at a significant pace. In the absence of term-lending financial institutions, banks provide both, working capital and long-term loans. That is why, resolving the issue of NPAs is critically important.

In last June, at a NITI Aayog meeting, the Prime Minister had set a clear and a bold economic target to make India grow into a US$ 5 trillion economy by 2024.

(1655/RCP/SPS)

Historically, such goals by popularly elected leaders have voiced the aspirations of voters and energised nations to realise their potential. What is this target of five trillion U.S. dollars? It is Rs. 350,00,000 crore of GDP at current prices at Rs.70 to a U.S. dollar exchange rate. India's provisional GDP in 2018-19 at current prices is Rs.190,10,164 crore, that is 2.7 trillion U.S. dollars, which means the annual per capita income would be Rs.1,42,719, or about Rs. 11,900 per month. This target seems very huge.

History shows that no country has succeeded in accelerating its growth rate without raising the domestic saving rate to close to 40 per cent of GDP. Foreign capital can fill in some of the vital gaps but it is not a substitute for domestic resources. Even in China, FDI inflows as a proportion of GDP never exceeded five to six per cent. Gross FDI inflow into India has never been more than 2.7 per cent of GDP which was the highest in 2008-09. Thereafter, it has decelerated. Hence, there is a need for caution against exuberance or opportunistic bias that FDI will help to get to the five trillion U.S. dollar GDP target. I would say, though five trillion U.S. dollar economy appears daunting, it

is yet doable provided the Government steps up domestic saving and investment.

I have a very important issue to raise here. It relates to my State, Odisha. Our Chief Minister has been repeatedly saying "Make Odisha a 'Special Focus State'." That should have found place in the Budget because this was discussed in the NITI Aayog. Recently, an hon. Member from Bihar also mentioned about special category status which we have been saying for the last 30-40 years in this House. Those States which face natural calamity repeatedly, every year need special attention from the Government of India. Therefore, a new nomenclature that has been propounded is, make a specific natural calamity affected State a 'Special Focus State' for a specific period. We do not want this to be in perpetuity. It is because, very recently, during the last four years, we have faced four cyclones. Therefore, it is necessary that attention should be given to it by the Union Government.

Poverty in Odisha, which was about 57 per cent in 2004-05, has declined sharply by 25 percentage points to 32 per cent in 2011-12 as per Tendulkar Committee methodology. This is the highest reduction among major States in India. But one natural calamity again pulls the State back to poverty. Therefore, it is necessary that adequate support mechanism should be built in budget-wise so that we get adequate support. It is because, restoring normalcy is one thing but bringing up resilience of that restoration so that we face it in a better way is something else.

Another point which I would like to mention here is coal royalty which has been pending with this Government since 2015 and there is a need for raising it.

(1700/MMN/KDS)

Sir, I will conclude. My last point here is relating to the budgetary provisions. The Budget has spelt out the problems India is facing. It is clearly laying emphasis on infrastructure development for taking the economy to the five trillion USD level, which will require Rs.100 lakh crore in the next five years. As we all know, there are always two sides when we look at an object. The Finance Minister devoted around two hours and 15 minutes to deliver the Budget speech. The earlier part was devoted to spelling out the policy but did not give any indication of any structural changes, and the later part, which is devoted to taxation proposal, was similarly devoid of anything significant.

In direct tax, the regime remains unchanged. In indirect tax, the scope for announcing changes is limited as any concrete decision taken on GST has to be done by the GST Council. However, two specific changes have been announced. The Government has imposed an excise duty and cess of Rs.1 each per litre of petrol and diesel. This will not pinch the citizens but another change that is minor but sends a signal is the imposition of five per cent customs duty on imported books. What is noteworthy is that the Budget Estimates for the current year envisage a rise in tax revenue of 10.8 per cent over the previous year.

HON. CHAIRPERSON (SHRI N.K. PREMACHANDRAN): Please conclude.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): This is almost half of the 19 per cent rise achieved that year over the final figures of 2017-18. Are we foreseeing a decline in tax revenue buoyancy? This is sought to be made up by a huge anticipated rise in other capital receipts by 31 per cent as opposed to a 20 per cent shortfall in the previous year.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

Now, Shri Sukhbir Singh Badal.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Please allow me one minute.

On the expenditure side, revenue expenditure is set to go up by 14 per cent, understandably, because interest payment is set to go up by 12 per cent. On the other hand, the overall expenditure on the capital account is set to go up by seven per cent. This does not say much about the ability to create fresh infrastructure without which India is unlikely to become a five trillion USD economy soon.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I am going to conclude.

It is because the demand is slowing down; manufacturing is getting affected; and economic momentum is slowing down. If one asks an economist---some of us heard that—how bad it is, the answer will be, it is like a frog in a boiling water because the frog does not understand that actually the water is boiling. But if you put a frog in a hot water, it will immediately jump out.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

Now, Shri Sukhbir Singh Badal.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): So, slowdown is there and it has been happening for the last 9-10 months.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Why is it happening? The answer needs to be given along with a solution. …(*Interruptions*)

(ends)

1703 hours

SHRI SUKHBIR SINGH BADAL (FIROZPUR): Mr. Chairman, Sir, on behalf of my Party, Shiromani Akali Dal, I stand here to support the Budget. First of all, I would like to congratulate the Finance Minister and the hon. Prime Minister for a bold, revolutionary and a futuristic Budget.

Every section of the society has been taken care of by this Budget. If we have to say about the Budget in a few words, this Budget concentrates on rural India where Indians live, the poor and the farmers who are in majority. If we are able to uplift them, I think nobody can stop the growth of the country. I must compliment the Prime Minister because he thinks big and he tries to achieve big. The Prime Minister or the leader of any nation, who thinks big, always takes his country ahead, and this can be seen from this Budget.

There are a lot of highlights in the Budget. I do not want to get into all of them. But I would like to mention a few areas, which, I feel, are important where he tried to look after the interests of the poor and the farmers. One best thing, which the hon. Finance Minister has done, is providing Rs.6,000 support to the poor and marginal farmers

(1705/VR/MM)

The second major and bold step that the hon. Prime Minister has announced is that every citizen of the country will have a house, electricity connection, gas connection, water supply and toilet by 2022. I think it is a very big target to achieve and I must compliment him for this.

Another area which I cannot stop myself without mentioning is the medical insurance of Rs.5 lakh per family. Today, a lot of people die especially in rural areas and in poor and slum areas in cities due to lack of money and medical facilities. I think by providing medical insurance to the citizens of India a major step has been taken by the hon. Finance Minister and the Prime Minister.

Besides that, the Prime Minister has tried to encourage the corporate India by reducing tax to 25 per cent. He has also kept a provision in the Budget to develop 18 tourist destinations. This is very important because tourism is one of the highest revenue generation sources for any country. I must compliment him and the hon. Minister concerned for laying a lot of emphasis on food processing industry. They have done a good job in this regard. …(*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Please give some credit to the hon. Minister concerned.

SHRI SUKHBIR SINGH BADAL (FIROZPUR): That is what, I said.

In his last talk on *Man Ki Baat,* the hon. Prime Minster spoke about water. Water scarcity is going to be the biggest problem we are going to face. If we do not put our mind to it, we are going to face a major water crisis. I have with me data from the Central Ground Water Board, Government of India. They have mapped and categorized all the blocks in the country and divided them into four areas. Some are identified as safe blocks with enough water. Then, there are semi-critical blocks, critical blocks and over-exploited blocks.

Sir, you will be shocked to know that the State which has the highest number of over-exploited blocks is Punjab. About 80 per cent blocks in our State

are over-exploited. How are they over-exploited? They are over-exploited in their effort to provide food for the nation.

Sir, the whole nation depends on monsoon. If there is a good monsoon, we will have a bumper crop. If there is a bad monsoon, there will be no crops. Farmers will commit suicide and the people living in rural areas will be in crisis. During the last 10 years, it is six times that we had monsoons with less than 50 per cent rains. But the production in our State of Punjab has been increasing. How is that possible? It is because we have been using a canal network and exploiting water through tube wells. Our farmers protect their crops like their children. They can sell anything to get their diesel sets running but they would not let their crop die. It is because of this that our production has been increasing. Today Punjab, which occupies only two per cent of land, alone provides 45 per cent of wheat and 35 per cent of rice to the country.

Sir, if the nation does not help us, I think in coming 10-15 years, Punjab will become a desert. The nation needs to help the State now, which has been feeding it. This is a very critical situation. There are a lot of ways the Government of India can help the State. I wish to bring it to the notice of the hon. State Minister of Finance who is present here. The Budget also talks about saving of water. We need immediate financial assistance to rebuild our canal system, we need money to rejuvenate our ground water reserves, we need to create bunds, we need to create ponds and we need to do a lot of things in this regard. So, we need the Government of India's full attention to help save the State.

Sir, just imagine a situation if Punjab stops growing wheat and rice. There will be a food crisis in the country. If India faces food crisis, we will have to import food from the rest of the world and then the world will face food crisis because we have a huge population of 1.3 billion people, which Punjab had been feeding till now. So, if we import food, then you can imagine the scale of problem which will happen in the country and the world.

(1710/SAN/SJN)

Sir, we need to encourage farmers of Punjab to diversify into less water consuming crops, like maize and others. The Prime Minister has announced MSP for these crops, but unfortunately, the Governments are not buying them at MSP. The MSP is just on paper; farmers in distress are selling their crops at a price much less than MSP. Unless we ensure that these crops are bought, like wheat and rice, by the Government, it will not help. In the same way, the Government of India, through the State Governments, should buy all the alternative crops at MSP. I think, the Government of India should make a special allocation in the Budget to buy these alternative crops. That is one of the ways to help farmers.

Every State having natural reserves gets a royalty. Rajasthan and Assam get royalty on petroleum products. A lot of States get royalty on marble, coal or other mines. Punjab has been mining water in the interest of nation, but Punjab does not get anything. Even our water had been given to the State of Rajasthan and we have not been paid for it. At that time, Rajasthan Canal was built by Indira Gandhiji, but we were not compensated for it. We have not got anything

for it. As per riparian laws, the State through which the river passes has the right over water. Rajasthan had no right, but still water was given to them. Still, we have not got any compensation. One of the major concerns of our State today is saving the groundwater. The Government of India in this year's Budget and the future Budgets should come up and save the State which has been saving the country.

Now, I come to the second important issue. Every State has a capital. Punjab is the only State in this country which does not have a capital. Every State Capital contributes 10 per cent to 35 per cent of its GDP. Just imagine, if Mumbai is taken away from Maharashtra, what will be the financial position of Maharashtra? If Hyderabad is taken away from Telangana, if Chennai is taken away from Tamil Nadu and if Ahmedabad is taken away from Gujarat, what will happen? When I say 'taken away', I mean to say that if they are made Union Territories, they will face the same problem that we are facing. Punjab does not have a capital. It is Chandigarh which is a Union Territory. The income earned from all taxes accrued from our capital – all our industries are in Chandigarh - go to the Government of India and not a rupee comes back. I think, we need justice.

Sir, just look at it. The GDP of Mumbai is $ 210 billion; the GDP of Bengaluru is $ 83 billion; the GDP of Hyderabad is $ 75.2 billion; and the GDP of Chandigarh will also be a couple of billion dollars, but we do not benefit from it and that is one of the major crises which we are facing. So, there is a need that the Government of India restore our capital or till the time a decision takes

place, at least the revenue should go back to our State. …(*Interruptions*) Yes, we were promised Chandigarh. In every case where a State is carved out of an old State, the original State retains the capital. Ours is the only State where a new State has been formed and we have not been given the capital; and we are without a capital.

Sir, there is another very important area. We face the border with Pakistan. Since we are facing our border with Pakistan, the land has been fenced and approximately, about 17,000 acres of our agricultural, cultivable land is on the other side of the fence. Farmers cannot go there to cultivate their lands. Even if they allow them, they give them four hours in a day or sometimes, they do not do even that. Those farmers are suffering. There are 212 villages and 11,000 families which are affected by that. When Shri Vajpayeeji was the Prime Minister, he came to the border and started giving Rs. 2,500 an acre to the farmers whose land is on the other side of the border, but unfortunately, after that, they have not received anything.

(1715/RBN/GG)

I would request the Finance Minister that they should either acquire that land or compensate them for their land at least to the extent of Rs. 20,000 per acre. Having land on the other side leads to drug smuggling. You might have read in the newspapers that Pakistan is providing not only terrorism but also narco terrorism to India. It is attacking millions of our youth through narco terrorism. You might have read in the newspapers that 425 kgs. of cocaine and heroin was caught by the Customs from the Wagah border just a few days ago.

This is the scale of Pakistan's designs in our country. We always used to get compensation but not getting it now. So, I would request the hon. Finance Minister to make a special provision in the Budget for that.

Another important issue is this. We are not against giving incentives to our neighbours. They should be given. Jammu and Kashmir should be given; Himachal Pradesh should be given; Uttarakhand should be given. They have the right and they should be given. But why have you created an island among all of them? On one side we have Pakistan, on the other side we have Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh. We are an island. In the last 20 years, no industry has come to Punjab. No industry wants to come to Punjab as they prefer to go to either Jammu or Himachal Pradesh or Uttarakhand.

We suffered during partition. We suffered 20 years due to terrorism. We do not have a capital. Our water level has gone down to 700 ft. and the rate at which it is depleting trying to feed the nation, I think, in another 15 or 20 years, we will become a desert like parts of Rajasthan. The worst part is a lot of industries from Punjab have dismantled their units and took them to Jammu and Kashmir and Himachal. So, what is the purpose of killing one State? Why can you not add our State in the package? If you cannot do that, at least the border areas should be given some compensation.

So, after having raised all these issues, I would like to congratulate again the Finance Minister and the Prime Minister. But I would like to request them to pay their attention to the four points that I raised which concern the State of Punjab. The existence and prosperity of the State of Punjab is very important for the nation because that is the State which has been providing food for the last fifty years to the nation. Thank you very much. (ends)

1718 hours

SHRI KANUMURU RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): Mr. Chairman, Sir, thank you for the opportunity to speak on the Budget. It so happened that today, 8th July, is our beloved leader Dr. Y.S. Rajasekhar Reddy's birth anniversary. So, I have to make a mention about our beloved leader before I start the speech. He was the Member of this august House in the 9th, 10th, 11th and 12th Lok Sabhas. He never lost any election during his life time. He is regarded as the God in our State. …(*Interruptions*) I am coming to the subject. Give me a minute to speak about our leader. Today is 8th July. That is why I am speaking about him. Otherwise, I would not have spoken about him. I thought I should remember our beloved leader and the mentor of our Party, today being 8th July.

Now, I will come to the subject. I was listening to our friend, Shri Sukhbir Badal. He was talking about the difficulties that Punjab had faced. But he has forgotten one thing. The State of Andhra Pradesh is also in a similar position. Our Capital has gone to the newly-formed State. So, we are left without any capital. We have been thrown out without any capital. We are also on a similar platform like you do.

(1720/SM/KN)

So, we also need special consideration. Our hon. Finance Minister has presented the Budget. Undoubtedly, the presentation is very good. Her English is very good and she has spoken different languages also. That is fantastic. She is also the *bahu* of my constituency, Narsapuram.

But the injustice that has been done to our State in particular, is really a painful to all the people of Andhra Pradesh. We all expected a lot. A lot of promises had been made in this august House at the time of AP reorganisation. Even those promises were not fulfilled.

In the Budget, there is no mention about Andhra Pradesh. Of course, no other State has been mentioned. But in the last 5-7 years, this is the only State which has been divided and left without the capital. A lot of promises have been made. What we are requesting is that in the direct taxes, let there be an incentive for the industries which would be set up in the next ten years and in the indirect taxes, let there be a tax benefit for the GST for the coming ten years. Mr. Chairman, Sir, this is a very fair request which had also been promised but which was not brought into the form of an Act. If at least a mention that special care would be taken of the State of Andhra Pradesh is added in the Budget, that would give a lot of relief to the entire people of our State. This is our humble request.

In addition to this, we were given earlier Rs.350 crore under the Backward District Development Fund. It was given only for a period of three years. For the last two years, because of non-submission of Utilisation Certificates by the previous Government, though the money was released, within 24 hours, it was taken back. It is unfair. Now all the bills have been submitted. So, we urge upon the Government to consider the release of Rs.700 crore which has been taken back.

Unfortunately, there is no mention about the Polavaram project in the Budget. Our Chief Minister, day and night, is focussing on this project. We are spending our money first to the tune rupees two/three thousand crore and then they are reimbursing the money. Instead of that, a revolving fund can be set up wherein the Central Government may deposit rupees two/three thousand crore and when we submit the bills, then they can replenish it. This is a request from our side which needs to be considered.

There were so many good points in the Budget, especially Prime Minister's Gram Sadak Yojana, Sagarmala Project, Ujjawala Scheme etc. At the macro level, at the national level, it is a wonderful Budget. Nobody can deny that. But we are very much worried about the injustice done to our State.

With regard to farmers, as Sukhbir Ji has mentioned, no support is being given to them. In the State of Andhra Pradesh, our Hon. Chief Minister has set up at the State level a fund of Rs.3,000 crore for price stabilisation. Sukhbir Ji, you have to listen to this. If the Government of India can take it, with our leader's support, as a role model for agriculture, that would also benefit the country.

With regard to water conservation which is the prime concern of the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji, special impetus has to be given in the Budget. We have to make the water harvesting pits mandatory in the farms, lands and in the house also. Karnataka is an example in this respect. What they are doing is that they have given the permission that in every house a certain number of plants have to be planted and the water harvesting has to be done. This has to be made a law and whoever does it, they should be incentivised and

whoever is not doing it, they should be disincentivised. As far as water conservation is concerned, I request the Government to consider this.

I am concluding by saying that at the macro level, it is a wonderful Budget and we are supporting it. But the injustice that has been done to our State has to be looked into in a very specific manner. To start with, a special place, a special mention to our State should be considered in view of the divided and left-out State.

(1725/CS/AK)

This point has to be added, and with this addition and with the correction of our industrial incentives I am concluding my speech. As regards building the capital, we would request for the support of the entire Members of this august House. Thank you very much.

(ends)

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): Thank you very much.

The next speaker is Kunwar Danish Ali.

1725 बजे

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): महोदय, आपने मुझे वर्ष 2019-2020 के केन्द्रीय बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, मैं अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वर्ष 2019-2020 का जो बजट माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, उसने देश में रह रहे करोड़ों गरीबों, शोषितों, वंचितों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और मजदूरों का दिल तोड़ दिया है। यहाँ तक मध्यम वर्ग के हितों की भी ज़ालिमाना अनदेखी इस बजट में हुई है। माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण सुनकर मन में कोई शंका बाकी नहीं रही कि यह बजट देश के उन चुनिन्दा पूंजीपतियों के लिए बनाया गया है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारी भरकम चंदा देकर लोक सभा चुनाव में जिताने में मदद की थी।...(व्यवधान) यह बात सारा देश जानता है।...(व्यवधान) यह बात अधिकारिक रूप से सामने आ चुकी है कि देश के बड़े औद्योगिक घरानों ने सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है।...(व्यवधान) यह रिकॉर्ड में है।...(व्यवधान) देश के बड़े उद्योगपति घरानों ने सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है।...(व्यवधान) इस बजट के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाए तो यह साफ हो जाता है कि यह बजट उसी चंदे की कर्ज उतराई की रस्म का एकमात्र हिस्सा है।...(व्यवधान) इस संदर्भ में मैं आपके द्वारा इस सदन का और देश की जनता का ध्यान चार बिन्दुओं पर आकर्षित करना चाहता हूँ।...(व्यवधान) समय की सीमा का ध्यान में रखते हुए मैं केवल चार बिन्दुओं पर अपनी बात केन्द्रित करूँगा।...(व्यवधान)

1727 बजे (श्री कोडिकुन्निल सुरेश पीठासीन हुए)

मान्यवर, इस बजट में देश की 99.3 प्रतिशत कंपनियों के लिए कारपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दी गई है।...(व्यवधान) इस कदम ने एक ही झटके में सत्तारूढ़

दल को चंदा देने वाले उद्योगपतियों को उनके दिये चंदे से कई गुना ज्यादा फायदा पहुँचा दिया है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH) : Please sit down.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, you can speak when your turn comes.

... (*Interruptions*)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): आप मेरी बात सुनिए।...(व्यवधान)

मान्यवर, विडम्बना देखिए कि देश में गरीब, शोषित, वंचित, किसान, युवा, महिला और मजदूर परेशान हैं, लेकिन यह सरकार फायदा उद्योगपतियों को पहुँचा रही है।...(व्यवधान) अपने पहले ही बजट में इस सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं साफ कर दी हैं।...(व्यवधान) सरकार ने बता दिया है कि वह किसके साथ खड़ी है। यह सरकार गरीब, मजदूर, किसान, युवाओं और वंचितों के साथ नहीं खड़ी है, यह सरकार उन अमीर लोगों के साथ खड़ी है, जिन्होंने सत्ताधारी दल को मोटे-मोटे चंदे दिए हैं।...(व्यवधान) इन उद्योगपतियों ने देश के साथ क्या किया है?...(व्यवधान) मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वही उद्योगपति हैं, जिन्होंने देश के तमाम बैंकों को कंगाल बना दिया है।...(व्यवधान) इन्होंने अपना धंधा चलाने के लिए बैंकों से कर्जा लिया और वापस नहीं किया।...(व्यवधान) एक-एक उद्योगपति बैंकों के हजारों-हजार करोड़ रुपये खाकर बैठे हैं और वापस नहीं कर रहे हैं। यह देश से छिपा नहीं है कि जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बैंकों के कर्जे न लौटाने के केसेज में भारी वृद्धि हुई है। मैं सदन और देश की जनता के सामने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ।

मान्यवर, आरबीआई द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, तब से अब तक बैंकों में ग्रॉस एनपीए में लगभग 4 गुना बढ़ोतरी हुई है।

(1730/RV/SPR)

यह एन.पी.ए. क्या है? महोदय, यह एन.पी.ए. कर्ज की वह रकम है, जो बैंकों से ले ली जाती है और वापस नहीं की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक कहता है कि बैंकों का ग्रॉस एन.पी.ए. जो 31 मार्च, 2014 को 2.13 लाख करोड़ रुपये था, वह मार्च, 2018 में बढ़ कर 10.39 लाख करोड़ रुपये हो गया है। आर.बी.आई. द्वारा जारी आंकड़ों में अगर सरकारी बैंकों के एन.पी.ए. पर नजर डाली जाए तो उसकी स्थिति और भी बदतर है। वर्ष 2014 में 2.27 लाख करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2018 में बढ़ कर 8.95 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

मान्यवर, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि यह सरकार बहुत अच्छे तरीके से सपने दिखाती है। सपने बेचना और सपनों की मार्केटिंग करना अगर कोई सीखे तो इनसे सीखे। जब ये पहली बार आए थे तो कहा था कि काला धन वापस लेकर आएंगे, पन्द्रह-पन्द्रह लाख रुपये सबके खाते में आएंगे। अब कह रहे हैं कि अगले चार सालों में किसानों की आमदनी दोगुना कर देंगे। पता नहीं कौन-सी रफ्तार से, कौन-सी जादू की छड़ी से ये ऐसा करने वाले हैं? ये कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर की होगी। हम चाहते हैं कि यह हो, देश का हर व्यक्ति चाहता है कि यह हो, लेकिन इनकी जो नीयत है, वह साफ नहीं है। सपने दिखाना ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं।

इंश्योरेंस सेक्टर को जिस तरीके से बेलगाम छोड़ा गया है, 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' के तहत जो इंश्योरेंस होता है तो यहां पर कई साथी किसान परिवार से आते हैं, वे अपने दिल पर हाथ रखकर बता दें कि किस किसान को उस बीमा के तहत मुआवजा मिलता है। किसानों के मरते में दो लात और मारने का काम होता है। इंश्योरेंस के नाम पर किसानों से प्रीमियम वसूल किया जाता है। एक तो वह कर्ज पर ब्याज देता है और ऊपर से उससे और प्रीमियम वसूल किया जाता है। यह 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' सिर्फ कॉर्पोरेट हाउसेज को इंश्योरेंस के माध्यम से फायदा पहुँचाने के लिए लाई गई है।

मान्यवर, आप सब जानते हैं कि पिछले 45 सालों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये आँकड़े कह रहे हैं। लेकिन, उससे लड़ने के लिए कुछ नहीं हुआ। अभी तो

सरकार लेबर लॉज़ में भी भारी परिवर्तन करने के संकेत दे रही है। यह भी एक जनविरोधी निर्णय है। उद्योगपतियों को 'हायर एण्ड फायर' करने का अधिकार यह सरकार देने वाली है। इसी के माध्यम से कर्मचारियों की छँटनी होने वाली है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार के जो उपक्रम मुनाफे में चल रहे हैं, उनके भी शेयर्स बेचने की बात यह सरकार कर रही है। इससे पहले कभी किसी सरकार ने, चाहे वह काँग्रेस की सरकार रही हो, चाहे संयुक्त मोर्चा की सरकार रही हो या एन.डी.ए. की वाजपेयी जी की सरकार रही हो, कभी भी मुनाफे में चल रहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के शेयर्स को बेचने की बात नहीं हुई। पहली बार इस सरकार ने यह संकेत दिए हैं कि वे मुनाफे में चल रहे पी.एस.यूज़. के शेयर्स बेचेगी। ऐसा क्यों है? इसका सीधा मकसद है कि जो कुछ बची-खुची सरकारी नौकरियां हैं, जो दलितों को और पिछड़े वर्गों के नौजवानों को मिलती हैं, उनके हाथों से वह रोजगार छीनना है, वे सरकारी नौकरियां, उन दलितों और पिछड़ों से छीननी हैं। इसलिए ये मुनाफे में चल रहे सरकारी उपक्रमों को बेचने की सोच रहे हैं।

महोदय, इस सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में भारी कमी की, बैंकों के कर्ज़ माफ किए। यह सरकार बड़े पूंजीपतियों को बेतहाशा फायदा पहुंचा रही है। वहीं दूसरी ओर, देश की गरीब जनता को महँगाई के बोझ के नीचे दबाने का काम यह सरकार कर रही है।

(1735/MY/UB)

इस बजट में डीजल तथा पेट्रोल की कीमत को बढ़ाया गया है। इससे आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाली हर जरूरी चीज़ों की कीमत में वृद्धि होगी। सरकार के इस फैसले से देश की गरीब जनता की परेशानी और बढ़ेगी। गरीब आदमी को राहत देना तो दूर, सरकार के इस बजट ने गरीबों की मेहनत की कमाई छीनकर अपने जेब में डालने का काम किया है। यह कैसी सरकार है, जो गरीबों से छीनकर अमीरों में बाँटने का काम कर रही है। …(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं …(व्यवधान) निशिकांत दुबे जी को तो इनकी पार्टी ने इसीलिए रखा है, अभी तक इन्होंने रूल बुक नहीं निकाली है।…(व्यवधान) वह रूल

बुक निकाल सकते थे।...(व्यवधान) इनमें सच्चाई सुनने की क्षमता नहीं है। वे सच्चाई नहीं सुनना चाहते हैं। जब इस संसद के अंदर गरीब आदमी की बात होगी, शोषित वर्ग की बात होगी, किसान की बात होगी, तो वे नहीं सुनेंगे। इनके जो मास्टर्स हैं, जिनके द्वारा चुनावों में हज़ारों-करोड़ों रुपये आता है, इन्हें तो उनकी बात यहां करनी है। जब हम गरीब तथा किसान की बात करते हैं, तो वे डिस्टर्ब करते हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह बजट गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, नौज़वान और महिला विरोधी है। मैं अभी भी आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बजट को पास कराने से पहले सोचिए कि इस देश में जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, उनके बारे में आपको कुछ करना होगा।...(व्यवधान) यह बात अलग है कि आप ईवीएम के माध्यम से यहां आए हैं, लेकिन फिर भी आए हैं, तो आप कम से कम गरीब और शोषितों के बारे में कुछ सोचिए।

महोदय, मैं इन्हीं बातों के साथ आपको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं। बहुत-बहुत शुक्रिया।

(इति)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सभापति महोदय, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अभी बजट पर चर्चा चल रही है, लेकिन हमारे वित्त मंत्री यहां से नदारद हैं।...(व्यवधान)

1737 hours

SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD): Sir, thank you very much for giving me the opportunity to speak on the General Budget. I also thank Supriya ji.

Sir, this is my maiden speech in the 17th Lok Sabha. So, I dedicate my maiden speech to the country's visionary leader, hon. Shri Sharad Pawar, who has been working for India for six decades and who has been unbeaten in 15 elections. He laid the foundation of second agricultural revolution in the country. I also mention the name of one more leader of the country, the architect of Tamil Nadu, Shri M. Karunanidhi, who was also unbeaten in thirteen elections. So, Salaam Pawar Sahab and Vanakam Karunanidhi ji.

Sir, I would like to mention that I come from a small town, Roha, the same town that late Shri C. D. Deshmukh also belonged to. He was appointed the first Governor of the Reserve Bank of India in 1943. He was the first Finance Minister from 1952-56. He was the pioneer of LIC. He resigned for the formation of the Sanyukt Maharashtra Movement. I am from that area.

Some of my colleagues from Gujarat must be knowing about Shri Pandurang Shastri Athawale, the great philosopher of Shrimad Bhagwad Geeta, Swadhyaya Pariwar. He was also from Roha.

I pay my respect to these honourable personalities.

Sir, the Government created history by getting a huge mandate from the people of India the second time. In 1985, when late Shri Rajiv Gandhi headed the Congress Party, they had such a majority. After a long span, people have given you the majority but you have failed to live up to the expectations of the farmers, the middle class and the youth.

(1740/KMR/CP)

The Government is using fancy words but allocations to various sectors present a grim picture with regard to its commitment 'Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas'. There is a severe economic crisis in the country today which the Government fails to acknowledge. The Government is talking about doubling the income of the farmers. When my mentor Shri Pawar Ji was the Agriculture Minister, Swaminathan Committee was appointed. That Committee had given its recommendations. But there is not a single word regarding the acceptance of Swaminathan Committee recommendations in this Budget presented by hon. Finance Minister.

There is no procurement and there is no increase in minimum support price. I know this because I come from a rice-procurement area. In 2004 during Atal Bihari Vajpayee Ji's Government, Rs.450 was given per quintal. When my mentor was the Agriculture Minister, it was Rs.1,550. But in the last five years, there has been no increase in this minimum support price. Even for procurement of food grains, no special provision has been made. It is unfortunate.

Further, Aadhaar is now linked to the IT. About 70 per cent of the country's economy is in the agriculture sector. By connecting it to Aadhaar, is the

Government going to impose income tax on the poor farmers of India? The Government will have to answer this question definitely.

Instead of providing relief to the common man and the middle-class families by giving tax relief, the Government has hiked the Excise Duty on petrol and diesel which will be a burden on the common man who has been bearing the brunt of excise taxation on petrol and diesel. It is my demand that petrol and diesel be brought under GST to lower their prices and benefit the consumer.

The Government always talks about Startup India. In a survey conducted in 2018 on 33,000 startups, 80 per cent said that they received no benefit from the Startup India scheme and over 50 per cent said that corruption remains to be the single biggest challenge to business apart from bureaucratic inefficiency.

The share of loans given to entrepreneurs belonging to SC and ST communities under the scheme has so far been negligible. Thus far, only six per cent bank loans have been given to *Dalits* or *Adivasis* and less than 20 per cent is given to women. As a result of Excise Duty hike, inflation may take place.

The Government has launched its Ayushman Bharat scheme. When I was the Finance Minister in my State, our State Government had implemented a scheme called Rajiv Gandhi Jeevandayee Yojana. An amount of Rs.4,000 crore was given in the Interim Budget presented in February, 2019. However, it is expected to benefit mostly the private hospitals and not the beneficiaries. So, to implement this scheme, you will have to take the healthcare further.

Under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, as on May 2018, only 45 per cent of the claims made have been settled for farmers as per the Annual Report

of the Insurance Regulatory and Development Authority of India. An amount of Rs.11,900 crore was collected by 11 private sector insurance companies whereas they paid claims worth Rs.8,000 crore only. Especially in Maharashtra, my colleague from Shiv Sena, who are allies of the NDA Government, has also quoted these things.

Pradhan Mantri Awas Yojana saw 4.5 per cent reduction in allocation. In his 2018 Budget Speech, Finance Minister Arun Jaitley Ji committed to constructing 1,000 crore houses by the end of 2019. Only 63 lakh houses or 61 per cent of the target has been achieved by December, 2018.

(1745/SNT/NK)

In the reply given in Lok Sabha on 25th June, 2019, the Ministry of Rural Development stated that they had completed the construction of just above 81 lakh houses against the sanctioned number of over 99 lakh houses.

Maharashtra is a pioneer in local governance. The expenditure by the Ministry of Panchayati Raj dropped from Rs. 3,390 crore in 2014-15 to Rs. 871 crore, a decline of 74 per cent. This Government looks very keen on turning a blind eye towards strengthening Panchayati Raj and local governance.

Sir, I would like to mention about the reduction in total spending on education. Despite the claims of the present Government to improve education across the country, the total expenditure has not seen an increase in proportion to the Budget. It has actually fallen from what it was in 2017-18. I would like to give an example. The spending in 2017-18 was 3.7 per cent; spending in 2018-19 was 3.4 per cent; and the spending in 2019-20 is going to be around 3.4 per

cent. I would like to say here that you are going to set up international universities in the country and foreign students will be allowed in those universities. Sir, through you, I would like to ask the hon. Minister as to what will happen to the reservation? When foreign students are allowed in those universities, what will happen to the SC/ST, OBC reservation? That will be the problem therein.

I would like to ask the Minister regarding the PSUs, about which my colleague also mentioned here. The profit-making PSUs are also likely to be disinvested. You had given the assurance that two crore jobs will be created every year. An hon. Member stated earlier that even profit-making PSUs are going to be disinvested. If that is the case, what will happen to the youngsters who are waiting for the jobs?

Sir, I would like to ask about Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Now the Budget for this is Rs. 80,000 crore. I would like to mention about my Raigad district here. Since the last three years, not a single rupee has been spent on this particular scheme.

Sir, I would like to point out that this country is a secular country. Coming to the reduction in funds for minorities, Sir, post-matric scholarship scheme is there for the minorities. The budget for this scheme was Rs. 692 crore in 2018-19 and Rs. 496 crore in 2019-20 it is. So, there is a decline of 28 per cent. For the National Minorities Development and the Finance Corporation, the budget was Rs. 165 crore in 2018-19 and Rs. 60 crore in 2019-20. So, there is a decline of 64 per cent. For Maulana Azad Education Foundation, the budget allocation

was Rs. 125 crore in 2018-19, and it is Rs. 90 crore in 2019-20. So, there is a decline of Rs. 28 crore.

Sir, I would like to mention one thing here. In Bharat Mala project, there is one highway which goes from Mumbai to Goa, and then from Karnataka to Kerala. We have been reminding the Government about that stretch from Mumbai to Goa for the last 40 years. The hon. Minister, Shri Gadkari is an influential Minister in NDA. I would like to bring to the notice of the Treasury Benches that in Maharashtra he is not known by the name of Nitin Gadkari, but by the name of Nitin Roadkari. But I do not know whether he is helpless or what, this road is not being constructed. I would like to ask that what had happened to that road. Same is the case regarding Sagarmala Project also. So, it is pending.

Sir, I would like to bring to their notice through you, that the highest civilian award of Republic of India, Bharat Ratna has been awarded since last six decades.

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Please conclude now.

SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD): In 1958, Maharshi Dhondo Karve who was born in Dapoli in Ratnagiri district worked for the women's welfare. Mahatma Jyotirao Phule, Savitribai Phule were from Dapoli. Pandurang Vaman Kane who was awarded the Bharat Ratna award in 1963, for his scholarly work that spanned 40 years of active academic research, which resulted in 6,500 pages history of Dharmashastra.

(1750/GM/SK)

Shri Vinoba Bhave was born in Gagode in my Raigad district and translated the Gita in Marathi language titled as *Gitai*. Dr. Babasaheb Ambedkar was born in Mhow but his childhood was spent in Mandangad, Ambawade. These four Bharat Ratna awardees belong to only two talukas. So, the Ratnagiri district should be declared as a tourism district. Shri Nanasaheb Dharmadhikari, the recipient of 'Maharashtra Bhushan' which is the highest civilian award of Maharashtra, is also from my Raigad district. So, the circuit of tourism should be there. The new generation should be aware as to what sacrifice our people have made for this country.

Lastly, I would like to say a few words in Marathi.

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri Sunil Dattatray Tatkare in Marathi,
please see the Supplement. (PP 456 to 457)}

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): You can speak in English or Hindi, but Marathi translator is not here as you have not given prior notice.

SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD): I will speak in English now so that the Minister can understand. Bank of India is the lead bank of my Raigad district. Rs. 11,000 crore have been deposited by the common people. Only for

the NPA of Rs. 60 lakhs, the branch in a small village of Mhsala Taluka has been closed. The villagers are now required to go 22 kilometres away to the taluka place.

Shrimati Supriya Sule had asked one question about CSR fund. Our Raigad district has a very high investment from the Government of India, the State Government and private entrepreneurs, but no CSR funds are allotted to my Raigad district. Even the CSR funds of RCF and JNPT have not been given to our district. So, I request that the CSR fund should be given to our district.

(ends)

1753 बजे

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय सभापति जी, आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए जनरल बजट पर हो रही चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आदरणीय वीरेन्द्र सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूं।

मैं काफी देर से सभी राजनीतिक दल के माननीय सदस्यों द्वारा की गई चर्चा सुन रहा था। यह जनरल बजट वर्ष 2019-20 का है। किसी भी सरकार का बजट उस सरकार की प्राथमिकताएं होती हैं। सवाल उठ रहा है, कुछ वक्ता बोल रहे थे कि यह सरकार अमीरों की सरकार है, यह सरकार उद्योगपतियों के पक्ष में काम कर रही है। मुझे निश्चित तौर से उस ज्ञान पर आश्चर्य हो रहा है। हम एक तरफ इस बजट को पढ़ें।

(1755/MK/RK)

मैं केवल देश के किसानों की बात करता हूं। देश का किसान, गांव, गरीब और मजदूर की बात करता हूं। वर्ष 2014 में आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। जब वे भारत की पार्लियामेंट की चौखट पर आए थे, तब उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार देश के गरीबों, गांव, मजदूरों, किसानों और महिलाओं के लिए समर्पित सरकार होगी। उन्होंने इस बार भी चुनाव में वोट मांगा था। उन्होंने एनडीए या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में आने के लिए वोट मांगा था। उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक देश में एक नए भारत के निर्माण के लिए वोट मांगा था। वह कैसा भारत होगा? आखिर उन्होंने क्यों न्यू इंडिया की बात की।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज भी एक ऐसा भारत था जो ग्रामीण भारत है, जहां आज भी गांव में मकान नहीं था, शौचालय नहीं था, गांव में बिजली कनैक्शन नहीं था, गांव में क्लीन एनर्जी उज्ज्वला गैस का चूल्हा नहीं था। गांव में सौभाग्य योजना में कनैक्शन नहीं था। किसानों के पास खाद और पेस्टिसाइड के लिए पैसा नहीं था। एक तरफ दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद या मुंबई का भारत था, जहां रात को भी दिन लगता था। जो विषमताएं और विषंगतियां थीं, पहली बार

मोदी जी ने तय किया कि ग्रामीण भारत, जो अभाव का भारत है और जो शहरी भारत है, इन दोनों भारत के बीच के अंतर को हमारी सरकार समाप्त करके एक भारत का निर्माण करेगी। उस भारत के संकल्प के लिए इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं।

अगर आज देखें तो वर्ष 2019-20 में करोड़ों किसानों के लिए सरकार ने बजट दिया है। माननीय सदस्य जो आलोचना कर रहे हैं, उन्होंने शायद इसे पढ़ा न हो। आप देखिए कि वर्ष 2018-19 में जब कृषि बजट दिया था, वह आजादी के बाद पिछले वर्ष का सबसे हाइएस्ट बजट 57,600 करोड़ रुपये का था। इस चुनाव के पहले वर्ष 2018-19 में 57,600 करोड़ रुपये देश के किसानों को दिये गये थे। उस समय भी सदन में चर्चा हुई थी कि हम देश के कृषि और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय को दोगुना करने के लिए पिछली सरकारों की तुलना में हाइएस्ट बजट दे रहे हैं। आज एक साल बाद वर्ष 2019-20 के लिए हमने कृषि का परिव्यय 1,30,485 करोड़ रुपये का बजट एलोकेट किया है। मैं निश्चित रूप से देश के करोड़ों किसानों की तरफ से सरकार को बधाई देना चाहता हूं। पिछले बजट की तुलना में इस बार के बजट में किसानों के लिए 140 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस सरकार को कोई सफाई नहीं देनी है। पिछले पांच वर्षों में हमारी सरकार ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा किया है। चाहे सरकार ने कहा हो कि निश्चित तौर पर हम देश के 18 हजार गांवों में, आजादी के बाद अगर बिजली नहीं थी तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन-सी सरकारें जिम्मेदार थीं कि 18 हजार गांवों में, आजादी 1947 में मिली हो और वर्ष 2017-18 तक 18 हजार गांवों में बिजली न हो। इसी सदन में प्रधान मंत्री मोदी ने खड़े होकर कहा था कि चाहे नार्थ ईस्ट का कोई आखिरी गांव हो, जहां पोल नहीं पहुंच सकता हो या कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक किसी भी राज्य का कोई गांव हो, किसी पार्टी की भी सरकार हो लेकिन एन.डी.ए. की सरकार हर गांव में, हर मजरे में विद्युतीकरण करने के लिए संकल्पित है। उन्होंने उन 18 हजार गांवों का विद्युतीकरण करके दिखाया। आज हम कह सकते हैं कि आजादी के बाद अगर देश के हर गांव इलेक्ट्रिफाइड हुए हैं, तो यह हमारी सरकार की देन है। आज फिर यह संकल्प

दिया है कि इस देश के हर घर को हम मुफ्त बिजली का कनेक्शन देंगे, चाहे वह गरीबी रेखा के नीचे हो या गरीबी रेखा के ऊपर हो, सभी को मुफ्त कनेक्शन देंगे। आज एक-एक जनपद में, मेरी लोक सभा क्षेत्र में 300-400 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। एक-एक घर का सर्वे हो रहा है, चाहे वह घर दूर खेत, खलिहान में हो, उसको भी हम बिजली का कनेक्शन मुफ्त में दे रहे हैं। कल्पना कीजिए कि कुछ सालों पहले कैसे बच्चों को किसी स्टेशन पर पढ़ना पड़ता था? इस गरीबी को, इस अभाव को वही समझ सकता है, जिन्होंने बचपन में खुद देखा था।

(1800/YSH/PS)

उन्होंने खुद स्टेशनों पर लैम्प पोस्ट में पढ़ाई की होगी, उन्होंने स्टेशन पर जिस गरीबी के अभाव में सोचा होगा, निश्चित तौर पर इस देश की जनता ने हमारी सरकार को जनादेश दिया है। अब आने वाले इस काल में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा, जिसके घर में बिजली का बल्ब न हो।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): चेयरमैन सर, 6 बज गए है और बजट पर बी.ए.सी. में 12 घंटे डिसकशन अलॉट किया है। मेरा अनुरोध है कि 2 घंटे डिसकशन बढ़ा दिया जाए।

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): If the House will agree, we can extend the time of the House.

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): माननीय सभापति, मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का बलिया लोकसभा क्षेत्र जहां से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। लंबे समय से पूर्व प्रधान मंत्री चन्द्रशेखर जी उसका प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। मैं सदन को इस बात की सूचना देना चाहता हूं और सदन की तरफ से उनकी पुण्यतिथि पर नमन करना चाहता हूं।

HON. CHAIRPERSON: The time of the House maybe extended by two hours.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes

1801 hours (Shri N.K. Premachandran *in the Chair*)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, आज केवल हमने कृषि के क्षेत्र में 140 परसेंट बजट की वृद्धि नहीं की है बल्कि लोग यह सवाल पूछ रहे थे कि किसानों की आय दोगुनी कैसे हो गई। आज गांव में जो लघु सीमांत किसान हैं, उन किसानों के पास आज भी खाद का पैसा नहीं है, बीज का पैसा नहीं है, पेस्टीसाइड का पैसा नहीं है। गांव में उनको सिंचाई के लिए पैसा नहीं है। आज उन्हीं किसानों को जो करोड़ो किसान पैसे के अभाव में है, आज उनको प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि में जब चुनाव के पहले 24 फरवरी को गोरखपुर में प्रधान मंत्री जी ने प्रधान मंत्री किसान सम्मान को डिजिटल से ट्रांसफर किया था, लगभग 3 करोड़ किसानों के परिवारों के खातों में गया था तो उस समय कहा गया कि यह केवल चुनाव के पहले देश के किसानों को एक लॉलीपॉप है। चुनाव के बाद शायद फिर यह योजना नहीं चलेगी और न इस योजना का आगे किसानों को पैसा मिलेगा। जब हमने आजादी के बाद पहली बार हमारी सरकार के प्रधान मंत्री ने जब गोरखपुर से डिजिटल माध्यम से 3 करोड़ रुपये खाते में दिया तो आज जो सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे थे, उन्होंने भी किसानों से वायदा किया कि हम अगर सरकार में आ जाएंगे तो 72 हजार रुपये देंगे। लोगों ने देखा था कि 10 वर्षों में किसानों के लिए दिया नहीं, उसके बावजूद उन्होंने इस बात को माना कि किसानों के खाते में पैसा जा सकता है तो वह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में जा सकता है और आज चुनाव के बाद पहली मंत्रिपरिषद की बैठक में मैं निश्चित तौर से देश की 130 करोड़ जनता की तरफ से, किसानों की तरफ से जो 80 प्रतिशत किसान हैं, इस सदन के माध्यम से अपनी सरकार और प्रधान मंत्री जी को बधाई दूंगा। कृषि मंत्री जी को बधाई दूंगा कि आज जो एक राइडर था कि दो हेक्टेयर तक के ही किसानों को प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि में 6 हजार रुपये मिलेंगे और उस 6 हजार पर यह पहली कैबिनेट पर फैसला हुआ कि चाहे 2 हेक्टेयर हो या इससे ऊपर हो, अगर किसान है, उसके पास एक बिस्मिल भी जमीन है और अगर वह फार्मर की परिभाषा में आता है तो देश के उन सभी किसानों को उनके खाते में प्रत्येक वर्ष उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 6 हजार रुपये हमारी सरकार देगी, जिसके लिए 75 हजार करोड़ हमने इस बजट में प्रावधान किया है।

आप कहते है कि इस बजट के बाद आज उन लोगों को चाहे चुनाव में मुद्दा बना रखा हो। सारे अखबारों ने बजट प्रस्तुत करने के बाद क्या लिखा? सारे टेलीविजन पर डिबेट हुई। हमारे वित्त राज्य मंत्री यहां बैठे हैं। यही लिखा कि अमीरों पर कर और गरीबों पर कर्म। मैं समझता हूं यह पहली बार अखबारों में कैप्शन आया होगा कि इस देश की सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए गरीबों पर कर्म किया है। आप कहते थे कि यह सूट-बूट की सरकार है, यह उद्योगपतियों की और अमीरों की सरकार है। आज कौन सा टैक्स लगा? एक करोड़ की नकद निकासी हो और उसके बाद उस पर यदि 2 परसेंट लग जाए। 400 करोड़ की कंपनियां हों, उस पर 25 परसेंट कॉरपोरेट टैक्स हो। मुझे समझ नहीं आता है कि आज निश्चित तौर से टैक्स स्लेब देख लें तो मुझे लगता है कि आज टैक्स स्लैब पर एन.पी.ए. की बात हो रही थी। एन.पी.ए. लगातार कांग्रेस यू.पी.ए. की सरकार पर बढ़ता चला गया और उस एन.पी.ए. को रोकने के लिए दो एक्ट बनाए गए है इंसोलवंसी बैंक्रप्सी कोड और सरफेसी कोड दोनों का मैं मैम्बर रहा हूं। यह हमारी सरकार ने बनाया है।

(1805/RAJ/RC)

एक साल में एनपीए एक लाख करोड़ रुपये कम हुए हैं, चार लाख करोड़ रुपये का रीयलाइजेशन हुआ है। मैं समझता हूं, ये आंकड़े हैं। चार लाख करोड़ रुपये की रिकवरी हुई है। इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बनने के बाद या सरफेसी एक्ट बनने के बाद 13.8 प्रतिशत लोन की वृद्धि हुई है। जो बैंक डूब रहे थे, तमाम बैंक दीवालिया हो रहे थे। बैंकों में गरीबों की पूंजी थी, जो बैंक में जमा कर रहे थे, लेकिन उनकी निकासी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बैंक दीवालिया हो रहे थे। आज उन बैंकों को बूस्ट करने के लिए पहली बार इस बजट में 70 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मैं देश के उन सभी जमाकर्ताओं की तरफ से उनको बधाई देना चाहता हूं। आज पांच लाख रुपये तक की आय वालों पर कोई टैक्स नहीं है। यह पहली बार हुआ है। पहले यह सीमा ढाई लाख रुपये की थी। वित्त मंत्री जी और हम लोग लगातार तीन बार इस सदन में रहे हैं। हम ने हमेशा देखा है कि कर की सीमा 25 हजार या 50 हजार रुपये बढ़ाई जाती थी। जब अंतरिम बजट आया तभी यह तय हुआ कि पांच लाख की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। अगर आप सैस और टैक्स

के बारे में कहते हैं तो निश्चित तौर पर देश की बुनियादी ढांचों और देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम जवाबदेह हैं। हम ने कहा था कि हर घर को बिजली देंगे, हर गांव को बिजली देंगे। आज हर गांव में बिजलीघर देने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2022 तक सभी को हमने घर देने का संकल्प लिया है। एक वर्ष में 01 करोड़ 95 लाख मकान मकान बनाने की इच्छाशक्ति भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार में है। खुद वित्त मंत्री जी ने कहा है कि 314 दिनों में एक प्रधान मंत्री आवास बनता था, अब वह मात्र 114 दिनों में बनेगा। आप गांव जाइए। मुंडा जी यहां बैठे हुए हैं। झारखंड के गांवों में जाइए, आदिवासी इलाकों में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए। …(व्यवधान) मान्यवर, मैंने अभी अपनी बात शुरू की है। मैं सेकेंड वक्ता हूं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज हम 01 करोड़ 95 लाख आवास दे रहे हैं। आजादी के बाद, आज हर घर में टॉयलेट्स होने चाहिए थे। हम ने 9 करोड़ टॉयलेट्स बनाए हैं। हम ने 'उज्ज्वला योजना' के तहत सात करोड़ चूल्हे बांटे हैं। गांव में कभी कोई क्लीन एनर्जी की कल्पना नहीं कर सकता था।

आज हम श्रमिकों की बात करते हैं। You are always advocating for the interest of labour and for the protection of labour. I used to endorse even your cause. आज पहली बार आपको महसूस हो रहा होगा कि उन श्रमिकों को प्रति माह तीन हजार रुपये पेंशन देने की बात है। तीन करोड़ खुदरा व्यवसायिओं को वह देने की बात है। एक करोड़ रुपये का लोन 95 मिनट में निकल सकता है। आज फाइव ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात होती है। देश की आजादी के बाद वर्ष 2014 तक देश की इकोनॉमी क्या थी – 1.85 ट्रिलियन डॉलर। वर्ष 1947 में देश आजाद हुआ और वर्ष 2014 तक देश की अर्थव्यवस्था केवल 1.85 ट्रिलियन डॉलर की थी। वर्ष 2018 में यह 2.7 ट्रिलियन डॉलर थी। हमारा संकल्प है कि हमारा देश तीन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था वाला देश बने। हम एनडीए की सरकार में ग्यारहवें से छठे स्थान पर आ गये हैं और हम पांचवें स्थान पर पहुंच जाएंगे। आज हम दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में छठे स्थान पर हैं। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): Please conclude now. There are so many speakers from the BJP.

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Sir, I am concluding. मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हुई है।

आज महिलाएं हों या श्रमिक हों, जब जन-धन एकाउंट्स खुल रहे थे तो उसे प्रधान मंत्री जी ने एक अभियान बनाया। लोग कहते थे कि गरीबों का जन-धन खाता खुलेगा, उसमें पैसा कहां से आएगा? यह खाता किस लिए खुल रहा है? लोग सरकास्टिक रिमार्क्स पास किया करते थे। आज 33-34 करोड़ प्रधान मंत्री जन-धन खाते खुले। आज उसी जन-धन खाते में वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में जीरो बैलेंस पर खाता खुल रहा है। गांव की गरीब महिलाओं को अपने किसी बच्चे या बीमार सदस्य के 105 डिग्री के बुखार की हालत में पांच हजार रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल रही है। वे शहर लेकर जाकर उसका इलाज करा सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप से उनको एक लाख रुपये का लोन मिल सकता है।

आज हम रेलवे में 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने जा रहे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो जीडीपी नहीं।

निश्चित तौर से ये सारे विषय आपस में जुड़े हुए हैं। क्या इसी सदन में वर्ष 2014 तक पॉलिसी पैरालिसेस की बात नहीं होती थी? आज पॉलिसी पैरालिसेस की बात नहीं हो रही है। आज ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है। आज ईज़ ऑफ लिविंग की बात हो रही है। मैं समझता हूं कि आज देश बदल रहा है। पहले दुनिया में लोग अपने देश से पूंजी निकाल कर यूरोप, अमरीका, साउथ अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज चाहे दावोस का आर्थिक सम्मेलन हो, चाहे ब्रिक्स का सम्मेलन हो, चाहे जी-20 का सम्मेलन हो, आसियान का सम्मेलन हो, यूनाइटेड नेशन्स का सम्मेलन हो, अब दुनिया में जब हमारे प्रधान मंत्री जाते हैं, तो वर्ल्ड के लीडर बनकर इमर्ज करते हैं और पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमारा देश एक अच्छा मुल्क है।

माननीय सभापति (श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन) : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि डायरेक्ट टैक्सेस बढ़े हैं। पैन कार्ड हो या न हो, आधार कार्ड मान्य कर दिया। मुकेश जी बैठे हैं, जिस गांव में भी जाएं, किसी भी पार्टी का एमपी हो, हर एमपी से सबसे पहले गांव का व्यक्ति मांग करता है कि हमारे गांव को भी प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ दीजिए। आज देश का हर गांव इस योजना से जुड़े, उसके लिए 1,25,000 किलोमीटर सड़क बनाने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। पहले हम लोग थोड़ी-थोड़ी सड़क के लिए प्रस्ताव भेजते थे। मैं समझता हूं कि हर संसदीय क्षेत्र के सांसदों के गांव की कनेक्टिविटी इस योजना के माध्यम से होगी, जिसके लिए 80,250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति : आप कृपया बैठ जाएं। आपकी पार्टी के भी 30 से ज्यादा सदस्यों ने अपनी बात कहनी है।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मैं सिर्फ इतना मेंशन करना चाहता हूं कि कितना एलोकेशन पीएमजीएसवाई योजना के लिए किया गया है। अभी तक घरों में शौचालय नहीं था, बिजली कनेक्शन नहीं था, आवास नहीं था, गैस नहीं थी। हमने साढ़े पांच लाख से ऊपर गांवों को ओडीएफ किया है, 9 करोड़ शौचालय बनाए हैं। 256 जिलों के 1592 ब्लॉक डार्क जोन हो रहे थे। वहां पानी की कमी थी। लोग कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर पानी पर होगा। अधीर रंजन जी भी कह रहे थे। हम भी उस डिबेट में भाग ले रहे थे। निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि यह संकल्प हो कि हर गांव में हम बिजली पहुंचा सकते हैं, हर घर को उज्ज्वला दे सकते हैं, हर घर को शौचालय दे सकते हैं, ऐसे ही हमारी सरकार हर घर को जल देगी। इस बजट का ध्येय 'जल और जीवन' है। 'हर घर को जल और हर घर के नौजवान का बेहतर कल, यही हमारा है संकल्प।'

(इति)

(FOR REST OF THE PROCEEDINGS, PLEASE SEE THE SUPPLEMENT.)